द्वितीय माला, खण्ड २४—अंक २२

१६ दिसम्बर, १९५८ (मंगलवार)

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

**2nd Lok Sabha**
(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

**लोक-सभा सचिवालय,**
**नई दिल्ली**

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

305 (AI) LSD.

# विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २४--अंक २१ से २६--१५ दिसम्बर से २० दिसम्बर, १९५८)


पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से ९३६, ९३८, ९३९, ९४०, ९४२ से ९४७ और ९५० . . . . २३२१–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४८, ९४९ और ९५१ से ९६२ . २३४३–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६३ से १५३३, १५३५ से १५४१, १५४३ से १५८० और १५८३ से १५८५ . . २३६०–२४०४

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . . . २४०४

याचिका समिति . . २४०५

कार्यवाही सारांश

याचिका समिति . . . २४०५

पांचवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से सन्देश . . . २४०५

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . २४०५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . २४०५

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक . २४०६

मत विभाजन के आंकड़ों की शुद्धि

समितियों के लिये चुनाव . . २४०६-०७

प्राक्कलन समिति २४०६

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड . . . . २४०६-०७

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया २४०८

विधेयक पुरःस्थापित . . २४०८-१०

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ . २४०८

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ . . २४०९

| | पृष्ठ |
|---|---|
| (३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ . . | २४०९-१० |
| (४) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८ . | २४१० |
| वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . | २४११-४९ |
| दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक . . . . . | २४४९-५४ |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | |
| लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . | २४५४ |
| प्रवर समिति का प्रतिवेदन | |
| कार्य मंत्रणा समिति . . | २४५४ |
| तैंतीसवां प्रतिवेदन | |
| दैनिक संक्षेपिका . . . | २४५५-६२ |
| **अंक २२—मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से ९९७, १०३१, ९९८ से १००२ और १००४ से १००८ . | २४६३-८७ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १००३, १००७ से १०५९ और ५५० . . | २४८७-२५०९ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १६६२, १६६६ से १६६९, १६७१ से १६७७, १६७९ से १६८० . | २५०९-८७ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . | २५४८-४९ |
| गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . | २५४९-५० |
| लोक लेखा समिति . . . . | २५५० |
| ग्यारहवां प्रतिवेदन | |
| दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . | २५५१ |
| अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . | २५५१-५२ |
| फोलीडोल का यातायात | |
| देश में तेल की खोज में प्रगति के बारे में वक्तव्य . . . | २५५२-५४ |
| विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित . . | २५५४ |
| कार्य मंत्रणा समिति . . . . | २५५४ |
| तैंतीसवां प्रतिवेदन | |
| सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना . . . . | २५५५ |
| विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक—पारित . . . | २५५५ |
| विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पारित . . . | २५५६ |

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक . . . . . २५५६–९९
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५५६–९४
खण्ड २ से ५ और ६ . . . . २५९९–२६०२
फिल्म उद्योग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . २६०३–१०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . .

**अंक २३—बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से १०७४ . . . . २६११–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ से ११०४, ११०६, ११०७, ११०७क और ११०८ से ११३६ . . . . . २६३३–६०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १७४२, १७४४ से १९४६, १९४८ से १९६१, १९६३ से १९८६, १९८८ से १९९५, १९९५क, १९९५ख, १९९५ग, १९९५घ, १९९५ङ, १९९५च और १९९५छ . . २६६१—२७९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २७९२–९३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २७९३
तैंतीसवां प्रतिवेदन
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २७९३
हवाई अड्डों का विकास
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
विशेषाधिकार समिति . . . . . २७९४–९५
छठा प्रतिवेदन
विनियोग (संख्या ५) विधेयक . . . . . २७९६
विचार करने का प्रस्ताव . . . . २७९६
खण्ड २, ३ अनुसूची और खण्ड १ . . . . २७९६
पारित करने का प्रस्ताव २७९६
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक . . . . . २७९६–२८१५
खण्ड ६ से १४, १६ से ३५, १५, ३६ से ५७ . . . २७९६–२८१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २८१४–१५
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . . २८१५–२५
विचार करने का प्रस्ताव
सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा . . . . . २८२५–४३

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २८४३–४६
दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८४७–६२

**अंक २४––गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४३ से ११४७ और ११४९ २८६३–८२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . २८८२-८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४१, ११४२, ११४८, ११५० से ११६८, ११६८क, ११६८ख, ११६९ से ११७६, ११७६क, ११७७, ११७७क, ११७८ से ११८०, ११८०क और ११८१ . . . २८८४–२९००
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ से २०१४, २०१६ से २१३१, २१३१क, २१३१ख, २१३१ग और २१३१घ २९००–५७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . २९५७–६०
संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन
सभा पटल पर रखे गये प . . . . . २९६०-६१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २९६१
तीसवीं से चौतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश
याचिका समिति . . . . . २९६१
तेईसवीं बैठक का कायवाही सारांश
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति २९६१
ग्यारहवां प्रतिवेदन
तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि २९६१-६२
शस्त्र विधेयक––पुरःस्थापित . . २९६२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक २९६३–७३
विचार करने का प्रस्ताव २९६३–७१
खण्ड २ और १ . . २९७१
पारित करने का प्रस्ताव . २९७१–७३
चलचित्र (संशोधन) विधेयक . २९७३–८२
विचार करने का प्रस्ताव
गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव . . २९८२–३००७
कुलटी की भट्टियों के बन्द हो जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३००७–१२
दैनिक संक्षेपिका . . ३०१३–२१

पृष्ठ

**अंक २५—शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८२, ११८३-क, ११८४ से ११८७, ११९० से ११९३ और ११९५ से ११९८ . . . ३०२३—४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . . . ३०४५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८३, ११८३-क, ११८८, ११९४, ११९९ से १२०६, १२०८ से १२२१ और १२२३ से १२४९ . . . ३०५०—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२०१ और २२०३ से २२१८ . . . ३०७३—३११३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३११३

जानकारी का प्रश्न . . . ३११३-१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३११४—१६

राज्य सभा से संदेश . . . ३११६

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . . ३११६

चौथा प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति . . . ३११६

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सदस्य द्वारा क्षमा याचना . . . ३११७

चलचित्र (संशो न) विधेयक . . . ३११७—३१

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३११७—२५

खण्ड २ से ६ और १ . . . ३१२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . . ३१३१

तैंतीसवां प्रतिवेदन

देश में भूमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक समिति के बारे में संकल्प . . . ३१३१—५१

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . . . ३१५२

आन्ध्र में चीनी के सहकारी कारखानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३१५२—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१६१—६६

**अंक २६—शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८**

सभा पटल पर रखे गये प . . . ३१७१-७२

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . . ३१७२

दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . . ३१७३

दसवीं व ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

| | पृष्ठ |
|---|---|
| राज्य-सभा से संदेश . | ३१७३ |
| संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक . . | ३१७३ |
| राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया | |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . | ३१७४ |
| आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों का अस्थायी रूप से हटाया जाना | |
| अनुपस्थिति की अनुमति . . | ३१७४ |
| तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर की शुद्धि | ३१७५ |
| अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक | ३१७५—७९ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . | ३१७५—७८ |
| खण्ड २ और १ . | ३१७९ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . | ३१७९ |
| विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक | ३१७९—८४ |
| विचार करने का प्रस्ताव . | ३१७९—८४ |
| खण्ड १ और २ . | ३१८४ |
| पारित करने का प्रस्ताव . | ३१८४ |
| लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक . . . | ३१८४—९६ |
| संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव | |
| लोक तिमि त्व (संशो न) वि यक . | ३१९६—३२३० |
| प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रू में विचार करने का प्रस्ताव . . | ३१९६—३२१५ |
| खण्ड २ से १४, १६ और १८ से २३, २८-क और २८-ख, १५, १७, २९, ३० से ३७ और १ . . . . | ३२१५—३० |
| संशो त रूप में पारित करने का प्रस्ताव | ३२३० |
| उड़ीसा बांट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक . | ३२३१ |
| विचार करने का प्रस्ताव | ३२३१ |
| खण्ड २, ३ और १ | ३२३१ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . | ३२३१ |
| आन्ध्र में चावल की वसूली के बारे में आधे घंटे की चर्चा | ३२३१—३८ |
| दैनिक संक्षेपिका . . | ३२३९—४१ |
| छटे सत्र का कार्यवाही सारांश . . . . . | ३२४१—४४ |


नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

# लोक-सभा

मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### लौह अयस्क को रखने के लिये रेलवे के प्लाट

†*९९३. **श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने रेलवे से कह दिया है कि लौह-अयस्क रखने के लिये उन्हें केवल बरजमादा क्षेत्र में नई बनाई गई साइडिंग के प्लाट ही आवंटित किये जाने चाहियें;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि ऐसा करने से गैर सरकारी खान के मालिकों को उन्हें अपनी खानें विवश हो कर बन्द कर देनी पड़ेंगी जिस से बहुत से मजदूर बेकार हो जायेंगे तथा लौह अयस्क के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने इस प्रकार का निवेदन किया था क्योंकि लौहअयस्क का निर्यात अब राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है। बरजमादा क्षेत्र में नये बनवाये गये साइडों पर ५२ प्लाटों में से केवल २३ प्लाट राज्य व्यापार निगम को आवंटित किये गये हैं।

(ग) सरकार यह निश्चित रूप से जानती है कि वैसा कोई परिणाम नहीं निकलेगा ?

†**श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या बिहार की सरकार ने राज्य व्यापार निगम तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से राज्य व्यापार निगम की बिहार से लौह-अयस्क खरीदने की नीति का विरोध किया था ?

†**श्री कानूनगो** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से नहीं।

†**श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या यह सच है कि गत मई में राज्य व्यापार निगम ने लौह-अयस्क के विभिन्न उत्पादकों को यह सूचित किया था कि वह और अधिक लौह-अयस्क नहीं खरीद सकेगा क्योंकि उन की कलकत्ता पत्तन की बुकिंग क्षमता पूरी हो चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : यातायात की उपलब्धता को देखते हुए राज्य व्यापार निगम ने संविदा किया था ।

†**श्री वि० चं० शुक्ल** : जब राज्य व्यापार निगम के लिये ही यातायात उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में क्या वे लौह-अयस्क उत्पादकों को अपना कोटा उठाने और अपने व्यय पर निर्यात करने की अनुमति मिल जाती है ?

†**श्री कानूनगो** : और कोई कोटा है ही नहीं क्योंकि लौह-अयस्क का सारा निर्यात राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है । अतः प्रत्येक उपलब्ध यातायात राज्य व्यापार निगम को मिल जाता है ।

**अखबारों के लिये पृष्ठानुसार मुल्य अनुसूची**

†*९९४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री राम कृष्ण :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारों के लिये पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची लागू करने के बारे में अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). १२ सितम्बर, १९५८ के उत्तर में जो स्थिति बताई गई है उस में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्रालय ने अवरोध के कारणों की कोई जांच की है, और यदि हां, तो उसे समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० केसकर** : कोई भी अवरोध नहीं है । वस्तुतः इस समय तो हम श्रमजीवी पत्रकारों की मजूरी समिति के पंचाट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उस के पश्चात् हम आशा करते हैं कि इस मामले में अपना निर्णय कर लेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह निर्णय किस स्तर पर किया जायेगा ? क्या यह निर्णय मालिकों श्रमजीवी पत्रकारों के सहयोग से मंत्रालय द्वारा किया जायेगा अथवा किसी और ढंग से ?

†**डा० केसकर** : यह निर्णय सरकार करेगी ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इस मामले में विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्रों के विचार निश्चित रूप से जान लिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर** : इस सम्बन्ध में विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों के विचार तो जान लिये गये हैं, किन्तु इस बारे में कोई निर्णय करने से पूर्व और तालिका तैयार करने से पहले सभी समाचारपत्रों से एक बार फिर राय लेंगे ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र इस सम्बन्ध में बहुत जोरदार मांग कर रहे हैं जब कि अंग्रेजी के कुछ बड़े समाचारपत्र इस का विरोध कर रहे हैं ? इन को मिलाने के लिये क्या कोई सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन बुलाने का विचार किया जा रहा है ?

**डा० केसकर** : यह कहना ठीक नहीं होगा कि सब हिन्दी या देशी भाषाओं के समाचारपत्र पक्ष में हैं लेकिन अधिकांश पक्ष में हैं यह सत्य है और इन दोनों के सम्मेलन दो बार हो चुके हैं और उन से कोई फायदा नहीं निकला । दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं ।

†**श्री रंगा** : इस तालिका को लागू करने के लिये सरकार के पास कोई पंचवर्षीय, द्विवर्षीय अथवा त्रिवर्षीय योजना है ।

†**डा० केसकर** : यह कोई योजना नहीं है । सरकार को संसद् से यह शक्ति मिली हुई है कि यदि वह किसी तालिका को लागू करना आवश्यक समझें तो वह वैसा कर सकती है । हमें स्थिति को देख कर कोई भी निर्णय तभी करना पड़ता है जब कि ऐसा करना उचित है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या सरकार को यह मालूम है कि पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची कार्यान्वित करने संबंधी निर्णय के रुके रहने से अखबार उद्योग के पत्रकारों के अन्य मामले भी रुके पड़े हैं ?

†**डा० केसकर** : नहीं, मैं इस कल्पना से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ एक प्रमुख समाचारपत्र विदेशों से बड़ी मात्रा में अखबारी कागज मंगवाते हैं, उसे चोर बाजार में भी बेचते हैं और कई अनुपूरक समाचार-पत्र भी निकालते हैं, परन्तु सरकार पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में इतनी देर लगा रही है?

†**डा० केसकर** : जहां तक अखबारी कागज का संबंध है, इस समय तो कागज इस आधार पर दिया जाता है कि किसी पत्र की कितनी प्रतियां छपती हैं । यहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उस का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारित न करने में देर लगने से छोटे तथा मध्यम प्रकार के समाचार पत्रों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और यदि हां, तो सरकार इस मामले को गति देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**डा० केसकर** : छोटे तथा मध्यम प्रकार के समाचार पत्रों को तो अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उन का कारण केवलमात्र पृष्ठानुसार मल्य निर्धारित करने में विलम्ब ही नहीं है, उन के तो कई आर्थिक कारण हैं । जहां तक पृष्ठानुसार मूल्यनिर्धारण का सम्बन्ध है, छोटे और मध्यम प्रकार के समाचारपत्रों के इस बारे में भिन्न भिन्न मत हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी** : गत बार जब यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय माननीय मंत्री यह कहा था कि सम्बन्धित समाचारपत्रों के स्वामियों के सम्मुख मूल्य अनुसूचियां रखी जायेंगी

---

†मूल अंग्रेजी में

और उन के बारे में उन की सम्मति मांगी जायेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन विशेष मूल्यों को उन के सम्मुख पेश किया गया था और यदि हां, तो उस का क्या नतीजा निकला है ?

†**डा० केसकर** : हम ने उन के सामने दो तीन वैकल्पिक अनुसूचियां रखी हैं । उन पर विचार विमर्श भी किया गया था । उन की राय लेने के बाद हम ने अब एक या दो वैकल्पिक अनुसूची चुनी हैं । परन्तु अन्तिम रूप से अभी निश्चय नहीं किया गया है । अन्तिम रूप से निश्चय हो जाने पर हम वे अनुसूची उन के सामने फिर से रखें और उनकी राय मांगेंगे । तब उस के बाद उन्हें लागू करेंगे ।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : यह कहा गया है कि पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारित करने में मजूरी आयोग की रिपोर्ट की न्तजार की जा रही है । क्या मजूरी आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही ये मूल्य निश्चित कर दिये जायेंगे, क्योंकि प्रैस आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुए पूरे चार वर्ष व्यतीत हो गये हैं ?

†**डा० केसकर** : मुझे विश्वास है कि मजरी आयोग की रिपोर्ट के आते ही सरकार इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय कर देगी ।

†**श्री महन्ती** : उस सम्बन्ध में सरकार वास्तव में किन किन समस्याओं पर विचार कर रही है ?

†**डा० केसकर** : इस के लिये तो पर्याप्त समय की आवश्यकता है । अतः मैं इस समय इस का उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री जीन चन्द्रन** : क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ एक समाचारपत्र "भारत १९५८ प्रदर्शनी" में मुफ्त बांटे जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से तो वे बेचे जाते होंगे ।

†**डा० केसकर** : संभव है ऐसा ही हो ।

**मजदूरों की शिकायतें दूर करने की प्रक्रिया**

+

†*९९५. { **श्री राम कृष्ण** : **श्री केशव** : **सरदार इकबाल सिंह** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों के सम्बन्धित संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर के उन की शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने के सम्बन्ध में कोई आदर्श प्रक्रिया निकाली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रक्रिया का स्वरूप क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर आदर्श प्रक्रिया की एक प्रति रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री राम कृष्ण** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक उपक्रम में शिकायतें दूर करने वाली एक एक समिति नियुक्त की जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : इस बारे में गत बैठक १९ सितम्बर, १९५८ को हुई थी । उस में इस सम्बन्ध में निश्चय कर लिया गया था । उस बैठक की कार्यवाही की संक्षेपिका सम्बन्धित संघों को भेज दी गई थी । उन के टिप्पण हाल ही में प्राप्त हुए हैं, उन्हें फिर से परिचालित कर दिया गया है । अतः इसी समय उस बारे में जानकारी देना कठिन है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या स बारे में मजदूर संघों के मत प्राप्त हो गये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : जी, हां सम्बन्धित संघों के प्रतिनिधियों के विचार मांगे गये थे ।

†**श्री तंगामणि**: उस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत सम्बन्धी प्रक्रिया को कार्यान्वित करना अनुशासन संहिता की एक शर्त है, मैं जानना चाहता हूं कि उन संगठित उद्योगों को जोकि फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, शिकायत सम्बन्धी प्रक्रिया को अपनाने में कितनी देर लगेगी ?. क्या उस के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : इस के लिये कोई अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है । जब तक अनुशासन संहिता का उल्लंघन नहीं होता, यह समझा जाता है कि उस पर अमल किया जा रहा है ।

†**श्री तंगामणि** : अनुशासन संहिता की एक शर्त यह है कि शिकायत सम्बन्धी प्रक्रिया को विभिन्न उद्योगों पर लागू किया जाये ताकि विवाद उत्पन्न न हो । कई एक क्षेत्रों ने इस क्रिया को पहले ही अपना लिया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा कोई कालावधि निश्चित की जायेगी ताकि उन सभी उद्योगों में, जहां पर अभिस्वीकृत अथवा अभिप्रस्वीकृत कार्मिक संघ हो, परिचालित किये गये नमूने के अनुसार शिकायत सम्बन्धी प्रक्रिया लागू की जा सके ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : हम माननीय सदस्य के समान ही स बात के लिये उत्सुक हैं कि इस प्रक्रिया को हर जगह शीघ्रातिशीघ्र लागू कर दिया जाये और हम इस सम्बन्ध में प्रयत्न भी कर रहे हैं । इस प्रश्न पर कि क्या कोई कालावधि निर्धारित की जाये या नहीं, कार्यान्विति समिति की आगामी बैठक में निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ एक उद्योगों ने, जैसे कि प्रतिरक्षा, रेलवे और डाक तथा तार विभागों ने, इस शिकायत सम्बन्धी क्रिया को अपनाने से इनकार कर दिया है और यदि हां, तो उन्हें इसे स्वीकार करने के लिये राजी करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मुझे तो यही जानकारी मिली है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों ने स प्रस्थापना को ठुकरा दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : जी, नहीं, उन्होंने उस स्थापना को ठुकराया नहीं है। उन के सम्बन्ध में कार्य संचालन के स्वरूप में कुछ फर्क हैं। इसलिये उन पर यह प्रस्थापना संशोधित रूप में लागू करनी पड़ेगी अतः इस बात पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री जाधव** : मजदूरों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व कैसे दान किया जायगा?

†**श्री आबिद अली** : उन के संघ अपने अपने प्रतिनिधि की नामजदगी करेंगे।

†**श्री जाधव** : क्या केवल आज अभिस्वीकृत संघों को ही तिनिधित्व प्रदान किया जायेगा?

†**श्री आबिद अली** : उस के लिये प्रक्रिया बनी हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल अभिस्वीकृत संघों को ही प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

†**श्री आबिद अली** : उन के लिये भी एक विशेष क्रिया है।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में जो अभिस्वीकृत तथा अभिअस्वीकृत संघों में भेद रखा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो केवल जानकारी दे रहे हैं।

†**श्री वाजपेयी** : विवरण के अनुसार किन्हीं विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिये कोई विशेष संशोधन करने पड़ेंगे। मैं स बारे में निश्चित स्थिति जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने श्री बनर्जी के उत्तर में जो कुछ कहा है, वह विवरण में दी गई जानकारी से कुछ भिन्न है।

†**श्री नन्दा** : मैं नहीं समझता कि दोनों में कु अन्तर है। कुछ संशोधन करने पड़ेंगे और इस बारे में विचार किया जा रहा है।

## नागा पहाड़ियों की तुएनसांग यूनिट

†९९६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**डा० राम सुभग सिंह :**
**श्री पांगरकर :**
**श्री कोराटवर :**
**श्री न० रा० मुनिस्वामी :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा पहाड़ियों की तुएनसांग यूनिट में विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने अक्तूबर, १९५८ से फिर से अपनी कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन्हों ने १ अक्तूबर, १९५८ से कुल कितनी बार छापे मारे हैं ;

(घ) उन में जान और माल का कितना नुकसान हुआ है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) से (ङ), सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण के अन्तिम पैरे के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर किस प्रकार का रेलवे विकास कार्य आरम्भ किया गया है उस में उस क्षेत्र के लोगों ने कितना सहयोग दिया है और उस वर्ष कुल निर्धारित १३० लाख रुपयों में से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका**: ब्यौरेवार जानकारी देने के लिये तो मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है, परन्तु इस समय तो मैं यही बता सकता हूं कि इस से वे बहुत सी राशि सड़कों के निर्माण और सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर ही खर्च की जायेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि उन कार्यों में वहां के लोग कितनी सहायता कर रहे हैं और उन पर कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं उन का प्रश्न ठीक प्रकार से सुन नहीं सका।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं यह पूछ रहा हूं कि विकास कार्यों तथा कल्याण-कार्यों का स्वरूप क्या है, उन में उस क्षेत्र के लोग कितनी सहायता कर रहे हैं ? इस वर्ष के लिये कुल १३० लाख रुपये निर्धारित भी थे। अब तक उन में से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक लोगों के सहयोग का सम्बन्ध है, ये विकास योजनायें गांवों के बड़ों के परामर्श और वहां के लोगों की सहायता से कार्यान्वित की जाती हैं। वहां के हालात ऐसे हैं कि वहां पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। हम विकास करना चाहते तो परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब ठीक हालात हों। जहां तक मेरी जानकारी है, वहां के लोग अब पर्याप्त सहयोग दे रहे हैं और वे इस प्रकार के विकास-कार्यों की सफलता के लिये बड़े उत्सुक हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या समाचार पत्रों की इस खबर में कोई सच्चाई है कि श्री फिजो पाकिस्तान के सैनिक प्रशासन को सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे हैं; और यदि हां, तो नागाओं और फिजो में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर प्रकार के सम्पर्क को रोकने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी तो यह जानकारी थी कि श्री फ़िज़ो बहुत समय तक पूर्वी पाकिस्तान और अधिकतर ढाके में रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि उसमें और अन्य लोगों में गुप्त रूप से क्या क्या बात चीत हुई थी। परन्तु यह निश्चित है कि वह वहां पर था। उस समय हमें यह ज्ञात हुआ कि वह किसी विदेश में चला गया है। वह निश्चित रूप से कहां है, यह कुछ पता नहीं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या नागा विद्रोहियों के आक्रमणों की रोकथाम करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बारे में विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में धीरे-धीरे कार्यवाही की जा रही है। वहां पर इसके लिये सैना मौजूद है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या उस समय से जब से कि जूनियर अफसरों को शक्ति सौंपी गयी है, स्थिति में कुछ सुधार हुआ हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है, परन्तु दो तीन घटनायें हो गयी थीं जिनका उल्लेख विवरण में कर दिया गया है । उन में से एक घटना बहुत चिन्ताजनक थी, जिसमें हमारी ग्रामीण गार्डों का एक छोटा सा दल विद्रोही नागाओं के एक बहुत बड़े दल द्वारा घेर लिया गया था और उन से उनके हथियार छीन लिये गये थे । हमारा अनुमान है कि इस घटना में एक दो ग्रामीण गार्डों ने हमें धोखा दिया है । फिर भी अब हम अधिक सचेत हो गये हैं ।

**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या सरकार को ज्ञात हैं कि हाल ही में मोकुवचांग के निकट लांगचाग में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें शान्तिप्रिय और विद्रोही दोनों प्रकार के नागाओं ने भाग लिया था; और यदि हां, तो उस सम्मेलन में किस-किस बात पर क्या-क्या विचार किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, हां । हमें कुछ रिपोर्टें मिली हैं, और उनसे यह ज्ञात होता है कि कुछ एक विद्रोही नागाओं ने अपनी विचारधारा का प्रचार करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उन्हें उसमें कोई सफलता नहीं मिली । उन्हें, वास्तव में, यह बता दिया गया था कि भविष्य में उनकी बातों को--उन्होंने काफी गड़बड़ी की थी--सहन नहीं किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सरकार को ज्ञात है कि उपद्रवी नागाओं द्वारा आसाम की सीमा पर बड़े पैमाने पर किये जाने वाले आक्रमणों से लोगों की जान और माल का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है; और यदि हां, तो जान और माल की रक्षा करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें बड़े पैमाने पर होने वाले आक्रमणों के बारे में तो जानकारी नहीं मिली है । हां, छोटे छोटे आक्रमणों के बारे में तो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । आसाम पुलिस ने उनके बारे में अवश्य ही कार्यवाही की होगी ।

†**श्री हेम बरूआ :** विवरण में बताया गया है कि हाल में तीन घटनायें हुई थीं, परन्तु उसमें एक महत्वपूर्ण घटना को छोड़ दिया गया है जो कि मनीपुर के उत्तरपूर्वी भाग में हुई थी जिसमें एक टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया गया था । यह घटना ३ अक्तूबर को हुई थी । मैं हैरान हूं कि उस घटना को छोड़ क्यों दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वास्तव में इस प्रश्न की शब्दावली कुछ ऐसी थी कि हम ने सोचा कि शायद मनीपुर के सम्बन्ध में उसमें नहीं पूछा गया है । और सम्भवतः इसीलिये इस घटना का विवरण में उल्लेख नहीं किया जा सका ।

†**श्री हेम बरूआ :** परन्तु यह विद्रोहपूर्ण कार्यवाही है । इसे कैसे छोड़ा जा सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह तो ठीक है । परन्तु प्रश्न में तो केवल नागा पहाड़ी तुएनसांग यूनिट के सम्बन्ध में पूछा गया था और मनीपुर उसमें नहीं आता ।

†**श्री हेम बरूआ :** मैंने अपने मूल प्रश्न में सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले नुकसानों के सम्बन्ध में पूछा था और मनीपुर भी सीमावर्ती क्षेत्र है, अतः उसका उल्लेख करना भी आवश्यक था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे स्मरण है, माननीय सदस्य ने आसाम के सम्बन्ध में पूछा था और हमारा उत्तर भी आसाम के ही सम्बन्ध में है। पर हां यह सच है कि मनीपुर में एक दो अवसरों पर लूट की घटनायें हुई हैं, परन्तु उनके सम्बन्ध में मेरे पास कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं।

## ऊन तैयार करने के केन्द्र

*९९७. **श्री पद्म देव :**
**श्री रा० चं० माझी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८-५९ में ऊन तैयार करने के केन्द्र स्थापित करने की योजना अन्तिम रूप से तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये केन्द्र कहां-कहां बनाये जायेंगे और इन्हें स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है।

### विवरण

(क) ऊन तैयार करने का केन्द्र स्थापित करने की योजना की मंजूरी भारत सरकार ने जुलाई १९५६ में दी थी।

(ख) उक्त योजना को मद्रास तथा मैसूर राज्य की सरकारों ने मिलकर प्रस्तुत किया था। योजना की अनुमानित लागत १३,१०,२५० रु० है जिसे मद्रास और मैसूर की राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार बराबर-बराबर उठायेंगी। योजना को मद्रास सरकार क्रियान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य ड्रगेट बनाने के लिये अच्छी किस्म का ऊनी तागा मुहैया करना है। अनुमानित लागत का ब्यौरा निम्न है :—

| | |
|---|---|
| (१) इमारत की लागत | ४,२०,२५० रु० |
| (२) मशीनों की लागत | ५,९०,००० रु० |
| (३) संचालन पूंजी | ३,००,००० रु० |
| योग | १३,१०,२५० रु० |

भारत सरकार ने १९५८-५९ के साल में २ लाख रु० अनुदान के रूप में दिया है।

(ग) यह केन्द्र विन्नामंगलम् (उत्तरी अर्काट जिले) में स्थापित किया गया है। इमारत का निर्माण हो चुका है और आवश्यक मशीनें प्राप्त करने में भी कुछ प्रगति हुई है। इस केन्द्र पर ३०-९-१९५८ तक ५,३०,७९३ रु० खर्च किया जा चुका है। आशा है कि केन्द्र अप्रल, १९५९ तक चालू हो जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

## ऊन तैयार करने का उद्योग

†*१०३१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के उत्तर अर्काट ज़िले में ऊन तैयार करने के उद्योग में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर लगभग कितना खर्च आयेगा और उससे कितना उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार इस उद्योग की सहायक वस्तुओं के उत्पादन के उद्योग के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो वह उद्योग कहां पर स्थापित किया जा रहा है; और

(ङ) क्या मद्रास राज्य के उत्तर अर्काट ज़िले के वलाजपेत नगर में इसी प्रकार का एक उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

### विवरण

(क) उत्तर अर्काट ज़िले के विन्नमंगलम् नामक स्थान के ऊन तैयार करने वाले केन्द्र की इमारत का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है । लगभग १,५०,००० रुपयों की कीमत के उपकरण और मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और आशा है कि उन मशीनों आदि को फिट करने का काम दिसम्बर, १९५८ तक पूरा हो जायेगा । आशा है कि कारखाने का कार्य अप्रैल, १९५९ तक प्रारम्भ हो जायेगा ।

(ख) अनुमान है कि उस पर कुल १३,१०,२५० रुपयों का खर्च हो जायेगा । उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य यह है—३०,००० वर्ग गज़ गलीचों के लिये टैनरी वूल तैयार करना ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी, हां । वलाजपेत में ऊन तैयार करने का केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना प्राप्त हुई थी और विन्नमंगलम् में केन्द्र स्थापित करने से पहले उस पर विचार किया गया था ।

†**श्री द्वासप्पा** : क्या यह सच नहीं है कि यह योजना आठ वर्ष पहले प्रस्तुत की गयी थी । परन्तु अभी तक केवल उसकी इमारत ही तैयार की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि उसकी मशीनों को अभी तक फिट क्यों नहीं कराया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह योजना तो दक्षिण भारत में ऊन उद्योग के विकास सम्बन्धी व्यापक योजना का एक अंग है। अत: विभिन्न योजनाओं का विचार तो बहुत पहले से ही कर लिया गया था. परन्तु उन्हें व्यावहारिक रूप केवल १९५६ में दिया गया था । उसके बाद फिर मद्रास सरकार से भूमि का भी अधिग्रहण करना था । अब भूमि प्राप्त हो गयी है और वहां इमारत भी खड़ी कर दी गयी है । उसके लिये लगभग १,५०,००० रुपयों की मशीनरी भी खरीद ली गयी है, और आशा है कि १ अप्रैल, १९५९ से वह कारखाना अपना काम भी प्रारम्भ कर देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दासप्पा : परियोजना की १३ लाख रुपयों की कुल लागत में से ५ लाख रुपयों की राशि मशीनरी के लिये निर्धारित की गयी थी। परन्तु अभी तक केवल १।। लाख रुपयों की मशीनरी मंगवायी गयी है। यदि शेष मशीनें भी नहीं मंगवायी जायेंगी, तो कारखाने म उत्पादन-कार्य कैसे प्रारम्भ होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : केवल १।। लाख रुपयों की मशीनें पहुंची हैं, शेष मशीनें आ रही हैं। आर्डर तो सभी के लिये दे दिये गये हैं। इस समय सभी कुछ तैयार है। आशा है कि १ अप्रैल १९५९ तक उत्पादन-कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि हिमाचल प्रदेश, कुल्लू और गढ़वाल के पहाड़ों नें बहुत ज्यादा ऊन होती है और इस लिए क्या वहां के लिए भी कोई ऐसी योजना है---क्या वहां भी एक ऐसा सेण्टर स्थापित किया जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक इस सेण्टर का ताल्लुक़ है, यह पहला प्रासेसिंग सेण्टर होगा, जिस के द्वारा टैनरी वूल को प्रासेस किया जायगा, जिससे कि साउथ इण्डिया की ड्रगेट इंडस्ट्री को अच्छी तरह से मदद मिल सकेगी। जहां तक माननीय मन्त्री के हिमाचल प्रदेश के लिए कहने का सवाल है, उसके लिए सरकार ने काफ़ी कोशिश की है। अभी फ़िल्हाल हम शाडी वूल स्पिनिंग प्लान्ट स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं और शायद वह मंजूर हो जाये।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जोगेन्द्रनगर में बहुत सालों से एक मशीन पड़ी हुई है, जिस पर लाखों रुपया खर्च किया हुआ है ? वह वहां पर बेकार ज़मीन को रोके हुए है। क्या उस ऊन की मशीन का कुछ उपयोग किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : हर एक मशीन का उपयोग किया जा सकता है। जहां कोई मशीन पड़ी हो और उसका इस्तेमाल न किया जा रहा हो, तो हम उस को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सारे हिन्दुस्तान की सब मशीनरी को भारत सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इस सम्बन्ध में मेम्बर साहब उस इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें, जहां से कि वह आते हैं। हम भी उससे बात करेंगे और उस मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री पद्म देव : माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल सरकार तो सेण्टर का ही हिस्सा है।

श्री मनुभाई शाह : सरकार तो सभी जगह एक ही है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। यह उनकी ज़िम्मेदारी है। हम भी उन को कह सकते हैं और मेम्बर साहेबान भी कह सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किससे पूछना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अब कोई अलग विधान मण्डल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये माननीय मन्त्री को समय चाहिए। जिम्मेदारी को छोड़ने का लाभ नहीं है।

†श्री मनुभाई शाह : मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ नहीं रहा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं कि भारत के अन्य भागों में रखी मशीनों को केन्द्रीय सरकार नहीं चलायेगी। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मामले पर बातें करेंगे और देखेंगे कि मशीनों से काम लेना शुरू कर दिया गया है। उसी प्रकार माननीय सदस्य स्थानीय प्रशासन का ध्यान उस ओर आकर्षित करा सकते हैं क्योंकि उनको उस क्षेत्र की जानकारी है।

†श्री रा० चं० माझी : प्राक्कलित व्यय की कितनी-कितनी धनराशि केन्द्र तथा राज्यों की है ?

†श्री मनुभाई शाह : आधी-आधी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : मुझे पता लगा है कि उत्तर अर्काट जिले के विन्नमंगलम् स्थान में प्रारम्भ किये जाने वाले ऊन तैयार करने वाले केन्द्र में गलचों का उत्पादन लक्ष्य ३०,००० वर्ग गज रखा गया है। क्या ऊन (टैनरी वूल) मैसूर के निकटस्थ क्षेत्रों से तथा उत्तर अर्काट, मिची, तथा मदुरा जिलों से ली जायेंगी अथवा केवल उत्तर अर्काट जिले से ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सारे दक्षिण भारत से ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं समझता हूं कि सरकार का निर्देश टैनरी वूल की ओर है। जीवित पशुओं पर से उतारी गई ऊन के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसी पर गन्दा ऊन उद्योग आधारित है। यह घटिया किस्म की ऊन के बारे में है। यह बेकार चली जाती थी। इसलिए हमें इसका पुनः परिष्करण करके इसको उपयोगी बनाते हैं।

**श्री अ० मु० तारिक** : क्या हुकूमत को यह इल्म है कि ऊन की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्मीर का मौसम बेहतरीन है और जब हम लाखों रुपए की कीमत की अंगोरा वूल हिन्दुस्तान में लाते हैं, तो क्या हुकूमत के पेशे-नज़र कोई ऐसी तजवीज़ है कि अंगोरा गोट को लाकर काश्मीर में ऊन की पैदावार बढ़ाई जाये ?

**श्री मनुभाई शाह** : काश्मीर के लिए भी कोशिश की जा रही है। चूंकि यह सवाल सिर्फ़ वूल प्रासेसिंग सेण्टर का था, इस लिये जवाब भी इसी बारे में दिया गया है। जैसा कि यह हाउस जानता है, हम सारे हिन्दुस्तान की वूल इंडस्ट्री के लिए स्कीम बनाते हैं। हम वूलन लूम्ज़, टाप वूल, शाडी वूल वगैरह हर किस्म की वूल को बढ़ाने में मदद करते हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : १९५० में इसके आरम्भ करने से पूर्व सरकार न स्वयं आश्वासन दिया था कि व लाजापेट में एक और ऊन परिष्करण केन्द्र खोला जायेगा तथा यह कहा गया था कि यह शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। इसको आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस सम्बन्ध में और कोई विकास कार्य करने से पूर्व इस केन्द्र के अनुभवों पर विचार किया जायेगा। परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहता हूं हम देश के सभी छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए उत्सुक हैं तथा जब भी सम्भव होता है हम उस पर विचार करते हैं और धीरे धीरे उसका विकास करते हैं।

**श्री भक्तदर्शन** : श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि हिमालय के क्षेत्र में, जहां काफ़ी ऊन होती है, इस तरह के प्रासेसिंग सेन्टर स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से स्थानों पर वह सेन्टर स्थापित करने का विचार किया जा रहा है और कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

**श्री मनुभाई शाह** : मैं समझता हूं कि मेरे कहने में या माननीय सदस्य के सुनने में कुछ गलत-फहमी हुई है। जहां तक वूल प्रासेसिंग सेण्टर का ताल्लुक है वह तो साउथ इण्डिया में ही लग सकता है क्योंकि ज्यादा टैनरी वूल वहां होती है। जहां तक उस प्रदेश का ताल्लुक है जहांसे माननीय सदस्य आते हैं, वहां पर तो और अच्छी किस्म की वूल होती है जिस को हम प्रासेस कर रहे हैं और वह काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी हो रही है और उससे काफी लोगों की रोज़ी भी मिली हुई है। उस की हम अलग-अलग तरीकों से इमदाद कर रहे हैं।

---

†वूल अंग्रेजी में
[1]Wool Processing Centre.

†**श्री दासप्पा :** इस केन्द्र में ऊन के प्रासे संग (विधायन) का अच्छा उपयोग उठाने के लिये, क्या सरकार ऊन का एक डिज़ायन संगठन स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है जिससे अच्छे किस्म की ऊन का उत्पादन हो सके ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां। इस केन्द्र में उचित डिज़ाइन बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी जिससे अच्छे किस्म की ऊन बनाई जा सके।

## उत्तर कुजामा कोयला खान में दुर्घटना

†*९९८. **श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री प्र० चं० बोस :**
**श्री सुबिमन घोष :**
**श्रीमती मफीदा अहमद :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५८ में उत्तर कुजामा कोयले की खान में कोयले की मोटी पट्टी में खम्भे हटाने के कार्य में छत गिर गई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) कितने मज़दूर मरे तथा कितने घायल हुए ;

(घ) प्रभावित परिवारों को कितना प्रतिकर दिया गया ; और

(ङ) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच करने का विचार है अथवा जांच की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां।

(ख) भूमितल से लगभग १७५ फुट नीचे एक पट्टी (सीन) के नीचे के भाग में एक खम्भे को निकालने के समय ऊपरी भाग की छत गिर गई। इससे ऊपर तथा नीचे के भाग के बीच का भाग नष्ट हो गया और नीचे के भाग में काम करने वाले आठ मज़दूर वहीं पर फंस गए।

(ग) सात मज़दूर वहीं पर मर गए तथा एक घायल हो गया जो एक सप्ताह बाद मर गया।

(घ) कामगार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। इसको राज्य सरकार लागू करती है। दी गई धनराशि के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

(ङ) खनिज निरीक्षणालय ने १० तथा ११ अक्तूबर, १९५८ को दुर्घटना की जांच की थी।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या कोई तदर्थ प्रतिकर दिया गया था? क्या कोयले की खान वालों ने मजदूरों के प्रत्येक परिवार को २०० अथवा १०० अथवा ५०० रुपये दिये थे।

†**श्री आबिद अली :** जी हां। कोयला खान कल्याण निधि में कुछ धन दिया था तथा मालिकों ने भी कुछ धन दिया था ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है अथवा दिया जा रहा है और क्या उसको सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : जांच निरीक्षक ने की थी तथा उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस को सभा-पटल पर रखने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस दुर्घटना में आठ व्यक्ति मर गये तथा तब एक निरीक्षक ने अकेले जांच क्यों की ? न्यायिक जांच क्यों नहीं की गई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री आबिद अली** : हम इस पर विचार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस पर विचार करेंगे और अधिक गोपनीयता न होने पर उसे सभा-पटल पर रख देंगे।

†**श्री प्र० चं० बोस** : खम्भे हटाना बड़ा खतरनाक काम है। पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाहियों से दुर्घटनायें रोकी जा सकती हैं। क्या मितव्ययिता करने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी ?

†**श्री आबिद अली** : जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि यह केवल एक दुर्घटना थी। वर्ष में सात बार इस खान की जांच की गई थी। निरीक्षक की राय है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैंने मंत्री महोदय से प्राय : पूछा है कि हमारी सुरक्षात्मक कार्यवाहियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं अथवा नहीं। मैं चाहता हूं कि वह एक विवरण सभा-पटल पर रखें जिसमें बताया गया हो कि हमारी कार्यवाहियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं अथवा नहीं ?

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने एक समिति नियुक्त की है जो खानों में और अधिक सुरक्षात्मक कार्यवाहियां बतायेगी। संभवतया इस समिति की बैठक आगामी माह में होगी। ज्योंही निर्णयों को अन्तिम रूप दिया जायेगा, हम प्रतिवेदन सभा के समक्ष रख देंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह निरीक्षण खान निरीक्षक ने किया था इस लिए क्या सरकार यह ठीक समझेगी कि जांच के लिए हमेशा एक समिति नियुक्त की जाय जो खान विभाग से स्वतंत्र हो क्योंकि खान विभाग का इससे सम्बन्ध रहता है। संभव है कि निरीक्षण में उनका ध्यान इस ओर न गया हो। क्या वह यह ठीक समझेंगे कि इस प्रकार की प्रत्येक दुर्घटना जांच स्वतंत्र जांच समिति करे।

†**श्री आबिद अली** : बड़ी दुर्घटना की जांच के लिए ही जांच समिति नियुक्त की जाती है।

†**श्री जयपाल सिंह** : बड़ी दुर्घटना किस प्रकार की होती है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : बड़ी दुर्घटना किस प्रकार की होती है ?

†**श्री आबिद अली** : इसको बड़ी दुर्घटना नहीं समझा गया।

†**श्री स० म० बनर्जी** : आठ आदमी मर गए। (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कितने आदमी मरते तो दुर्घटना को बड़ी माना जाता ?

†**श्री आबिद अली** : अधिक संख्या में। इसमें केवल आठ आदमी मरे थे।

†**कुछ माननीय सदस्य** : केवल आठ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : पहला प्रश्न यह था कि हमारी सुरक्षात्मक कार्यवाहियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं अथवा नहीं। इससे सम्बन्धित विधि को हमने हाल में ही संशोधित किया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप का बनाया है। परन्तु फिर भी विशेषज्ञों की एक समिति इस समस्या पर विचार कर रही है तथा आवश्यक सुधारों के लिए और सिफारिशें आ रही हैं। जिस दुर्घटना में अधिक संख्या में लोग मर जायें उसकी जांच की जाती है। अथवा यदि हमें थोड़ा सा भी संदेह हो जाये कि कुछ गड़बड़ी है तो माननीय सदस्यों के सुझाव के अनुसार जांच की जाती है।

†**श्री त्रिविक्रम कुमार चौधरी** : क्या सरकार को प्राप्त खान निरीक्षक के प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कुछ बताया गया है कि पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाहियां की गई थीं तथा खान समवाय ने कोई ढ़ीलढ़ाल का काम नहीं किया था ?

†**श्री नन्दा** : जी हां। प्रतिवेदन में ऐसा बताया गया है। १९४७ से कोयले की खानों का इतिहास बड़ा सुन्दर है। बहुत थोड़ी दुर्घटनायें हुई हैं तथा प्रबन्ध अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। इस मामले में भी, पता लगा है कि उनको कोई असामान्य बात नजर नहीं आई है। थोड़ी अवधि में विभाग ने कई निरीक्षण किए थे। क्योंकि माननीय सदस्य की इस ओर रुचि है इस लिए हम इस मामले पर पुनः ध्यान देंगे।

†**श्री प्र० चं० बोस** : खम्बे को हटाने के कार्यों में दुर्घटना रोकने के लिए बालू का भरण होता है। क्या सरकार का विचार खम्बे हटाने के सभी मामलों में अनिवार्यत : बालू का भरण करने का विचार है।

†**श्री नन्दा** : इस प्रश्न को भी हम सिफारिश के लिए समिति को सौंप देंगे।

## भारत में औषधि बनाने का संयंत्र

†*९९९. **श्री श्री नारायण दास :**
**श्री अनिरुद्ध सिंह :**
**श्री अरविन्द घोषाल :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका की जान्सन एण्ड जान्सन कम्पनी को भारत में औषधि बनाने का संयंत्र स्थापित करने की अनुमति मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें भारतीय पूंजी भी लगेगी ;

(ग) यदि हां तो कितनी भारतीय पूंजी लगेगी ; और

(घ) किस प्रकार की तथा कितनी औषधियां बनाई जायेंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (घ). मैसर्स जान्सन एण्ड जान्सन को कुछ सरजरी, अस्पताल तथा औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) जी हां।

(ग) अंश पूंजी का २५ प्रतिशत।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्री नारायण दास : क्या यह संयंत्र निकट भविष्य में चालू हो जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यह चालू हो गया है ।

†श्री श्री नारायण दास : इसमें निर्मित वस्तुओं के मूल्यों की तुलना, विदेशों से आने वाली वस्तुओं के मूल्यों से किस प्रकार होगी ।

†श्री मनुभाई शाह : तीन महीनों से इसमें उत्पादन होने लगा है । जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके आधार पर तुलना की जाये तो हमारे पक्ष में आती है । बहुत अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है ।

†श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मेसर्स जान्सन एण्ड जान्सन ही ऐसा समवाय था जिसने देश में औषधि संयंत्र स्थापना की भारत सरकार से अनुमति मांगी थी । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वह अपने देश में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ;

†श्री मनुभाई शाह : दो और समवायों को अनुज्ञप्तियां दी गई है जो पूर्णतः भारतीय है । इस प्रकार यह तीन हो जाती हैं । मैसर्स जान्सन एण्ड जान्सन विश्वविख्यात फर्म है । जो औषधि नहीं बनाती अपितु सरजरी तथा अस्पताल का सामान जैसे दांत के ब्रुश, बेबी पाउडर, तथा अन्य बेबी सामान बनाती है । मेरे विचार से यह ६८ वर्ष पुरानी संस्था है ।

†श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह समवाय विवरण में बताये गये शल्य चिकित्सा के उपकरणों तथा औषधियों का निर्माण करेगा अथवा हमारी देशी संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले शल्य चिकित्सा के उपकरणों तथा औषधियों का भी निर्माण करेगा ; यदि हां तो देशी उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : सभा को पता है कि उद्योग अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति वाला प्रत्येक मद सरकार के समक्ष आता है । सरकार की अनुमति के बिना कोई भी एकक उद्योग में नये मद का उत्पादन शुरू नहीं कर सकता है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने जिन वस्तुओं की स्वीकृति दी है, सार्थ उन्हीं का निर्माण करेगा । समवाय की बढ़ोत्तरी आदि पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा । जब भी किसी मामले पर विचार होता है हम यह जांच करते हैं कि क्या इससे वर्तमान अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

†श्री अरविन्द घोषाल : इसमें भारतीय अंश कितना है तथा कहां पर लगा है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैसर्स किशोर प्रेमचन्द का इसमें २५ प्रतिशत अंश है ।

†अध्यक्ष महोदय : कहां पर ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बम्बई में है ।

†श्री जयपाल सिंह : रूस से पांच औषधि तथा भैषजिक परियोजनायों की स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है, क्या सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रार्थना पर कि इन पांच औषधि तथा भैषजिक परियोजनाओं में से चार उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जायें, कोई निर्णय कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बड़ा सीमित प्रश्न था जो चिपकने वाले टेपों तथा अन्य प्रकार के अस्पताल तथा सर्जरी के उपकरण को बनाने के बारे में था। माननीय सदस्य ने जो यह पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पांच रूसी औषधि परियोजनाओं में से चार वहां पर स्थापित किए जायें ; मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन नहीं आया है। सभी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार समेत, इस बात के लिये उत्सुक हैं कि उनके राज्य में एक अथवा अधिक संयंत्र स्थापित किए जायें।

†**श्री रंगा** : क्या इस विचार में कोई तथ्य है कि इन पांच में से चार उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : किसी भी संयंत्र को कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। परन्तु संयंत्र स्थापना के लिए कई बातों—जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, खपत के बाज़ार की निकटता, आदि पर विचार किया जाना होता है। उसके अलावा भारत जैसे फेडरल देश में भारी उद्योगों के प्रादेशिक वितरण पर भी विचार करना होगा।

**कुछ माननीय सदस्य** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य नीति का मामला है।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस तथ्य के आधार पर कि क्या माल उत्तर प्रदेश के तराई तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में मिल सकता है, इनका स्थान परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के लिये तर्क कर रहे हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरा निवेदन है कि केवल क्षाराय[1] परियोजना ही नहीं है। पांच परियोजनायें ऐसी हैं जो संश्लेषित औषधियों पर आधारित हैं। फिर कुछ क्षाण्य पर आधारित हैं। जहां तक क्षाराय का सम्बन्ध है माननीय सदस्य की जानकारी ठीक है और वह भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में मिलता है।

## रेयन कारखानों के मज़दूर

†***१०००. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ मार्च १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेयन कारखानों के मज़दूरों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव का अध्ययन करने के सर्वेक्षण के बारे में प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है; और

(ग) इस मामले में कार्यवाही कब प्रारम्भ की जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रतिवेदन जो छप रहा है मिल जाने पर।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Alkaloid.

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : इस उद्योग में कुछ हज़ार मज़दूर हैं तो इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । यह छप रहा है । प्रतियां मिलने पर इसकी जांच होगी तथा विचार किया जायेगा ।

†**श्री आसर** : क्या सरकार जानती है कि कारखानों की गैस तथा धुएं के कारण रेयन कारखानों के निकट रहने वाले मनुष्यों को भी बड़ी कठिनाई हो रही है ; तथा यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

†**श्री नन्दा** : प्रतिवेदन पर विचार से यह प्रश्न उठता है ।

†**श्री राधे लाल व्यास** : क्या यह सच है कि उन रेयन कारखानों जिन में रेयन का रेशा बनाया जाता है के मज़दूरों के स्वास्थ्य पर अधिक हानिकर प्रभाव होता है तथा भारत में रेयन का रेशा बनाने के कितने कारखाने हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: चार रेयन कारखानों में लगभग ३७,००० मज़दूर हैं जिनके बारे में जांच कर ली गई है तथा यह सच है कि मज़दूरों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर होता है । इसी लिये जांच की गई थी तथा जांच समिति से अच्छे परिणाम निकलने की आशा है ।

**श्री रा० क० वर्मा**: क्या श्रीमान् यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी शिकायत आई है कि रेयन फैक्ट्री के सी० एस० नं० २ में काम करने वाले वकर्स की ज्ञानेन्द्रियों ने काम करना बन्द कर दिया है ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : काम बन्द करने की शिकायत तो नहीं आई लेकिन फैक्ट्रियों में मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है । इस के लिये जांच हुई थी और उन की हालत सुधरने वाली है ।

†**श्री वे० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया कि इन संयंत्रों में काम करने वाले मज़दूरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । क्या सरकार को पता लगा है कि इससे क्या बीमारी फैलती है ?

†**श्री नन्दा** : अध्ययन इसीलिये किया गया था जिससे रोग का तथा मज़दूरों के स्वास्थ्य पर उसके असर का पता लग सके ।

†**श्री वें० प० नायर**: मैं इस व्यवसाय के रोगों का नाम जानना चाहता था ।

†**श्री नन्दा** : वह प्रतिवेदन में दिये हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : रोग का नाम नहीं दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रतिवेदन पढ़े ।

**रेशम के कीड़े पालने का उद्योग**

†*१००१. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में लगे मजदूरों की सेवा की शर्तों के प्रश्न पर जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस प्रश्न की जांच के लिये एक समिति स्थापित की थी । समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर बोर्ड विचार कर रहा है ।

†**श्री केशव** : यह प्रतिवेदन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सामने विचारार्थ तथा जांच के लिये प्रस्तुत किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां ।

†**श्री केशव** : कब प्रस्तुत किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चार महीने पहले प्रस्तुत किया गया था ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह समिति आसाम, उड़ीसा तथा दक्षिण बिहार गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां; जिन माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न पूछा है वह समिति के सभापति के तथा इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हमें उनका परामर्श मिल चुका है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में कितने प्रतिशत मज़दूर ऐसे हैं जो निजी रूप से काम करते हैं तथा कितने गैर-सरकारी नियोजकों के अधीन हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति ने इन विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है तथा मेरी प्रार्थना है कि प्रतिवेदन पर रेशम बोर्ड की सिफारिशों तथा उस पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें क्योंकि उसको सभा पटल पर रखा जायेगा ।

## जूतों का निर्यात

\+

†*१००२. **श्री रा० चं० माझी :**
**श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री अनिरुद्ध सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा पोलेन्ड के जूतों के संभरण के आर्डर पूरे कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष रूस तथा पोलेन्ड को कितने जोड़े जूतों का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या इन देशों से दुबारा जूते भेजने के आर्डर मिले हैं; तथा यदि हां तो कितने जोड़ी जूतों के तथा कितने मूल्य के;

(घ) क्या किसी अन्य देश से भी जूतों के संभरण के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) कितने जूतों का तथा कितने मूल्य के जूतों का संभरण किया जायेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). १९५६ तथा १९५७ में रूस ने ९ लाख जोड़ी जूतों के आर्डर दिये थे जिनको पूरा कर दिया गया है। केवल ६,००० जोड़ी जूते भेजने बाकी हैं। १९५८ के ठेके, जो लगभग २$^{1}/_{2}$ लाख जोड़ी जूतों के हैं, में से अभी कुछ नहीं भेजा गया है।

१९५७ में पोलण्ड ने लगभग आधे लाख जोड़ी जूतों का आर्डर दिया था जिसमें से लगभग २१,००० जोड़ी जूते भेज दिये गये हैं तथा शेष आर्डर रद्द कर दिया गया है।

(ग) रूस ने हाल में ही २$^{1}/_{2}$ लाख जोड़ी जूतों का और आर्डर दिया है। पोलेन्ड ने १९५८ में कोई आर्डर नहीं दिया है।

(घ) और (ङ). जी हां, जर्मन गणतंत्र, बल्गारिया तथा यूगोस्लाविया से बातचीत हो रही है और नमूने भेजे जा चुके हैं। परीक्षण के रूप में जर्मन गणतंत्र ने लगभग १$^{1}/_{2}$ लाख रुपये के जूतों का आर्डर दिया है। एक ठेका भी किया जा रहा है।

†**श्री रा० चं० माझी** : छोटे पैमाने के एकक के द्वारा आर्डर का कितने प्रतिशत माल भेजा गया है ?

†**श्री कानूनगो** : लगभग ५० प्रतिशत।

†**श्री रा० चं० माझी** : रूस से वापस लौटे जूतों को क्या राज्य व्यापार निगम ने निबटा दिया है यदि हां, तो इसमें क्या हानि हुई ?

†**श्री कानूनगो** : कुछ जूते अस्वीकृत जूते घोषित कर दिये गये हैं जिनको बेचा जा रहा है। मामले पर बातचीत की जा रही है तथा बातचीत के पश्चात् यह तय किया जायेगा कि इन को देश में बेचा जाये अथवा नहीं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: इस निगम द्वारा अनुभूत कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा क्या यह सच है कि रूस से लौटे जूते एक पैर के जूते हैं अर्थात् जूतों के जोड़े ठीक नहीं बनाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन जूतों को घटिया किस्म के होने तथा जूतों में कोई खराबी होने के कारण वापस नहीं भेजा गया है। रूस एक विशेष प्रकार के जूते चाहता था और हमने इनको नमूने के रूप में भेजा था। परन्तु बाद में कुछ प्रकार के जूतों के स्थान पर उन्होंने दूसरी प्रकार के मांगे जिनको हम थोड़ी अवधि में नहीं बना सकते थे। दोनों देशों की सरकारों ने बराबर सहयोग दिया है तथा जो थोड़े से जूते, उस प्रकार के नहीं हैं जिस प्रकार के उन्होंने मांगे थे, उनकी अपने देश में खपत करने के बारे में वे विचार कर रही हैं। हम छोटे पैमाने के उद्योग में एक गुण चिन्हांकन योजना चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो आगरा, कानपुर तथा विभिन्न अन्य बड़े नगरों में प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जूतों की स्टेंण्डर्ड किस्म में कोई खराबी न आने पाये और निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके क्योंकि यह एक ऐसी मद है जिससे हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : ३१ अक्तूबर को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में अनबिके जूतों का कितना स्टाक था तथा उन जूतों को किस प्रकार निकालने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** विभिन्न करारों के अन्तर्गत विभिन्न सार्थों से जूते उपलब्ध हैं। यह आवश्यकता से अधिक है अथवा नहीं इसका निर्णय १९५८ के संविदे पूरे होने के पश्चात् किया जायेगा।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या इस प्रकार के आर्डर प्राप्त करने और उनकी पूर्ति के लिये सहकारी समितियों को सुविधायें दी गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकार की यह नीति है कि छोटे पैमाने के उद्योगों और विशेष रूप से सहकारी जूता निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाये और उनसे माल खरीदा जाये। अतः मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे दूं कि यदि कोई सहकारी समिति राज्य व्यापार निगम को जूते बेचने के लिये तैयार हुई तो हम उन्हें प्राथमिकता देंगे।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** आजकल जो आर्डर हैं उसके कितने भाग की पूर्ति छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों द्वारा की जायेगी और कितने अंश की पूर्ति अन्य उद्योग करेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह:** इस विषय में कुछ आशा नहीं की जा सकती है। हम सदैव छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं; और अधिक अनुपात में उनसे सामान खरीद रहे हैं। मूल संविदे में भी ६ लाख जोड़े जूते में से ३½ लाख जोड़ी जूते छोटे पैमाने के उद्योगों से खरीदे गये हैं और केवल २ से २½ लाख जोड़ी जूते बड़े उत्पादकों से लिये गये हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या यह सच है कि फैक्टरियों में बने जूतों का अधिकांश भाग बाटा शू कम्पनी से लिया गया था और यदि हां, तो उन जूतों का कितना प्रतिशत था ?

†**श्री कानूनगो :** बाटा शू कम्पनी से कुछ नहीं खरीदा गया था।

†**श्री महागांवकर :** अब तक कितनी सहकारी समितियों ने रूस को जूते संभरित किये हैं ?

†**श्री कानूनगो :** यह सौदा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया है। यह सामान सहकारी समितियों और विभिन्न केन्द्रों में अनेक छोटे पैमाने के उत्पादकों से प्राप्त करता है। जिन विभिन्न स्रोतों से यह जूते खरीदे गये हैं उनको अलग अलग बताना सम्भव नहीं है। इन वस्तुओं को खरीदने और देने का उत्तरदायित्व निगम पर है क्योंकि इसे विशेष रूप से सहकारी समितियों और छोटे पैमाने के औद्योगिकों की सहायता करने के लिये ही स्थापित किया गया है।

†**श्री काशीनाथ पांडे:** जिन बड़े उद्योगों ने अपने यहां, बनने वाले जूतों का उत्पादन न कर इस आर्डर की पूर्ति के लिये जूते बनाये हैं क्या उन्होंने यह काम छोटे दूकानदारों को दिया था और इसी लिये वह घटिया किस्म के हैं तथा अधिकांश जूतों को रूस वालों ने लेने से मना कर दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह निष्कर्ष सर्वथा सच नहीं है। जूतों की किस्म कम स्टैण्डर्ड वाली नहीं थी। हमने इस दिशा में पर्याप्त सावधानी बरती थी क्योंकि इसका भविष्य समुन्नत है और हम निर्यात किये जाने वाले जूतों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अतः मैं लोकसभा को यह आश्वासन दे दूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यदि किसी निर्माता से उद्योग निगम के जूते खरीदे हैं और वह निर्माता किसी अन्य व्यक्ति के साथ संविदा कर स्टैण्डर्ड माल संभरित करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** रूस में जूतों की ऊंची कीमतें देखते हुए क्या भारत सरकार और रूस की सरकार में इनकी कीमत निर्धारित करने के लिये कोई वार्ता चल रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** जो भी संगठन हमारे पास आता है हम उसे जूते बेचने को प्रस्तुत हैं। हमें इस से कोई मतलब नहीं कि वह किस कीमत पर इन्हें बेचते हैं।

†**श्री वें० प० नायर :** ऐसा क्यों होता है कि अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर कभी एक मंत्री देते हैं और कभी दूसरे मंत्री।

†**अध्यक्ष महोदय :** सब माननीय सदस्य भी तो जानकारी की आशा रखते हैं। इसी प्रकार मंत्री भी संयुक्त तथा अलग अलग रूप में उत्तर दे सकते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हम जिस वस्तु को बेचते हैं उसे अन्यत्र किस कीमत पर बेचा जाता है। क्या भारत सरकार की यही आर्थिक नीति है ?

†**श्री कानूनगो:** यह आर्थिक नीति नहीं है। यदि राज्य व्यापार निगम संतुष्ट हो जाये और उसे अच्छी कीमत मिल जाये तो फिर इन बातों से उन्हें क्या प्रयोजन है कि बाद में इन चीज़ों का क्या दाम मिलता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि सोवियत रूस में, जो हमारे जूते खरीद रहा है, खुदा व्यापार पार्टी का एकाधिकार है। अतः हम इसमें कोई रुचि नहीं रखते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि किसी देश से अधिक कीमत प्राप्त हो सकती है तो हम उसके लिये प्रयत्न क्यों नहीं करें ?

†**श्री कानूनगो :** यह उस देश का आन्तरिक मामला है वहां व्यापार का एकाधिकार है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है; वह केवल हमारे सामान के लिये ग्राहक है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री यह क्यों नहीं कह देते हैं कि हम उस लाभ का हिस्सा नहीं ले सकते हैं ? दूसरा प्रश्न।

## प्रेस परिषद् की स्थापना

\+

†१००४. { **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री नवल प्रभाकर :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १४ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर और उनके द्वारा ७ अप्रैल, १९५८ को सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रेस परिषद् की स्थापना करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** प्रेस कौंसिल की स्थापना के सम्बन्ध में अभी आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

**श्री भक्त दर्शन :** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय इस बारे में जो स्थिति है, उसके आधार पर क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देर से देर कब तक इस बारे में फ़ैसला हो सकेगा ?

**डा० केसकर :** इसके बारे में मैं कोई निश्चित वचन नहीं दे सकता। एक पिछले प्रश्न के जवाब में मैंने माननीय सदस्य को बताया था कि इस सम्बन्ध में जब तक जो दोनों दल हैं, प्रोपराइटर्स और

†मूल अंग्रेजी में

वर्किंग जनरलिस्ट्स, उनमें इस बारे में कोई एक राय होने की आशा नहीं है और जब तक उन दोनों में कोई एक समझौता नहीं हो जाता तब तक हम आगे कोई कदम नहीं उठायेंगे ।

**श्री भक्त दर्शन :** चूंकि समाचार पत्र जगत के यह जो दो विभिन्न दल हैं उनके बीच में कोई समझौता नहीं हो पा रहा है अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों दलों में आपस में समझौता कराने का कोई प्रयत्न किया गया है या प्रयत्न करने का विचार किया जा रहा है ?

**डा० केसकर :** अपने पिछले प्रयत्न में हम सफल नहीं हुए और अब हम और प्रयत्न करने की नहीं सोच रहे हैं ।

**श्री नवल प्रभाकर :** क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जब दोनों दलों में समझौता हो जायगा तब इस प्रेस कौंसिल की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

**डा० केसकर :** पहले समझौता होने दीजिये फिर वह बहुत जल्द बन जायगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** प्रेस आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुए यह तीसरा वर्ष है । फिर सरकार आयोग की स्थापना में इतना विलम्ब क्यों कर रही है ? क्या इसका कारण आधे दर्जन प्रमुख समाचार-पत्रों का असहयोग है ?

†**डा० केसकर:** यदि माननीय सदस्य इस विषय में दिये गये पुराने उत्तरों को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि जब तक हमें श्रमजीवी पत्रकारों की सम्मति नहीं मिल जाती है और प्रोप्राइटर वर्ग उसके प्रति सौहार्द्रपूर्ण मनोभावना का प्रदर्शन नहीं करता है हम इस विषय में एक भी कदम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य इन्हीं निकायों की सहायता करना है । यह व्यवस्था उनके हित के लिये ही की जा रही है । यदि स्वयं उनकी सम्मिति इतने तीव्र रूप में विरुद्ध है तो फिर कानून बनाने का कोई लाभ नहीं होगा ।

†**श्री महन्ती :** प्रेस परिषद् का निर्णय ब्रिटिश ढंग पर किया जा रहा है फिर इसे संविहित लक्षण क्यों प्रदान किया जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं ह ?

†**डा० केसकर :** माननीय सदस्य ने स्वयं ही अपना उत्तर भी दे दिया है । प्रोप्राइटरों की राय माननीय सदस्य के समान ही है और श्रमजीवी पत्रकार तथा प्रोप्राइटरों में यही मतभेद है ।

†**श्री महन्ती :** मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय प्रेस परिषद् को संविहित रूप क्यों प्रदान किया जा रहा है । यह गैर-संविहित स्तर पर क्यों नहीं जा सकती है ?

†**डा० केसकर:** माननीय सदस्य ने प्रेस आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है । उस रिपोर्ट के अनुसार ही सरकार ने इस धारणा पर यह प्रयत्न किया है कि कदाचित् दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हों ।

**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमन्, सन् १९५६ में माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में एक विधेयक रखा था जोकि वहां स्वीकृत भी हो गया था । इसी बीच में पुरानी लोक-सभा भंग हो गई । अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय उसी तरह का विधेयक यहां लाने का विचार कर रहे हैं ताकि उस के बाद दोनों दलो के बीच में समझौता कराने का प्रयत्न किया जा सके ?

**डा० केसकर :** फिलहाल हम कोई ऐसी बात नहीं सोच रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**स्वर्गीय रास बिहारी बोस की भस्म**

+

†१००५. { **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री सुबिमल घोष :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश सचिव ने जापान की अपनी हाल की यात्रा में स्वर्गीय रास बिहारी बोस की भस्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे अपने प्रयास में सफल हु ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). जी हां । विदेश सचिव ने स्वर्गीय श्री रास बिहारी बोस की सुपुत्री, श्रीमती हिगूची से भस्म के एक अंश को भारत लाने के विषय में बातचीत की थी । श्रीमती हिगूची इस पर तैयार हो गई कि वे भस्म को खुद ले कर कलकता आयेंगी और गैर-सरकारी तौर पर बनी रास बिहारी बोस स्मारक समिति को सौंप देंगी । उन के आने की ठीक तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस भस्मी का कुछ अंश दिल्ली में भी रखा जायेगा ताकि यहां पर जो सारे देश के लोग आते हैं वे भी उस को दंड प्रणाम कर सकें ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** जी नहीं, हम इस को पसन्द नहीं करते कि हर जगह स किस्म के मन्दिर बनाये जाय ।

**†राजा महेन्द्र प्रताप :** इस प्रश्न में मेरी गहरी रुचि है । श्री बोस मेरे साथी थे । मेरा विचार है कि सरकार उन के प्रति उचित सम्मान नहीं कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जापान से उन की भस्मी क्रूजर में लाई जायेगी अथवा साधारण स्टीमर में ?

**†श्री सादत अली खां :** मैं माननीय सदस्य को इस विषय की जानकारी नहीं दे सकता हूं । वस्तुतः मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

**मूंगफली की खली की कीमत**

†*१००६. **श्री कोडियान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि निर्यात कोटा की उदार नीति के फलस्वरूप हाल ही में मूंगफली की खली की कीमत हाल ही में काफी बढ़ गई है ;

(ख) क्या न ऊंची कीमतों के परिणामस्वरूप खाद तथा ढोरों की खुराक के रूप में मूंगफली की खली का उपभोग कठिन हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार मूंगफली की खली की कीमतो का नियंत्रण करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

**†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो ):** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी** : यह एक आश्चर्यजनक उत्तर है कि मूंगफली की खली की कीमत नहीं बढ़ी है तथा सरकार इस के बारे में नहीं जानती है। क्या सरकार स बात से अवगत नहीं है कि मूंगफली की खली के निर्यात की सरकारी नीति के परिणामस्वरूप ही यह कृषकों के लिये अत्यन्त दुर्लभ हो गई है और वह कृषि उत्पाद का सुधार नहीं कर सके हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ने उल्लेख किया है कि कीमतें नहीं बढ़ी हैं त्युत वह घट गई हैं ; यही बाजार की रिपोर्ट है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : कीमतें बढ़ना कब बन्द हुइ हैं--कल या आज ?

†**श्री कानूनगो** : विगत दो सप्ताह से बाजार का रूख मंदी की ओर है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : खेती के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है। क्या सरकार स बात से अवगत है कि फसल के समय कीमतें बहुत ऊंची थी और संभवत: यह गत दो सप्ताह में उस समय कम हुई हैं जब कृषि उत्पाद क कर फसल की कटाई प्रारम्भ ो गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## तेल उद्योग

†*१००३. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घानी से तेल निकालने वाला उद्योग म.दी का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के फलस्वरूप उद्योग के कितने यूनिट बन्द हो गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, तेल उद्योग में इस कार की कोई मंदी नहीं है ।

## रुरकेला में औद्योगिक बस्ती

†*१००७. **श्री पाणिग्रही**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९११ के उत्तर के सम्बन में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में औद्योगिक बस्ती की स्थापना के बारे में उड़ीसा राज्य सरकार से विस्तृत स्ताव प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने योजना का प्रविधिक रूप में अनुमोदन कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से नई दिल्ली नगरपालिका के कार्यों का हस्तांतरण**

†*१००८. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के कार्यों का निर्वहन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से हस्तान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस हस्तान्तरण से प्रभावित होने वाले कर्म-भारित कर्मचारियों की कितनी संख्या है ; और

(ग) भावित कर्मचारियों की सेवा की दशाओं को सुरक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका की ओर से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग "निक्षेप कार्य" के रूप में यह निर्वहन कार्य कर रहा है और चूंकि इस कार्य में दोहरे उत्तरदायित्व और अन्य कठिनाइयां हैं यह कार्य नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तान्तरित किये जा रहे हैं । कर्मभारित कर्म-चारियों की कुल संख्या ३०२ है ।

(ग) मुख्य इंजीनियर ने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं कि नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तान्तरित किये गये कर्मचारियों की सेवा की दशाओं को एक वर्ष तक संरक्षण प्रदान किया जाये और इस अवधि के पश्चात् उन्हें इस आशय का विकल्प रहेगा कि वह नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन बने रहें अथवा वरिष्ठता के आधार पर लिये जाने के लिये पुनः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लौट जायें ।

**तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास**

†*१००९. **श्री परूलकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ उद्योगों में भारतीय पूंजी के सहयोग से संयंत्र स्थापित करने के लिये यूरोप और एशियाई देशों में सरकार ने प्रारम्भिक वार्ता का सूत्रपात किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन किन देशों और कौन कौन से उद्योगों में विदेशी पूंजी के सहयोग का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी, नहीं । सरकार ने इस प्रकार की कोई बातचीत प्रारम्भ नहीं की है ।

**आसाम राइफल्स को राशन की सप्लाई का ठेका**

†१०१०. **श्री दशरथ देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विभिन्न कैम्पों में ठहराये गये आसाम राइफल्स के सैनिकों और अधि-कारियों को राशन की सप्लाई का ठेका श्री कार्तिक भट्टाचार्य और मैसर्स भारत ट्रेडर्स को दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सप्लाई किये जाने वाले राशन की दरें क्या निश्चित की गई हैं ;

(ग) क्या इन में से किसी ठेकेदार ने स्थानीय बाजार से न खरीद कर सरकारी स्टाक में से राशन की सप्लाई की है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के राशन की ठेकेदारों ने क्या दरें वसूल की हैं और इस के क्या कारण हैं कि इन ठेकेदारों को इतनी ऊंची कीमतें वसूल करने की अनुमति दी गई जबकि उन्हें कन्ट्रोल दर पर चावल दिया जा रहा था ; और

(ङ) सरकारी स्टाक से इन ठेकेदारों को आसाम राइफल्स में वितरण करने के लिये अभी तक कितना चावल सप्लाई किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) से (ङ) तक. लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ३१]**

## कांचु का रेशा और तन्तु बनाने के कारखाने[1]

†*१०११. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री वाजपेयी :**
**श्री पांगरकर :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कांच का रेशा, तन्तु और धागा बनाने के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और इस के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी नहीं, श्रीमान्। देश में कांच का रेशा तन्तु और धागे के निर्माण की संभावना का परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

†*१०१२. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में निर्मित दस्तकारी की वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करने के लिये राज्य को कोई सुविधा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह सुविधा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों की दस्तकारी की वस्तुयें विदेशों में निर्यात करने के लिये कदम उठाती है; इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Glass Fibre and Filament Plants.

**खनिज तेल उद्योग के लिये मशीनें**

†*१०१३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**

**क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में खनिज़ तेल उद्योग की मशीनों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित परियोजना की योजना और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) क्या इस फैक्टरी की स्थापना के स्थान का भी निर्णय कर लिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). यह विषय विचाराधीन है। प्रस्तावित भारी मशीन परियोजना द्वारा द्वितीय अवस्था में तेल ड्रिलिंग करने के रिग्ज निर्माण करने की संभावना है।

**नमक विशेषज्ञ समिति**

†*१०१४. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ में नियुक्त की गई नमक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें पूर्ण रूप में क्रियान्वित कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में एक असिस्टेंट नमक आयुक्त नियुक्त करने के बारे में कोई सिफारिश थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नमक विशेषज्ञ समिति की अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर क्रियान्वित भी कर दी गई हैं। कुछ सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति में अभी समय लगेगा। यह सिफारिशें इस प्रकार हैं : मण्डी नमक खानों का विकास, देश के विभिन्न भागों में गैर-सरकारी नमक उद्योगों में सुधार इत्यादि।

(ख) जी हां। समिति ने उड़ीसा में बरहामपुर में एक असिस्टेंट नमक आयुक्त नियुक्त करने कीसिफारिश की थी।

**कपड़े की मिलें**

†*१०१५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अंग्रेजों की कितनी कपड़ा मिलें हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जानकारी उपलब्ध करने का नवीनतम वर्ष १९५६ के अन्त में विदेशी नियंत्रण वाली कपड़ा मिलों की संख्या १५ थी।

**अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) का आयात**

†*१०१६. **श्री महन्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों से २००० मीट्रिक टन अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) खरीदा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह किस दर पर खरीदा गया है;

(ग) क्या किसी अन्य साधन से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस में उपरोक्त सौदे से कम दर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह प्रस्ताव क्यों अस्वीकृत कर दिया था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). राज्य व्यापार निगम ने समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के परामर्श से २००० मीट्रिक टन अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) खरीदा था। यह सोवियत रूस से खरीदा गया था और रजिस्ट्रार ने यह कीमत स्वीकार कर ली थी। निगम के व्यापार हित की दृष्टि से अधिक ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा।

**इल्मेनाइट**[1]

†*१०१७. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम जिले के केवलम और अट्टीपुरा गांवों में उद्भूत इल्मेनाइट तथा अन्य निक्षेपों के वाणिज्यिक प्रयोग के लिये केरल राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी हां। केवलम बीच में खनिज रेत निक्षेप को वाणिज्यक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिये केरल सरकार की ओर से १९५८ में नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है किन्तु अट्टीपुरा गांव के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

**कपड़े की बिक्री**

†*१०१८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बर चरखे के सूत और सामान्य रूप में प्रयुक्त चरखे के सूत से बुना हुआ समान किस्म का कपड़ा, प्रति गज एक ही भाव पर बिकता है यद्यपि दोनों स्थितियों में उत्पादन लागत अलग-अलग है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

**विवरण**

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अम्बर चरखे और सामान्य रूप में प्रयुक्त चरखे से बुने कपड़े में कोई अन्तर नहीं मानता है। आयोग प्रायः मिश्रित कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करता है जिस में अम्बर सूत को ताने के रूप में काम में लिया जाता है और सामान्य चरखे का सूत बाने के रूप में प्रयुक्त होता है। अम्बर सूत की तुलनात्मक कम कीमत होने से खादी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ilmenite.

की कुल कीमत में मदद मिल जाती है और इस का लाभ उपभोक्ता को (क) कपड़े की अच्छी किस्म और (ख) प्रति गज कम कीमत के रूप में मिलता है।

**भारत-पाकिस्तान व्यापार करार**

†*१०१९. **श्री आचार :**
**श्री बांगशी ठाकुर :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान व्यापार करार, १९५७ का पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां , तो उस का क्या परिणाम है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**जापान से प्रतिनिधिमण्डल**

†*१०२०. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जापानी प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उन की यात्रा का क्या उद्देश्य था;

(ग) क्या भारत में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां , तो इस का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). यह प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में भारत आया था। यह गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल था और इसे सरकारी स्तर पर नहीं भेजा गया था। यह प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागों में गये थे। सरकार की प्रतिनिधिमण्डल से शासकीय स्तर पर कोई वार्ता नहीं हुई ।

**कर्मचारी राज्य बीमा योजना**

†*१०२१. **श्री नागी रेड्डी :**
**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने श्रमिक अभी कर्मचारी राज्य बीमा योजना से पृथक हैं; और

(ख) यह योजना पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में कब लागू की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) लगभग ३,६१,००० श्रमिक अभी उन क्षेत्रों में बीमा योजना से पृथक हैं जहां इन का ५०० या इस से अधिक जमघट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यथा सम्भव व्यावहारिक होते ही ऐसा कर दिया जायेगा। इस विषय पर राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है जो बीमा योजना के अधीन चिकित्सा व्यवस्था के लिये उत्तरदायी है।

**त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली**

*†१०२२. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण वसूल करने के लिये सर्टिफिकेट कार्यवाही जारी कर दी गई है और की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, हां। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एसी कार्यवाही की गई है।

(ख) दावे की रकम समय सीमा से बाहर न होने देने के लिये और जिन स्थितियों में विस्थापित व्यक्ति सरकारी रकम चुकाने की स्थिति में हैं उन से वसूल करने के लिये ही उपरोक्त कार्यवाही की जा रही है।

**सॉफ्ट कोक का वितरण**

†*१०२३. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने दिल्ली में साफ्ट कोक के वितरण का काम अपने हाथ में ले लिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानुनगो) :** जी नहीं। दिल्ली राज्य–प्रशासन के अनुरोध पर कुछ ब्लाक-रेक चलाने और प्रशासन द्वारा नामज़द लाइसेंस धारियों को स्टाक दे देने का निश्चय किया है।

**जापान को भारतीय शिष्ट-मंडल**

†*१०२४. **श्री वेंकटा सुब्बया :**
**श्री इ० मधुसूदन राव :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के छोटे पैमाने के उद्योगों के वित्तीय ढांचे का अध्ययन करने के लिये उस देश को एक शिष्ट-मण्डल भेजने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतिम रूप से इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि इस शिष्ट-मंडल में कौन-कौन रहेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिये प्रतिनिधि**

†*१०२५. **श्री वें० प० नायर :**
**श्री अरविन्द घोषाल :**

क्या **प्रधान मंत्री** एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) वह सामान्य या विशेष अर्हतायें कौन-कौन सी हैं जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र के लिये भारत के शिष्ट-मंडल के निम्न लिखित श्रेणियों के प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया है :—

(१) प्रतिनिधि, (२) वैकल्पिक प्रतिनिधि, और (३) परामर्शदाता ; और

(ख) प्रत्येक प्रतिनिधि को कुल कितनी-कितनी विदेशी मुद्रायें ले जाने की अनुमति दी गयी थी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) शिष्ट-मंडल में विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि वह उस कार्य के उपयुक्त होंगे या नहीं जो उनको करना पड़ सकता है, और साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि पिछले कार्य में व्यतिक्रम न पड़े। प्रत्येक वर्ष कुछ नये लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है। शिष्ट-मंडल के सदस्यों का चुनाव करने क संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने कोई नियम नहीं बनाये हैं और इस संबंध में निर्णय पूर्णत : सरकार के हाथ में होता है।

(ख) श्री कृष्ण मेनन — कुछ नहीं ।
श्री वेंकटरामन् — कुछ नहीं ।
श्री आर्थर लाल — कुछ नहीं ।
श्री जी० एस० पाठक — ४००० रुपये।
श्री चलपति राव — २००० रुपये।

**अम्बर चरखा**

*१०२६. **श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री पन्ना लाल बारूपाल :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के लिये सरकार अम्बर चर्खे को बिजली से चलाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चालू करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री सयाजी जुबिली कॉटन एण्ड जूट मिल्स, सिद्ध पुर (बम्बई राज्य)**

†*१०२७. **श्री पु० र० पटेल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिद्ध पुर की श्री सयाजी जुबिली कॉटन एण्ड जूट मिल्स को, जो कुछ वर्ष पहले बन्द कर दी गयी थी, चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) इस मिल के बन्द होने के बाद से कितने श्रमिक बेरोजगार हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन जांच जून, १९५८ में पूरी हो गयी थी। समिति इस मिल का परिसमापन[1] कर देने के पक्ष में है।

(ख) २४-४-५७ के आसपास मिल के बन्द किये जाने का प्रभाव लगभग १,०६४ श्रमिकों पर पड़ा है।

**नीबू-घास का तेल[2]**

†*१०२८. **श्री वारियर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नीबू-घास के तेल का औद्योगिक प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह योजना किस अवस्था में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) बम्बई की दो फर्मों—मेसर्स ग्लैक्सो लबोरेटरीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, और मेसर्स रोशे प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नीबू-घास के तेल से निकलने वाले एक पदार्थ वेटा-आयोनोन से विटामिन 'ए' तैयार करने का लाइसेंस दिया गया है। आशा है कि ये फर्में १९५९ में विटामिन 'ए' का उत्पादन आरम्भ कर देंगी।

**जंगपुरा पुल**

†१०२९. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २५ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जंगपुरा पुल के निर्माण में खराबी के लिए उत्तरदायी लोगों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : इस मामले में अनुशासक कार्यवाही के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है और इसका फैसला जल्दी किया जायेगा। यहां यह भी ध्यान में रखना है कि लोगों पर ज़िम्मेदारी लगाने से पहले परिवहन तथा संचार मन्त्रालय के सम्बन्धित अफ़सरों से सलाह करना ज़रूरी था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Liquidation.

[2] Lemon Grass Oil.

**चाय उद्योग के लिये वित्त निगम**

†*१०३०. **श्री प्र के० देव :**
**श्री वि० चं० प्रधान :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग के लिये वित्त की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार एक वित्त निगम की स्थापना करने वाली है, और यदि हां, तो कब तक ;

(ख) निगम की अधिकृत पूंजी कितनी होगी ; और

(ग) चाय उद्योग में लगे किसी संगठन को वित्त प्राप्त करने से पहले किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) चाय उद्योग के लिये दीर्घकालीन आधार पर वित्त-व्यवस्था करने के प्रश्न पर सरकार पिछले कुछ समय से विचार करती रही है। कलकत्ते में इस मास के अन्त में बैंकिंग अधिकारियों से चर्चा होने की आशा है। इस संबंध में चाय उद्योग के लिये एक वित्त-निगम बनाने की वांछनीयता पर भी विचार कर लिया जायेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**बाइसिकल उद्योग**

*१०३२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाइसिकल का उत्पादन बढ़ने के कारण भारतीय बाइसिकलों का विक्रय मूल्य कम हो गया है ?

**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी, नहीं ।

**छोटे पैमाने के उद्योग**

†*१०३३. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे की :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये १९५७–५८ में राज्य सरकारों के लिये जो ऋण मंजूर किये गये थे क्या उनका उपयोग कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ढाई प्रतिशत सूद पर सहकारी समितियों समेत सभी छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये एकमुश्त ऋण उपलब्ध थे ; और

(ग) क्या उसके बाद से ऋण देने के नियमों और प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**विवरण**

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये १९५७–५८ में राज्य सरकारों को कुल ३७०.०८ लाख रुपयों के ऋण मंजूर किये गये थे जिनमें से वास्तव में कुल २९९.५६ लाख रुपयों की राशि दी गयी थी। जहां तक उनका उपयोग होने न होने का प्रश्न है, राज्य सरकारों से जो प्रगति-प्रतिवेदन मिले हैं उनसे केवल इतना ही पता चलता है कि उन्होंने कुल कितनी राशि व्यय की है। व्यय की गयी इस राशि में राज्य-सरकार के हिस्से की राशि भी शामिल होती है। केन्द्रीय ऋणों और राज्य के अपने हिस्से के व्यय के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सहायता देने का जो विहित तरीका जून, १९५५ से लागू है उसके अनुसार राज्य सरकारों को छोटे औद्योगिक कारखानों और कारखानेदारों को ३ प्रतिशत सूद पर और औद्योगिक सहकारी समितियों को ढाई प्रतिशत सूद पर ऋण देना होता है।

(ग) जी नहीं।

**उड़ीसा में नमक का कारखाना**

†*१०३४. **श्री का० च० जेना :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले में नमक के किसी कारखाने की स्थापना की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कारखाना अन्दाजन किस तारीख तक पूरी शक्ति से कार्य करने लगेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) छोटे पैमाने पर नमक का उत्पादन करने के उद्देश्य से बालासोर जिले में एक प्रयोगात्मक कारखाने की स्थापना का विचार है। प्रयोगात्मक कारखाने को चलाने से जो अनुभव प्राप्त होगा उसी के आधार पर इस जिले में नमक के कारखाने की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग). प्रयोगात्मक कारखाने की स्थापना के लिये उस क्षेत्र में १०० एकड़ भूमि पट्टे पर देने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया है। इस कारखाने की स्थापना के लिये आगे की कार्यवाही राज्य-सरकार से यह सूचना प्राप्त होने के बाद की जायेगी कि यह भूमि आवंटित कर दी गई है।

**उर्वरकों की खरीद**

†*१०३५. **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या यह सच है कि सरकार उर्वरकों की खरीद के लिये एक विदेशी फर्म से बातचीत चला रही है;**

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) यदि हां, तो इस में कितनी विदेशी मुद्रायें व्यय होंगी;

(ग) क्या कोई टेंडर मांगे गये थे; और

(घ) आर्डर किस को दिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां । लेकिन यह बातचीत किसी एक देश तक ही सीमित नहीं थी वरन् बड़ी संख्या में उन विदेशी निर्माताओं/संभरकों या उनके अभिकर्ताओं के साथ चलायी गयी थी जिन्होंने विश्व भर के देशों से मांगे गये टेंडरों के जवाब में अपने उत्तर भेजे थे ।

(ख) प्रश्न के भाग (घ) में जिन आर्डरों का जिक्र किया गया है उस पर लगभग ५ करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

(ग) और (घ), लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

## तांबे का व्यापार

†*१०३६. **श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह धातुयें नियंत्रण आदेश, १९५८ के फलस्वरूप और अप्रैल १९५८ में लाइसेंस देने की नीति बदल जाने के कारण तांबे के व्यापार पर बहुत असर पड़ा है;

(ख) पुराने निर्यात करने वालों को तांबे, पीतल आदि की फूट प्राप्त करने की, जिनका उपयोग मुख्यतः घरेलू बर्तनों के निर्माण में होता है, अनुमति क्यों नहीं दी जाती;

(ग) क्या सरकार को पता है कि जो लोग वास्तव में टूटी-फूटी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकांश के पास संगठन सम्बन्धी वह सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जिनकी अपने आप इस प्रकार का आयात प्रभावशाली ढंग से करने के लिये आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस बात पर जोर देना कहां तक उचित है कि केवल वास्तव में उपयोग करने वाले लोगों को ही ऐसी धातुयें प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, अलौह धातु नियंत्रण आदेश ने तांबे के व्यापार को संतोषप्रद आधार पर खड़ा कर दिया है ।

(ख) अब पुराने आयात करने वालों को तांबे और पीतल की फूट का आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## समुद्री-विधियों संबंधी सम्मेलन

†*१०३७. **श्री डी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५८ में समुद्री-विधियों के सम्बन्ध में जो सम्मेलन हुआ था क्या उसके निर्णयों और सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से किसी को क्रियान्वित किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). जेनेवा के समुद्री-विधि सम्बन्धी सम्मेलन ने जो चार निरूढ़ियां तैयार की थीं वह अब भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

## भूमि-सुधार

†*१०३८. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री महन्ती :**
**श्री डी० ना० मुकर्जी :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री नागी रेड्डी :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने योजना आयोग की इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के विरुद्ध विचार प्रगट किये हैं कि जोत की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये, और यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने; और

(ख) क्या सरकार का इरादा द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा विहित कृषि सम्बन्धी पुनर्गठन के ढांचे में, विशेष रूप से भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के ढांचे में, कुछ परिवर्तन कर देने का है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) और (ख). भूमि सुधार और कृषि सम्बन्धी पुनर्गठन के सम्बन्ध में योजना आयोग की जो सिफारिशें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी हुई हैं, जिनमें जोत की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देने की सिफारिश भी शामिल है, उनका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद् और संसद ने कर दिया था । उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों का उचित ध्यान रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिये मोटे तौर पर एक नीति निर्धारित कर दी है । सितम्बर, १९५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय किया कि जिन राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये विधान बना लिये हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये

†मूल अंग्रेजी में

कि यह कार्यक्रम प्रशासनिक रूप से एक निर्धारित अवधि, जैसे तीन वर्ष, के भीतर क्रियान्वित हो जाये । जिन राज्यों ने अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में विधान नहीं बनाये थे उन से आवश्यक विधायिनी कार्यवाही पूरी करने के लिये कहा गया । कई राज्यों में भमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य-विधान मण्डलों के समक्ष रखे जा चुके हैं । अन्य राज्यों में भी यह प्रस्ताव विषय विचाराधीन है ।

## ब्रिटिश खाद्य मेला[1]

†*१०३९. **श्री केशव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में ओलिम्पिया में ब्रिटिश खाद्य मेले में विशिष्ट भारतीय व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया था और भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय के पदाधिकारियों ने भारतीय पाक-विद्या का प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो वह किस हद तक सफल रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) वह काफी सफल रहा ।

## नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषण

*१०४०. **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री नवल प्रभाकर :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों और लेखों का संग्रह प्रकाशित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** संग्रह को प्रकाशित करने का काम जल्दी ही प्रारम्भ हो जायगा ।

## भारतीय जूट उत्पादन

†*१०४१. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जूट उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जूट मिलों के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है ।

(ख) जुलाई-अक्तूबर, १९५८ के उत्पादन में १९५७ की इसी अवधि के उत्पादन की अपेक्षा ६,८०० टन की वृद्धि हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]British Food Fair.

## बम्बई राज्य की शक्ति-चालित करघा-मिलों का बन्द किया जाना

†*१०४२. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्पादन शुल्क के कारण और बहुत सा स्टाक अनबिका पड़ा होने के कारण बम्बई राज्य की कई शक्ति-चालित करघा-मिलें बन्द हो गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की मिलों के मालिकों ने उत्पादन-शुल्क से बचने के लिये अलग-अलग नामों से थोड़ी-थोड़ी संख्या वाली शक्ति-चालित करघा-मिलें चालू कर दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उत्पादन-शुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप सौ से अधिक शक्ति-चालित करघों वाली बम्बई राज्य की तीन शक्ति-चालित करघा-मिलें १ मार्च, १९५८ से बन्द हो गई हैं। लेकिन उत्पादन-शुल्क की दरों का पुनरीक्षण होने के बाद इन मिलों ने १ अप्रैल, १९५८ से फिर से कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग). जी हां। सरकार को इस आशय की कुछ सूचनायें मिली हैं।

## उर्वरक

†*१०४३. **श्री आचार :**
**श्री हेम बरूआ :**

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय के प्राक्कलनों के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी हमारी उर्वरकों सम्बन्धी केवल ५५ प्रतिशत आवश्यकतायें देशी उत्पादन से पूरी हो पायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो देश की आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उर्वरक-उद्योग को योजना के मुख्य भाग में शामिल नहीं किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं। चालू योजना अवधि के अन्त में उर्वरकों की जिस कुल उत्पादन-क्षमता के उपलब्ध होने की संभावना है वह प्रतिवर्ष २.३२ लाख टन नाइट्रोजन के रूप में होगी। यह ३.७३ लाख टन की कुल वार्षिक आवश्यकता की ६२ प्रतिशत होती है।

(ख) उर्वरकों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण पूरा करने के लिये अतिरिक्त उर्वरक कारखानों का निर्माण किया जा रहा है और यह अनुमान है कि १९६१ के अन्त तक वर्ष में उर्वरकों की उपलब्धि ३.८२ लाख टन नाइट्रोजन या लगभग २० लाख अमोनियम सल्फेट प्रति वर्ष हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां, लेकिन तिस पर भी उसे काफी उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

**इल्मेनाइट**

†*१०४४. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५७ में त्रावन्कोर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के तत्काल पूर्व इल्मेनाइट के प्रत्येक टन की उपादन-लागत कितनी थी ; और

(ख) १९५८-५९ में त्रावनकोर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इल्मेनाइट की कितनी उत्पादन-लागत दी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १९५६-५७ में प्रत्येक टन इल्मेनाइट की उत्पादन-लागत २१.२४ रुपये थी । १९५७-५८ में वह २५ रुपये प्रति टन हो गई थी ।

(ख) अनुमान है कि वर्तमान उत्पादन लागत वही है जो पिछले वर्ष थी । निश्चित संख्या वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद ही मिल सकती है ।

**सरकार के भवन-निर्माण और अन्य निर्माण-कार्य**

†*१०४५. **श्री महन्ती**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भवन-निर्माण और अन्य निर्माण-कार्यों के सम्बध में केन्दीय लोक-निर्माण विभाग में ठेकेदारी की प्रथा का अन्त करने का विचार कर रही है ;

(ख) इस समय सरकार की अनुमोदित सूची में कुल कितने ठेकेदार हैं ; और

(ग) १९५७-५८ में उन्हों ने कुल कितने रुपये का काम किया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि यह संभव है या नहीं, और यदि है, तो किस सीमा तक ।

(ख) केन्दीय लोक-निर्माण विभाग में २२३३ (छोटे-मोटे निर्माण-कार्यों के ठेकेदारों को छोड़ कर) ।

(ग) लगभग १६ करोड़ रुपये (इस में विभागीय तौर पर दिये गये इमारती सामान भी शामिल हैं) ।

**श्री दुर्गा कॉटन मिल्स, कादी (बम्बई)**

†*१०४६. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री दुर्गा कॉटन मिल्स, कादी (बम्बई) ने मिल बन्द करने का नोटिस लगा दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का असर कितने श्रमिकों पर पड़ेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मिल ने मिल बन्द करने का नोटिस दिया है जो १-१२-१९५८ से लागू होता । लेकिन बाद में उन्होंने उस में रूपभेद कर दिया जिस से वह अब १-१-१९५९ से लागू होगा ।

(ख) मिल बन्द होने पर १,५०० श्रमिकों पर इस का असर होने की संभावना है ।

## अध्यापक-प्रशासकों का प्रशिक्षण

†*१०४७. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के स्कूल में अध्यापक प्रशासकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इस योजना को बढ़ा कर १० और केन्द्रों पर लागू करने वाली है ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रकार का है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क), (ख) और (ग). अब क्योंकि श्रमिकों की शिक्षा का प्रथम चरण, अर्थात् अध्यापक-प्रशासकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, श्रमिकों की शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड अब योजना के द्वितीय चरण के अर्थात् देश के विभिन्न भागों में स्थित १० केन्द्रों में श्रमिक-अध्यापकों के प्रशिक्षण की योजना को क्रियान्वित करना आरम्भ कर देगा ।

## श्रमिकों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय बोर्ड

†*१०४८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की शिक्षा के लिये एक केन्द्रीय बोड बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड में कौन-कौन शामिल हैं ; और

(ग) उस के कृत्य क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) इस बोर्ड के अध्यक्ष को भारत सरकार नामजद करेगी और इस के सदस्य इन के प्रतिनिधि होंगे :—

| | |
|---|---|
| (१) भारत सरकार के . . . . | ३ |
| (२) राज्य सरकारों के . . . . . | ३ |
| (३) विश्वविद्यालयों के—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामजद . . . . . | १ |
| (४) प्रौढ़-शिक्षा संघों के . | १ |
| (५) मालिकों के अखिल भारतीय संगठनों के . . . | ३ |

†मूल अंग्रेजी में

(६) श्रमिकों के अखिल भारतीय संगठनों के . . . ४

(७) सरकार द्वारा नामजद स्वतंत्र ट्रेड-यूनियन-कार्यकर्ता . १

(ग) बोर्ड के कृत्य ये हैं :—

(१) नीति निर्धारित करना;

(२) कार्यक्रमों को लागू करना, निधि आवंटित करना, निरीक्षण, एकीकरण करना, लेखा-परीक्षा करना, आदि;

(३) शिक्षा सम्बन्धी सामग्री के उपबन्ध की व्यवस्था करना;

(४) अध्यापकों और कार्यक्रमों के लिये मानदण्ड निर्धारित करना;

(५) राष्ट्रीय संघों और फेडरेशनों में शिक्षा विभागों की स्थापना को प्रोत्साहन देना; और

(६) श्रमिकों की शिक्षा को अन्य प्रकार से प्रोत्साहन देना और उस का संवर्द्धन करना।

## त्रिपुरा में औद्योगिक बस्ती

†*१०४९. **श्री दशरथ देव:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में औद्योगिक बस्ती बनाने के लिये कुल कितना धन आवंटित किया है ;

(ख) कुल कितना व्यय हो चुका है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने वहां बस्ती बनाने की योजना त्याग दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) ३.०० लाख रु०।

(ख) शून्य।

(ग) तथा (घ). नहीं श्रीमान। योजना के लिये प्राविधिक अनुमति दी जा चुकी है।

## भेषज उद्योग

†*१०५०. **श्री नागी रेड्डी :**
**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई विदेशी फर्म 'राचे' कुछ भारतीय उद्योगपतियों के साथ मिल कर देश में भेषज उद्योग स्थापित करने को तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) क्या यह द्वितीय योजना काल में उत्पादन आरम्भ कर देगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

बम्बई के मैसर्स वाल्टाज लिमिटेड को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ६ मई, १९५८ को मसर्स राचे प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक उद्योग स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है। यह उद्योग स्वीट्ज़रलैण्ड के मैसर्स हाफमैन ला राचे से मिल कर विटामिन 'ए' तथा विशेष औषधियों का निर्माण करेगा।

कुल लागत लगभग दो करोड़ रुपये होगी।

प्रारम्भिक संयंत्र १८ मास में लग जायेगा और आरम्भ से कुल निर्माण कार्यक्रम पांच वर्ष में पूर्ण होगा।

ट्रैक्टर और दण्डकारण्य योजना

†*१०५१. **श्री० वें० प० नायर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य योजना के लिये बड़े और औसत दर्जे के ट्रैक्टरों के संभरण के लिये टेंडर मांगे गये हैं; और

(ख) क्या टेण्डर खोल लिये गये हैं तथा संभरण के लिये आदेश दे दिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) टेंडर २८-११-५८ को खोले गये थे। अभी कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

भारत-नेपाल व्यापार करार

†*१०५२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री राम कृष्ण :**

क्या **प्रधान मंत्री** ११ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत–नेपाल व्यापार का नवीनतम रूप क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रारूप तथा लिखे जाने वाले पत्र नेपाल सरकार को भेज दिये गये हैं एवं उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा है। अतः अभी तफसील बताना उचित नहीं है।

संसद् सदस्यों के फ्लेट

†*१०५३. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री भक्त दर्शन :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्राधिकारियों ने केन्द्रीय निर्माण विभाग द्वारा चुना गया स्थान अनुमोदित कर दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नार्थ एवेन्यू में अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण का कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) तथा (ख). केन्द्रीय निर्माण विभाग द्वारा चुना गया स्थान नगर योजना उप-समिति तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो गया है। अब दिल्ली विकास प्राधिकार ने इस स्थान को दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत 'विकास क्षेत्र' घोषित कर दिया है। क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकार का अनुमोदन होना आवश्यक है, अतः उस के लिये लिखा गया है। सेना परिवहन समवाय के लिये स्थान बनाने की कार्यवाही स्थान के अन्तिम रूप से अनुमोदित होने के उपरान्त की जायेगी। संसद्सदस्यों के लिये अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण नार्थ एवेन्यू का स्थान प्रतिरक्षा समवाय द्वारा खाली किये जाने के बाद आरम्भ होगा ।

## अल्युमिनियम के बने मकान

†*१०५४. **श्री वें० प० नायर**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अल्युमिनियम के बने मकानों को लोकप्रिय बनाने की सम्भावनाओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). यद्यपि प्रविधिक दृष्टि से अल्युमिनियम के अन्य उपयुक्त धातु के साथ मिलकर इमारतों के निर्माण, में कई लाभ हैं, अभी हमारे लिये व्यावहारिक नहीं है क्योंकि हमें इस का आयात करना होगा। फिर हल्की छतों के लिये आवश्यक खनिज सन या 'जिप्सम बोर्ड' जैसी धातुयें स्थानीय आधार पर विकसित करनी होंगी। फिर, छतों के लिये अल्युमिनियम का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने का विचार करने के पूर्व वे काफी सस्ती होनी चाहियें ।

## कृषि (श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन) अधिनियम

†*१०५५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय किसी वस्तु का निर्यात से पहले कृषि (श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन) अधिनियम, १९३७ के अन्तर्गत श्रेणीकरण होना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुयें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १. सन हेम्प ।

२. तम्बाकू ।

३. ब्रुशों के बाल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. ऊन ।

५. नीबू घास का तेल ।

६. चन्दन की लकड़ी का तेल ।

### भारत का राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१०५६. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गैर-सरकारी उद्योगों से जो कमीशन भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड लेता है, उसे ³/₄ प्रतिशत से घट कर ¹/₂ प्रतिशत करने का कोई निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य व्यापार निगम गैर-सरकारी उद्योगों से आयात और निर्यात पर कमीशन लेता है । ऐसे मामलों में राज्य व्यापार निगम जो कुछ लेता है वह उन सेवाओं की फीस होती है जो वह किसी एक सौदे पर लेता है और यह सौदे की वस्तु पर निर्भर होती है । फीस में भिन्नता होती है और साधारण व्यापार प्रथा के अनुसार निर्धारित की जाती है । कोई एक रूप फीस नहीं है और इसे घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

### कच्चा मैंगनीज

†*१०५७. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पश्चिमी देशों की कच्चे मैंगनीज की मांग बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) तथा (ख). कच्चे मैंगनीज सम्बन्धी व्यापारिक पूछताछ फिर आरम्भ हुई है । परन्तु पूछताछ थोड़ी मात्रा के लिये है; यद्यपि हमें आशा है कि आगामी मासों में रुचि बढ़ेगी ।

### बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ का कारखाना

†*१०५८. **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री नवल प्रभाकर :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ के कारखाने की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) इस कारखाने की कितनी उत्पादन क्षमता होगी, तथा इस में कब से उत्पादन-कार्य आरम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना स्थापित करने के बारे में अभी बातचीत चल रही है । इस की उत्पादन क्षमता २०,००० टन प्रति वर्ष रखने का विचार है । अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि कारखाने में कब तक उत्पादन होने लगेगा अथवा इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ।

## खरगोदा में नमक का निर्माण

†*१०५९. { श्री पु० र० पटेल :
श्री फतहसिंह घोडासर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल खरगोदा (बम्बई) में सरकार और गैर-सरकारी व्यक्तियों के नाम से कितना नमक समूहित है और इस समूहन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या नमक के समूहन के कारण नमक का निर्माण बन्द हो गया है और मजदूर बेकार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने मजदूर बेकार हुए हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) १ नवम्बर, १९५८ को स्थिति यह थी कि सरकारी नमक कारखाने में ६३ लाख मन और गैर-सरकारी नमक कारखानों में २८ लाख मन नमक था । स्टाक में जमा होने का मुख्य कारण ये था कि गैर-सरकारी नमक कारखाने विशेषकर बिना लाइसेन्स के कारखाने का उत्पादन बढ़ गया है ।

(ख) सरकार की जानकारी के अनुसार, स्टाक जमा होने के कारण कोई मजदूर बेकार नहीं हुआ है । जहां तक खरगोदा में सरकारी नमक के कारखानों का सम्बन्ध है, चालू निर्माण ऋतु में नमक के कढ़ावों में कोई विशेष करने का विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्

†*५५०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० म० बनर्जी :

**क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की स्थापना करने में क्या प्रगति हुई है ;**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों की उन अखिल भारतीय फड़ेशनों के नाम जिनके प्रतिनिधि परिषद् में सम्मिलित किये गये हैं ;

(ग) क्या परिषद् द्वारा विदेश भेजी गई टीमें वापस आ गई हैं और उन्होंने रिपोर्ट दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) स्थानीय उत्पादता परिषदों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त सभी सरकार, मालिकों और मजदूरों के नामजदगी पत्रों पर निर्णय हो गया है। परिषद् के ६० स्थानों में से ५४ भरे जा चुके हैं। शेष छः स्थान स्थानीय उत्पादता परिषदों के प्रतिनिधियों के लिए रक्षित हैं। चार विद्यमान स्थानीय उत्पादिता परिषदों से नामजदगी पत्र मांगे जा चुके हैं तथा छः में से चार स्थान उनके नामजदगी पत्र आने पर शीघ्र भर जायंगे।

(ख) (१) भारतीय रेलवे मजदूरों की राष्ट्रीय फड़ेशन

(२) डाक तथा तार कर्मचारियों की राष्ट्रीय फड़ेशन।

(ग) अभी तक केवल उत्पादिता टीम विदेश भेजी गई है। यह नवम्बर के मध्य में लौटी है। इसके प्रतिवेदन की दिसम्बर में आशा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**कपड़े की मिलों के कर्मचारी**

†१५८६. श्री दी० चं० शर्मा: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० नवम्बर, १९५८ को भारत की कपड़ा मिलों में लगभग कितने कर्मचारी थे ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सूती कपड़ा, बना हुआ रेशम बुनने तथा ऊन उद्योग में लगभग १० लाख थे।

**सीमेन्ट का निर्यात**

†१५८७. श्री दी० चं० शर्मा: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ (३० नवम्बर, १९५८ तक) राज्यवार सीमेन्ट का कुल उत्पादन कितना था; और

(ख) उपरोक्त काल में देशवार सीमेण्ट के निर्यात से कितना विदेशी विनिमय प्राप्त किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]

**विदेशों से पत्र व्यवहार**

†१५८८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान, ईरान तथा सऊद अरब हमारे देश के साथ पत्र व्यवहार में कौनसी भाषा का प्रयोग करते हैं ; और

(ख) उनसे प्राप्त पत्रों के उत्तर में भारत किस भाषा का प्रयोग करता है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विदेशी सरकारें विदेशों में हमारे मिशनों के साथ पत्र व्यवहार में निम्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं :

| | |
|---|---|
| जापान . . . | अंग्रेजी |
| ईरान . . | फारसी |
| सऊद अरब . . . . | अरबी |

भारत में इन सभी देशों के राजदूत भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं ।

(ख) भारत सरकार तथा विदेशों में भारत के राजदूतों के उत्तर अंग्रेजी में भेजे जाते हैं । कुछ मामलों में हमारे मिशन के सम्बन्धित देश की राष्ट्रीय भाषा में गैर-सरकारी अनुवाद भी भेजते हैं ।

औपचारिक पत्र, जैसे परिचय पत्र आदि हिन्दी में भेजे जाते हैं ।

## लुधियाना में औद्योगिक बस्ती

†१५८९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में लुधियाना में औद्योगिक बस्ती में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लुधियाना औद्योगिक बस्ती में बनाये जाने वाले प्रस्तावित २२४ यूनिटों में से ५० यूनिटों का निर्माण हो रहा है । आशा है ये शीघ्र ही पूर्ण हो जायेंगे ? उपरोक्त यूनिटों की पूर्ति के पश्चात्, ४० और यूनिटों का कार्य आरम्भ होगा । सितम्बर, १९५८ के अन्त तक इस बस्ती पर ८.६२ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

## राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†१५९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १९५८–५९ में ३० नवम्बर, १९५८ तक औद्योगिक मजदूरों के लिए राज्यवार कितने मकान बने ; और

(ख) अब तक कितना व्यय हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है और जो राज्यों द्वारा दिये गये नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है, संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४**]

## छोटे पैमाने के उद्योग

१५९१. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री दलजीत सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के अल्पविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करने की दृष्टि से, जिलावार, कितने तथा कौन कौन से छोटे पैमाने के उद्योग १९५८–५९ व १९५९–६० में स्थापित किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग मुख्यत: गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं, अत: यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि १९५८-५९ व १९५९–६० में पंजाब के अल्पविकसित व पिछड़े क्षेत्रों में कितने और कौन-कौन से छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किये जायेंगे ।

## "भारत १९५८" प्रदर्शनी

†१५९२. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री प० ला० बारूपाल :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "भारत १९५८" प्रदर्शनी के आरम्भ से कुल कितने लोग उसे देखने गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ८–१२–५८ तक लगभग १६.५ लाख लोग "भारत १९५८" प्रदर्शनी देखने गये हैं ।

## पंचाटों आदि की क्रियान्विति का मूल्यांकन करने के लिये त्रिदलीय निकाय

†१५९३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन राज्य पंचाटों, करारों और समझौतों की क्रियान्विति के मूल्यांकन के लिए त्रिदलीय निकाय स्थापित करने के लिए तैयार हो गये हैं ।

(ख) कौन कौन राज्य अब तक ऐसे निकाय स्थापित करने को तैयार नहीं हैं ; और

(ग) कहां कहां ऐसी समितियां कार्य कर रही हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) पंचाटों, करारों तथा समझौतों की क्रियान्विति के मूल्यांकन के लिए त्रिदलीय निकाय बनाना सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमा बगाल और दिल्ली ।

## पाकिस्तान की अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां

†१५९४. **श्री कुम्भार** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने विस्थापित परिवारों को, जो पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये, भारत में रहने के लिये सरकार ने सहायता दी ;

(ख) उनको किस किस्म की वित्तीय सहायता दी गई ;

(ग) उन्हें कैसी सेवायें प्रदान की गईं ;

(घ) क्या उन सबका पुनर्वास हो गया है ; और

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ङ). अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के जिन विस्थापित लोगों को सरकार ने सहायता दी है, उनके अलग आंकड़े नहीं हैं। उन्हें वे ही सुविधायें दी गई हैं जो पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य विस्थापित लोगों को दी गई हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य प्राय पूर्ण हो चुका है।

### उड़ीसा राज्य को लोहे की चादरों तथा सीमेन्ट का कोटा

†१५९५. **श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक उड़ीसा राज्य को लोहे की चादरों और सीमेंट का कितना कोटा दिया गया है; और

(ख) अब तक इन कोटाओं का कितनी मात्रा ले ली गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख).

| मद | आवंटन | | भेजे गये | |
|---|---|---|---|---|
| | काल | मात्रा | काल | मात्रा |
| लोहे की चादरें | अप्रैल-सितम्बर १९५८ | २,०१४ | अप्रैल-सितम्बर १९५८ | १,२२० |
| सीमेन्ट | अप्रैल-दिसम्बर १९५८ | १३४,७०० | १-४-५८ से १५-११-५८ | ७१,९२९ |

### भारत-तिब्बत व्यापार

†१५९६. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल १९४८ से वर्षानुसार भारत और तिब्बत के बीच व्यापार तथा वाहक-व्यापार की क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५०-५१ से तिब्बत के साथ भारत के व्यापार सम्बन्धी विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५**]

### बम्बई राज्य में दस्तकारी योजना

†१५९७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई राज्य में १९५८-५९ में दस्तकारी में प्रशिक्षण की कोई योजनायें अनुमोदित की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें कब लागू होंगी; और

(ग) योजनायें क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सरकार ने १९५८-५९ में दस्तकारी के प्रशिक्षण की बम्बई सरकार की छः योजनायें मंजूर की हैं। इनके अतिरिक्त, बम्बई तथा जूनागढ़ में क्रमानुसार (१) खिलौने बनाना और (२) पीतल के सुनहरी पालिश के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण देने के लिये दो अग्रिम केन्द्र अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की देख रेख में खोले गये हैं।

(ख) एक के अतिरिक्त सारी उपरोक्त योजनायें चल रही हैं। शेष योजना भी शीघ्र लागू की जायेगी।

(ग) राज्य सरकार की योजनायें विभिन्न दस्तकारियों में शिक्षित मजदूरों को प्रशिक्षण देने, उत्पादन, डिजाइन बनाने, पैकिट बनाने, आदि के नये और उत्तम ढंग खोजने की हैं। इन योजनाओं की तफसील का एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६**]

## बम्बई में खादी का उत्पादन

†१५९८. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक बम्बई में खादी का कितना उत्पादन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५७-५८ तथा १९५८-५९ (३१-१०-५८ तक) बम्बई में खादी (ऊनी, रेशमी और अम्बर खादी सहित) के उत्पादन की मात्रा निम्न थी :—

| १९५७-५८ | १९५८-५९ (३१-१०-५८ तक) |
|---|---|
| २०.०४ लाख गज़ | १२.०६ लाख गज़ |

## वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

†१५९९. **श्री दिनेश सिंह :**
**श्री ले० अचौ सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में कार्य का पुनर्गठन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा मोटे तौर पर क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : (क) जी हां। बचत और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये काम करने के तरीकों में प्रयोगात्मक रूप से कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७**]

## रिक्शाओं की समाप्ति

†१६००. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने लोग रिक्शों से अपनी आजीविका कमाते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रिक्शों की समाप्ति के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो निश्चय किया है उस से कितने लोग बेरोज़गार हो जायेंगे;

(ग) क्या सरकार को अखिल भारतीय साइकल रिक्शा मालिक संघ, हैदराबाद से कोई अभ्यावेदन मिला है कि इस मामले की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि एक लाख और बीस हज़ार लोग रिक्शों से अपनी आजीविका कमाते हैं।

(ख) कई लोग बेकार नहीं होंगे क्योंकि रिक्शों की समाप्ति धीरे-धीरे की जा रही है और इन लोगों को दूसरे व्यवसायों में लगा दिया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय ऐसा कोई आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है।

## आन्ध्र प्रदेश में योजना का प्रचार

†१६०१. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक आंध्र प्रदेश में कितनी नाटक मंडलियों को योजना के प्रचार के नाटक दिये गये हैं;

(ख) योजना के प्रचार के लिये तेलगु भाषा में लिखे गये कितने नाटक चुने गये; और

(ग) १९५८ में अब तक आंध्र प्रदेश में नाटकों द्वारा प्रचार के लिये कुल कितना खर्च दिया गया ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नाटक मंडलियों के नाम ये हैं :—

(१) ग्रामब्यूद्या नाट्य मंडली, मोठामरी

(२) ललित कला समिति, वेटापलम

(३) न्यू पूर्णानन्द ड्रामेटिक थियेटर (सुरमी) मुशीराबाद, हैदराबाद (दक्षिण)

(४) प्रभात थियेटर, एलुरु

(५) पूर्णिमा सुरभी नाट्य मंडली, एलुरु

(६) प्राग्रेसिव आर्ट थियेटर, वेंकटागिरी टाऊन

(७) श्री ललित कला समिति, त्रिपुरा

(८) श्री शार्दा मनोविद्यिनी संगीत नाटक सभा (सुरभी), मुशीराबाद, हैदराबाद (दक्षिण)

(९) श्री आंध्र सेवा कला मंदिर, विजियानगरम

(१०) थियेटर सेंटर आंध्र, विजयवाड़ा

(११) दि तिरुपति एमेट्योर ऐसोसियेशन, तिरुपत्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

(१२) अभ्युद्य नाट्य मंडली, जकमपुडी

(१३) इंडियन नेशनल थियेटर, हैदराबाद

(ख) एक ओपेरा चुना गया है परन्तु प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी विवाद के कारण इसे अभी नहीं खेला जा रहा है ।

(ग) नवम्बर, १९५८ की समाप्ति तक ३५,५८५ रुपये २९ नये पैसे ।

**हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड**

†१६०२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मेनेजिंग डायरेक्टर का वेतन २०००—१२५—२२५० निश्चित किया है;

(ख) वर्तमान मेनेजिंग डायरेक्टर ने यह पद कब ग्रहण किया था; और

(ग) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में आने से पूर्व भारत सरकार से उन्हों ने कितना अन्तिम वेतन प्राप्त किया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) १ जनवरी, १९५८ को ।

(ग) १८०० रुपये मासिक ।

**हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स (प्राइवेट) लि०**

†१६०३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में तैयार किये जाने वाले एंटीबायोटिक्स को 'बाटलर' अपने नामों से बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) भेषज अधिनियम के उपबन्धों और उन के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का पालन करते हुए ।

**हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स (प्राइवेट) लि०**

†१६०४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड पिम्परी को हुए ३३,४३,०५१.६८ रुपये के शुद्ध लाभ में से श्रमिकों और कर्मचारियों के कल्याण कार्यों पर केवल २०,८६३ रुपये ९५ नये पैसे ही खर्च किये गये जब कि १९५६–५७ में ५७,६०७ रुपये के शुद्ध लाभ में से २९,९४७ रुपये खर्च किये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** प्रश्न में जो आंकड़े बताये गये हैं वे मुख्यतः वह राशि है जो श्रमिकों और कर्मचारियों की चिकित्सा पर हुए खर्च के सिलसिले में दी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गई थी। श्रमिक कल्याण पर परोक्ष रूप से हुए खर्च की अन्य मदें भी इस में शामिल हैं। यदि इन को भी शामिल कर लिया जाये तो श्रमिकों और कर्मचारियों के कल्याण कार्यों पर खर्च की कुल राशि १,५८,००० रुपये हो जायेगी।

**रूरकेला का अमोनियम नाइट्रेट प्लांट**

†१६०५. **श्री कालिका सिंह :**
**श्री राम कृष्ण :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८ के इस्पात, खान और ईंधन मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सिंदरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड को रूरकेला में अमोनियम नाइट्रेट प्लांट के कुछ भाग के निर्माण की संविदा दी है;

(ख) यदि हां, तो इस की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सिंदरी फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड के पास इतने इंजीनियर और टैक्नोलाजिस्ट हैं कि वे सिंदरी उर्वरक कारखाने की क्षमता को हानि पहुंचाये बिना रूरकेला उर्वरक कारखाने का निर्माण कर सकें;

(घ) यदि हां, तो इस काम के लिये कितने टैक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता है; और

(ङ) क्या सिंदरी फर्टीलाइज़र एण्ड कैमिकल्ज इस काम के लिये विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि रूरकेला में उर्वरक कारखाने के नाइट्रेट एसिड और नाइट्रो लाइमस्टोन प्लांट के निर्माण का ठेका सिंदरी फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड को दिया जाये। ठेके की शर्तों के बारे में बातचीत हो रही है।

(ग) मैसर्स सिंदरी फर्टिलाइज़र एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड के पास पर्याप्त संख्या में टैक्नोलाजिस्ट और इंजीनियर हैं और सिंदरी उर्वरक कारखानेकी कार्यकुशलता को किसी प्रकार की हानि पहुंचाये बिना रूरकेला उर्वरक कारखाने का निर्माण वे कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है।

(घ) क्योंकि इस कार्य के लिये कोई कर्मचारी अलग नहीं रखे गये हैं इसलिये ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है। सिंदरी उर्वरक कारखाने के सभी कर्मचारी उपलब्ध हैं।

(ङ) मैसर्स सिंदरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड विदेशी परामर्शदाताओं की सेवायें प्राप्त करना चाहता है।

**विटामिन 'ए' का उत्पादन**

†१६०६. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कारखाने अगिया घास तेल से विटामिन 'ए' का उत्पादन कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां स्थित हैं, और इन्हें कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ग) लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र किस तिथि को दिया गया था और प्रत्येक लाइसेंस किस-किस तिथि को जारी किया गया;

(घ) यदि इन कारखानों में विदेशी सहयोग मिला तो वह किस प्रकार का था; और

(ङ) प्रत्येक कारखाने में कितना अगिया घास इस्तेमाल होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ङ). अभी किसी कारखाने ने अगिया घास तेल से विटामिन 'ए' बनाना शुरू नहीं किया है। दो फर्मों को अर्थात मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज़ (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रोशे प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को क्रमवार ११ अक्तूबर, १९५७ और ६ मई १९५८ को बम्बई में नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे जो पहले पहल आयात की गई वस्तुओं और बाद में अगिया घास तेल से प्रत्येक १०० लाख एम० यू० विटामिन 'ए' का उत्पादन करेंगे। क्रमवार ५ अप्रैल, १९५७ और ३० मार्च, १९५७ को लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिये गये थे परन्तु ये दोनों फर्में दो तीन वर्ष से अपनी योजनाओं के बारे में बातचीत कर रही थीं ।

मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, को मैसर्स डिस्टिलेशन प्राडक्ट्स इनकारपोरेटिड आफ अमरीका का और मैसर्स रोशे प्राइवेट लिमिटेड को स्विटजरलैंड में मैसर्स हौफमैन ला रोशे एण्ड कम्पनी लिमिटेड विदेशी समवायों का सहयोग प्राप्त है।

१०० लाख एम० यू० विटामिन 'ए' के उत्पादन के लिये लगभग ४५ टन अगिया घास तेल की आवश्यकता होगी ।

## भोपाल राजधानी परियोजना

†१६०७. **श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या योजना मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् भोपाल राजधानी परियोजना के बारे में राज्य सरकार से कोई पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). राज्य सरकार की प्रस्थापनाओं की जांच करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है। कार्यकारी दल में योजना आयोग के कार्यक्रम प्रशासन के मंत्रणाकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दो पदाधिकारी, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव और मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के दो पदाधिकारी थे ।

## भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों द्वारा अधिछात्रवृत्तियां

†१६०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के द्वारा अन्य देशों ने भारतीय वैज्ञानिकों को कितनी अधिछात्रवृत्तियां दी हैं; और

(ख) इस गवेषणा के स्थान कौन-कौन से हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). बहुत से सदस्य देशों ने अपने विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकीय संस्थाओं, विशेष प्रयोगशालाओं और अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण देने के लिये अभिकरण को १५० अधिछात्रवृत्तियां उपलब्ध कर दी हैं। बारी-बारी अभिकरण के सभी सदस्य देशों को ये अधिछात्रवृत्तियां दी गई हैं। किसी देश के लिये संख्या निर्धारित नहीं की गई है। अभिकरण जहां तक सम्भव होगा इस बात का ध्यान रखेगा कि सभी प्रार्थियों की जरूरत पूरी हो जाये। भारत ने अभी इस से फायदा नहीं उठाया।

## केन्द्रीय सूचना सेवा

†१६०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा सम्बन्धी नियम तैयार कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) नियम तैयार हो चुके हैं और इसी महीने के गजट में छप जायेंगे ।

(ख) जी हां ।

## अणु शक्ति केन्द्र

†१६१०. **श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री दामानी** :
**श्री अ० मु० तारिक** :
**श्री राम कृष्ण** :
**श्री बोडयार** :
**श्री सम्पत** :
**श्री रघुनाथ सिंह** :
**श्रीमती अफीदा अहमद** :
**सरदार इकबाल सिंह** :
**श्री ले० अचौ सिंह** :
**श्री वाजपेयी** :

क्या **प्रधान मंत्री** १७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में स्थापित किये जाने वाले अणुशक्ति केन्द्रो के स्थानों के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). सरकार ने यह निश्चय किया है कि तृतीय योजना के विद्युत शक्ति कार्यक्रम में कम से कम २५०,००० किलोवाट नाभिकीय शक्ति भी शामिल की जाय । इस बारे में पूछताछ करने के लिये अन्य देशों में अणु शक्ति

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रों के निर्माताओं से बातचीत चल रही है। केन्द्रों के स्थानों के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

**विस्थापित व्यक्तियों का भारी संख्या में आना जाना**

†१६११. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री पांगरकर :**
**श्री सुबिमन घोष :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर से ३० नवम्बर, १९५८ तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने विस्थापित व्यक्ति सीमा पार करके भारत आये ;

(ख) उसी अवधि में कितने व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गये ;

(ग) क्या पहले के महीनों की अपेक्षा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है या घटी है ; और

(घ) यदि बढ़ी है, तो इसके क्या करण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) १ सितम्बर, १९५८ से १५ नवम्बर, १९५८ तक पूर्वी पाकिस्तान से ८२३ परिवार भारत आये। इन आकड़ों में आसाम के उन परिवारों की संख्या शामिल नहीं जो नवम्बर के पूर्वार्द्ध में आये थे। नवम्बर के द्वितीय पूर्वार्द्ध के आंकड़े भी प्राप्त होने वाले हैं।

(ख) इसी अवधि में १६५ व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान गये।

(ग) और (घ). कमी हुई है।

**अणु शक्ति सम्मेलन**

†१६१२. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री अगाड़ो :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५८ में वियाना में अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण के द्वितीय महा-सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये, किस प्रकार के संकल्प पारित किये और क्या सिफारिशें की गईं थीं ;

(ख) इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) क्या नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग समाप्त करने के बारे में भी चर्चा की गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) अभिकरण का यह उद्देश्य है कि संसार में शान्ति, स्वास्थ्य और संवृद्धि के लिये अणु शक्ति का उपयोग किया जाय और जहां तक सम्भव हो यह भी सुनिश्चित करे कि इसके द्वारा अथवा इसके कहने पर अथवा इसके अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन जो सहायता उपलब्ध की जाय उसका प्रयोग सैनिक गतिविधियों के लिये न किया जाये। इन परिस्थितियों में नाभिकीय शस्त्र

---

†मूल अंग्रेज़ी में

परीक्षणों का विषय अभिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आता इस लिये इस के द्वितीय महा सम्मेलन में इस पर विचार नहीं किया गया था ।

**औद्योगिक सर्वेक्षण**

†१६१३. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री केशव :**
**श्री राम कृष्ण रेड्डी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक सर्वेक्षण करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना इस समय किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी हां । १९५९–६० में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक सर्वेक्षण करने का विचार है। इस प्रयोजनार्थ आयव्ययक में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है ।

**हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग**

१६१४. **श्री पद्म देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की वर्ष १९५६-५७ और १९५८-५९ में कितनी शाखायें हैं; और

(ख) इन कार्यालयों में अलग अलग कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** :

(क) १९५६–५७ . . . . १९ कार्यालय
१९५८–५९ . . . . २२ कार्यालय

(ख) आवश्यक ब्यौरा एक विवरण में संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

**कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन**

†१६१५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० मार्च १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में जो १०,९२० क्वाटर बनाये जाने वाले थे उन में से कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन के नवम्बर १९५८ की समाप्ति तक कितने क्वाटर बनाये गये थे ;

(ख) कम क्वाटर बनने के क्या कारण थे; और

(ग) यह कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ४४७ मकान बन चुके हैं और २,९७४ बन रहे हैं । इस अवधि के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कमी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता फिर भी कार्य में जल्दी प्रगति न होने का एक कारण यह है कि बिना कोयले वाली ज़मीन तलाश करने और उसे अर्जित करने में कठिनाई पेश आ रही है ।

(ग) अनुमोदित ज़मीन को शीघ्र प्राप्त करने के लिये बिहार और पश्चिमी बंगाल सरकारों में सम्बन्धित प्राधिकारियों का सहयोग मांगा गया है ।

## भारत--तिब्बत व्यापार

†१६१६. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**सरदार कबाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत के भारतीय व्यापारियों को मूल्य वसूल करने के सम्बन्ध में तथा जो अन्य कठिनाइयां हो रही हैं क्या उनके बारे में चीन के लोक राज्य से बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां तो बातचीत का क्या नतीजा निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). इन में से कई कठिनाइयां हल करना आसान नहीं है । विषय विचाराधीन है ।

## उपमंत्रियों को आवंटित बंगले

†१६१७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में उपमंत्रियों को किन-किन तिथियों को बंगले आवंटित किये गये थे ;

(ख) क्या इन बंगलों में से कुछ बंगलों का नवनिर्माण किया गया था और नया फर्नीचर रखा गया था ; और

(ग) यदि हां तो प्रत्येक बंगले पर कुल कितना खर्च किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४, अ ुबन्ध संख्या ४०]**

## काम दिलाऊ दफ्तर, दिल्ली

†१६१८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में गत तीन वर्ष या इससे अधिक समय से रजिस्टर्ड कुछ लोगों को अभी नौकरियां नहीं दिलाई गई हैं ;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या क्या है जो वर्षवार १९५६, १९५७ और १९५८ से रजिस्टर किहे गये हैं परन्तु उन्हें रोजगार नहीं मिला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** : (क) जी हां। कुल ५५,२९३ रजिस्टर्ड व्यक्तियों में से इनकी संख्या ३१ अक्तूबर को ११३६ थी।

(ख) ऐसी नौकरियों की कमी जिन के लिये वे उपयुक्त हैं अथवा जो उन्हें स्वीकार्य हैं।

(ग) जानकारी नीचे दी जाती है :—

| वर्ष/वह अवधि जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन किया गया | ३१ अक्तूबर १९५८ को दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर के चालू रजिस्टर के अनुसार जिन्हें रोज़गार नहीं मिला था उनकी संख्या |
|---|---|
| १ | २ |
| १९५६ . | . ४६३७ |
| १९५७ . . | .११५९३ |
| १९५८ (जनवरी-अक्तूबर) . | .३७६८१ |

## हाइड्रोजन आसवन संयंत्र[1]

†**१६१९. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल में लगाये जाने वाले हाड्रोजन आसवन संयंत्र को खरीदने की बातचीत पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो किस देश से यह संयंत्र खरीदा जायेगा; और

(ग) समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी जर्मनी।

(ग) समझौते की मुख्य शर्तें ये हैं :—

(१) सम्पूर्ण भारी पानी संयंत्र के लिये अपेक्षित समस्त सामग्री, आवरण तथा मशीनरी ठेकेदारों द्वारा पश्चिमी जर्मनी में एफ०ओ०बी० प्वाइण्ट पर सम्भरित की जायेगी। लगाये जाने के स्थान तथा परिवहन की जिम्मेदारी खरीददार की होगी।

(२) खरीदे जाने वाले उपकरण और सामग्री की कीमतें निर्माण के समय जर्मनी में वस्तुओं तथा श्रम के मूल्यों के अधीन कम अधिक की जा सकेंगी। अधिकतम कमीबेशी १२ प्रतिशत तक होगी।

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Hydrogen Distillation Plant.

(३) खरीददार द्वारा व्यवस्थित प्रवीण तथा अप्रवीण मजदूरों की सहायता से संयंत्र को लगाने की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर होगी। ठेकेदारों की जिम्मेदारी प्रारम्भ करने की तथा भारतियों को प्रशिक्षित करने की भी होगी ।

(४) ठेकेदारों को सभी विदेशी विनिमय के भुगतान निम्नलिखित प्रकार से आस्थगित आधार पर किये जायेंगे—

१० प्रतिशत आर्डर के साथ ।

१० प्रतिशत मूल्यानुसार नौवहन दस्तावेजों पर ।

८० प्रतिशत छः अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में। पहली किश्त आर्डर की तिथि से २८ वें महीने के पश्चात् देय होगी ।

संयंत्र के देने वालों के द्वारा दिए गए वास्तविक व्यय पर सूद तथा वित्तीय भार देय होगा।

(५) आर्डर की तिथि से २१वें महीने में संयंत्र तथा यंत्र लगाये जाने के स्थान पर पहुंच जायेंगे तथा २८वें महीने में लग जायेंगे ।

(६) भारी पानी के उत्पादन तथा कच्चे माल की खपत के बारे में ठेकेदा ों ने गारण्टी दी है।

## श्रम विवाद के मामले

†१६२०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री इ० मधूसूदन राव :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम विवाद के बहुत से मामले उच्चन्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां तो ३० नवम्बर १९५८ को प्रत्येक उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग कितने मामले लम्बित थे ;

(ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अलग अलग दो महीन से अधिक के लिए कितन मामले लम्बित हैं ; और

(घ) इनको शीघ्र निबटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :(क) और (ख) प्राप्य जानकारी नीचे दी जाती है लम्बित मामले इस प्रकार हैं :—

७५६ उच्चन्यायालयों में (६० कलकत्ता, २९ पंजाब, ७ पटना, १२ राजस्थान, ३०२ इलाहाबाद, १६ मध्य प्रदेश, २ उड़ीसा, १०५ केरल, ४७ आन्ध्र प्रदेश, १७२ मद्रास तथा ३४ आसाम) तथा १६१ उच्चतम न्यायालय में ।

(ग) दो महीने से लम्बित मामले यह हैं:—

भाग (क) तथा (ख). के उत्तर में बताये गये उच्चन्यायालयों में ६९१ तथा १०७ उच्चतम न्यायालय में ।

(घ) जहां तक उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध है विभिन्न अन्य लम्बित मामलों को जो प्राथमिकता दी जाती है श्रम विवाद मामलों को उससे अधिक प्राथमिकता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पुराने फर्नीचर की बिक्री

१६२१. श्री म० ला० द्विवेदी।
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों के निवास गृहों में जो पुराना फर्नीचर था सरकार ने उसका क्या उपयोग किया है ;

(ख) सरकार ने उसके नीलाम, बिक्री आदि से कितनी धन राशि प्राप्त की है ;

(ग) क्या यह सच है कि क्योंकि फर्नीचर खुले में पड़ा रहा था इसलिये खराब हो गया था ;

(घ) यदि हां तो उसको कितनी क्षति पहुची थी; और

(ङ) नया फर्नीचर बनाने और निवास गृहों को पुनः सुसज्जित करने पर कुल कितना व्यय हुआ ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) फर्नीचर का कुछ भाग सरकारी अफ़सरों के बंगलों और फ्लैटों में उपयोग के लिये तथा बाकी हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को घटी हुई कीमत पर दे दिया गया है।

(ख) नीलाम नहीं किया गया। हिन्दुस्तान हाउसिंग फक्टरी से कितनी रक़म वसूल की जाये इसका हिसाब लगाया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं। इसको प्रदर्शनी-स्थल के एक भवन में रखा गया था।

(घ) सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) ११८ संसद् सदस्यों के बंगलों को पुनः सुसज्जित करने पर लगभग ६,२५ ००० रुपया खर्च हुआ ।

## कानपुर के औद्योगिक मज़दूरों के लिए मकान

†१६२२. श्री दामानी :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में औद्योगिक मज़दूरों के मकानों को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) कितने मकान अब तक बनाये जा चुके हैं तथा वे इनमें रहने वालों को किस आधार पर आवंटित किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर में ४६८.४० लाख पये के १५,३५४ मकान बना सकती है। इसके लिये भारत सरकार ने ३१ मार्च १९५८ तक १९५.३३ लाख रुपये सहायता के रूप में तथा २२६.२४ लाख पये ऋण के रूप में राज्य सरकार को दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) अब तक निर्मित १४,८०४ मकानों में से ९,८६४ मकानों में अत्यावश्यक सेवाओं की व्यवस्था हो गई है और उन्हें राज्य सरकार ने आवंटन के लिये ले लिया है। ये मकान योजना के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त औद्योगिक मजदूरों को दे दिये जायेंगे। परन्तु राज्य सरकार के अनुसार कुछ मकान अस्थाई रूप में अन्य लोगों को भी दिये गये क्योंकि अन्यथा वह खाली रहते और किराये की हानि होती।

## चण्डीगढ़ में रेडियो स्टेशन

†१६२३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना मिली है कि चण्डीगढ़ में रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). पंजाब सरकार से कुछ समय पूर्व चण्डीगढ़ में सहायक स्टूडियो के बजाय एक रेडियो स्टेशन बनाने की प्रार्थना मिली थी। उस सरकार को यह बताया गया है कि जालन्धर में ५० किलोवाट का ट्रान्समीटर लगा होने से यह ठीक नहीं समझा गया कि चण्डीगढ़ में एक ट्रान्समीटर लगाया जाये क्योंकि इससे समस्त राज्य में तथा निकटस्थ क्षेत्रों में प्रसारण हो जाता है। चण्डीगढ़ के सहायक स्टूडियो को आकाशवाणी के जालन्धर स्टेशन से टेलीफोन से मिला दिया गया है तथा चण्डीगढ से प्रारम्भ होने वाले कार्यक्रमों को जालन्धर स्टेशन से प्रसारित किया जाता।

## लाहौर के लिए सिख यात्री

†१६२४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने ५० सिख यात्रियों के जत्थे को लाहौर के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में भेजने की प्रार्थना को ठुकरा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रार्थना को स्वीकार न करने के लिये पाकिस्तान सरकार ने क्या कारण बताये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की गई थी कि २७ अक्तूबर से २९ अक्तूबर १९५८ तक ५० सिख यात्रियों के दल को लाहौर के सात गुरुद्वारों में जाने की अनुमति दी जाये। पाकिस्तान सरकार ने १३ सितम्बर १९५८ को उत्तर दिया कि प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि उस स्थान पर वर्षा तथा तूफान के कारण बाढ़ आई हुई है। २४ अक्तूबर १९५८ को उन्होंने सूचित किया कि दल चार गुरुद्वारों को जा सकता है, परन्तु अनुमति देर से आने के कारण इस का कोई मूल्य नहीं रह गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

**अमेरिका के साथ वस्तु विनियम**

†१६२५. श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पाणिग्रही :
श्री विश्वनाथ राय :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि गेहूं के आयात के बदले अमेरिका को मैंगनीज अयस्क के निर्यात सम्बन्धी प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : बातचीत को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

**कानपुर में प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा संस्था**

†१६२६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा संस्था को प्रारम्भ करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १-१२-१९५८ से एक वृहद् लघु उद्योग सेवा संस्था कानपुर में प्रारम्भ की गई है। प्रादेशिक संस्थाओं के बजाय अब प्रत्येक राज्य में वृहद् सेवा संस्था बनाने का विचार है।

**औद्योगिक बस्तियां**

†१६२७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बस्तियां प्रारम्भ करने का नया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है और वे कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) द्वितीय योजनावधि में औद्योगिक बस्तियों के लिये पुनरीक्षित आवंटन न हो सकने के कारण २२ अगस्त १९५८ के बाद औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के किसी नये प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**कागज का उत्पादन**

†१६२८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान वर्ष के पूर्वार्द्ध में कागज के उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). पहले वर्ष के छः महीनों के औसत उत्पादन से इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में कागज का उत्पादन १५ प्रतिशत अधिक रहा है।

## मोटर गाड़ी

†१६२९. **श्री राम कृष्ण** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान वर्ष के पूर्वार्द्ध में मोटर गाड़ियों का उत्पादन पर्याप्त कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में मोटर गाड़ियों का उत्पादन १२५६७ गाड़ियां था जबकि १९५६ तथा १९५७ की इसी अवधि में मोटर गाड़ियों का उत्पादन १५०३३ तथा १६६२३ था।

(ग) उत्पादन में कमी का पहला कारण विदेशी मुद्रा की कमी है। अप्रैल १९५८ से लगभग ४ महीनों के लिये मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स कारखाने में हड़ताल के कारण भी उत्पादन कम हो गया।

## बर्मा के साथ व्यापार अन्तर[1]

†१६३०. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर १९५८ तक ९ महीनों में भारत का बर्मा के साथ व्यापार अन्तर अच्छा नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि में बर्मा से कितने मूल्य का आयात-निर्यात हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) जनवरी-सितम्बर १९५८ की अवधि में भारत में बर्मा से आयात २८.७८ करोड़ रुपये तथा भारत से बर्मा को निर्यात ५.११ करोड़ रुपये का हुआ है।

## केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैडिकल आफिसरों के लिए एम्बुलेंस तथा स्टाफ कार

†१६३१. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैडिकल आफ़िसरों के लिये कितनी स्टाफ कारें तथा एम्बुलेंस गाड़ियां हैं ;

(ख) १९५७-५८ वर्ष में तथा सितम्बर १९५८ तक आधे वर्ष में प्रत्येक मे कितनी धनराशि के पट्रोल की खपत हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Trade Balance

(ग) कर्म-भारित कर्मचारियों (वर्क चार्ज्ड स्टाफ़) में से रोगियों को उन के निवास स्थान पर देखने के लिये गये मैडिकल आफ़िसरों ने स्टाफ कारों का कितनी बार प्रयोग किया ;

(घ) कर्म-भारित कर्मचारियों में से रोगियों के लिये कितनी बार एम्बुलैन्स गाड़ियों का प्रयोग किया गया ;

(ङ) क्या स्टाफ कारों और एम्बुलैंस गाड़ियों के लिये 'लॉग बूक' रखी जाती है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) स्टाफ कार—एक।

चलते फिरते चिकित्सा एकक व एम्बुलैंस गाड़ी—एक।

(ख)

| | १९५७–५८ | अप्रैल १९५८ से सितम्बर १९५८ |
|---|---|---|
| स्टाफ कार | ४०० गैलन | १४२ गैलन |
| चलते फिरते एकक | १४० गैलन | २५७ गैलन |

स्टाफ कार जनवरी १९५८ से अप्रैल १९५८ तक तथा चलते फिरते एकक अप्रैल १९५७ से दिसम्बर १९५७ तक बेकार रहे और इसलिये इस अवधि में पैट्रोल की खपत में विभिन्नता है।

(ग) और (घ) :

(१) उन के निवास स्थान पर रोगियों को देखने जाने के लिये—दो बार।

(२) रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिये—चार बार।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के स्वास्थ्य एकक से सम्बद्ध गाड़ियां कर्मचारियों को काम के स्थान पर देखने के लिये होती हैं तथा उन को उन के निवास स्थान पर देखने के लिये नहीं। परन्तु फिर भी रोगियों को उन के निवास स्थान पर देखने की किसी प्रार्थना को अभी तक ठुकराया नहीं गया है।

(ङ) स्टाफ कार तथा एम्बुलैंस गाड़ियों के लिये 'लॉग बुक' रखी जाती है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, त्रिपुरा

†१६३२. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, त्रिपुरा, को सरकार ने कुल कितना अग्रिम धन दिया है ;

(ख) सितम्बर १९५८ तक बोर्ड का मासिक व्यय क्या है ;

(ग) बोर्ड के अधीक्षण में चलने वाले चरखों के सूत का मासिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) क्या बोर्ड का कोई पुनर्गठन किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १,६१,००० रुपये।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(घ) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

**विदेशी सार्थों को रायल्टी**

†१६३३. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी उद्योग में नियुक्त विदेशी सार्थ को कोई रायल्टी दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो किस दर पर ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). विशिष्ट उद्योगों में विदेशी प्रविधिक सहयोग प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि सम्बंधित विदेशी सार्थों को रायल्टी दी जाये। परन्तु कोई प्रामाणिक दर निश्चित नहीं है। प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है तथा प्रविधि के आधार पर दर निश्चित होती है।

**राज्यों को आवंटित सीमेंट**

†१६३४. { **श्री दलजीत सिंह :**
**श्री सरजू पाण्डे :**

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ म अब तक प्रत्येक राज्य को कितने सीमेंट का आवंटन किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** १९५८-५९ में प्रत्येक राज्य को सीमेंट का आवंटन तथा उसको भेजने का विवरण संबद्ध है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]

**योजना आयोग के अधीन समितियां**

†१६३५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या योजना मंत्री १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में अब तक योजना आयोग के अधीन काम करने वाली समितियों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]

**पटियाला में निवास स्थान**

†१६३६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ को सभी कार्यालयों का स्थानान्तरण करने के पश्चात् पटियाला के बड़े बड़े मकानों में पर्याप्त निवास स्थान उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कुछ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को वहां ले जाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). पंजाब सरकार ने बताया है कि पटियाला में निवास स्थान उपलब्ध नहीं है क्योंकि भूतपूर्व पेप्सु कार्यालयों

†मूल अंग्रेजी में

के चंडीगढ़ चले जाने से रिक्त स्थानों को पंजाब के पुनर्गठित राज्य के कार्यालयों को बांट दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को वहां ले जाने के प्रश्न पर तभी विचार हो सकता है जब वहां पर उपर्युक्त स्थान उपलब्ध हो।

## सरकारी भवनों के किरायों की बकाया राशि

†१६३७. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ वर्ष में दिल्ली तथा नई दिल्ली के सरकारी भवनों में रहने के कारण सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित शीर्षों के अधीन कितना किराया बाकी है :

(१) वर्ष में वसूल किये जाने वाले किराये की कुल राशि ;

(२) वसूल हुआ किराया ;

(३) वर्ष समाप्ति पर बकाया; और

(४) इसको वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही ;

(ख) क्या प्रति माह सरकारी कर्मचारियों के वेतन से किराया काटा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किराये के बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) (१), (२), (३) तथा (४) सरकारी कर्मचारियों, किराये देने वाले सरकारी विभागों, संसद् सदस्यों तथा अन्य संगठनों के द्वारा १९५७-५८ में सरकार को देय ११९ लाख रुपये के किराये का कुल निर्धारण किया गया था। क्योंकि किराये का रिकार्ड भवनवार रखा जाता है तथा किरायेदार-वार नहीं, इसलिये सरकारी कर्मचारियों से उगाहे गये किराये के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष में लगभग १०७ लाख रुपये किराये के रूप में वसूल किये गये। लगभग १२ लाख रुपये के बकाया में, सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय बकाया, लगभग १० लाख रुपये है जिसकी गणना भवनवार दी गई है। इसकी अधिकांश धनराशि सरकारी कर्मचारियों से उगाह ली गई है और मंत्रालयों तथा सम्बंधित विभागों से सूचना प्राप्त न होने के कारण एस्टेट आफिस की पुस्तकों में उसका समायोजन नहीं हुआ है। सेना के सांख्यकी विभाग की सहायता से बकाया मंत्रालयवार तथा विभागवार बांट दिये गये हैं तथा विशेष कार्य के लिये एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जो मंत्रालयों तथा विभागों से बकाया उगाहने के लिये सम्पर्क स्थापित करेगा।

(ख) जी हां।

(ग) (१) जैसा कि (क) में बताया गया है, बकाया का अधिकांश अंश मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा एस्टेट आफिस को सूचना न देने के कारण है और इसीलिये वसूली होने पर भी अपनी पुस्तकों में एस्टेट आफिस बकाया को दिखा रहा है। भविष्य में कागजों में बकाया न रहने के लिये सभी मंत्रालयों तथा विभागों को लिखा गया है कि जिस महीने में उगाही की गई हो उस महीने की ५वीं तारीख तक वसूली की सूचना एस्टेट आफिस में भेज देनी चाहिये।

(२) कुछ मामलों में बकाया इसलिये रह जाता है क्योंकि मंत्रालयों तथा विभागों को एस्टेट आफिस से किराये की सूचना देर से मिलती है। इसके लिये यह निर्धारित किया गया है कि किराये

---

†मूल अंग्रेजी में

के बिल जिस महीने से सम्बधित हों उस महीने की १० तारीख तक मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दिये जाने चाहियें ।

(३) कुछ मामलों में बकाया इसलिये रह जाता है क्योंकि सेवा निवृत्ति, मृत्यु, पदच्युति, स्थानांतरण आदि के कारण वेतन से किराये की वसूली संभव नहीं होती है । ऐसे मामलों में सरकार को देय अन्य राशियों से समायोजन करना होता है । जहां यह संभव नहीं होता है, वहां सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ के उपबन्धों को लागू किया जाता है जो किराया भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किये जाने के सम्बन्ध में है ।

## गांधी ग्राम, त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१६३८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के गांधी ग्राम के निवासियों से उस बस्ती में भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या प्रशिक्षण-व-उत्पादन संतोषप्रद रूप से चल रहा है;

(ग) धान की भूसी अलग करने और धानी सम्बन्धी योजनाओं में कितने व्यक्ति लगे हैं; और

(घ) क्या इस बस्ती के कार्य के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह १२ अगस्त, १९५८ को ही आरम्भ हुआ था और अभी से उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ग) धान की भूसी अलग करने की योजना में ३६ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । धानी योजना अभी आरम्भ नहीं हुई है ।

(घ) कोई विशेष जांच नहीं हुई है लेकिन पुनर्वास विभाग के अधिकारीगण सदैव कुछ-कुछ अवधि बाद सभी बस्तियों का निरीक्षण करते रहते हैं ।

## कच्ची फिल्मों पर आयात-प्रतिबन्ध

†१६३९. श्री तंगमणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९५८ में समाप्त होने वाली छमाही में कच्ची फिल्मों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध कुछ ढीले किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की रियायत की गयी है; और

(ग) सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही में कुल कितने मूल्य की कच्ची फिल्मों का आयात किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता ।

(ग) ७७,४९,८२१ रुपये की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१६४०. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड से कुल कितने मूल्य की वस्तुयें खरीदी हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम केवल छोटे पैमाने के कारखानों की सरकारी ठेके प्राप्त करने में मदद करता है और वह भी केवल उन वस्तुओं के बारे में जिनकी केंद्रीय सरकार के विभागों को आवश्यकता होती है और जिसके लिये संभरण तथा निबटान महानिदेशालय को इंडेंट दिये जाते हैं। अप्रैल-नवम्बर, १९५८ की अवधि में छोटे पैमाने वाले कारखाने निगम की सहायता से १,५९,७१,४२८ रुपये के ठेके प्राप्त करने में सफल हो गये थे।

## मोटर कार और साइकिलें

†१६४१. श्री झूलन सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान में देश में कुल कितनी (१) मोटर कारें और (२) साइकिलें जोड़ी[1] और निर्मित की गयीं ;

(ख) इसी अवधि में कुल कितनी कारों और साइकिलों का आयात किया गया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में इन में से कितनी देश के भीतर ही बेच दी गयीं और कितनी-कितनी का किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): वर्ष १९५७ के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(क) मोटर कारें—११,६०१
साइकिलें—८,९९,४०२

(ख) मोटर कारों के पृथक आंकड़ तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जीपों और लैण्डरोवरों को छोड़ कर २४७ मोटर गाड़ियों का आयात किया गया था।

साइकिलें—९०,१८०

(ग) बिक्री (दूकानदारों को)

मोटर कारें—११,६४३

साइकिलें (लगभग)—८,४६,७८५

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Assembled.

**निर्यात**

| देश | मोटर कारें | साइकिलें |
|---|---|---|
| अफगानिस्तान | १ | |
| सऊदी अरब | | १२ |
| नेपाल | | ५ |
| पाकिस्तान पूर्व | | १ |
| बर्मा | | १ |

**संयुक्त राष्ट्र संघ की समितियां**

†१६४२. **श्री कोरटकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में और १९५८ में अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल कितनी समितियों में भारत ने भाग लिया है ; और

(ख) इन में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) . १९५७ और १९५८ में संयुक्त राष्ट्र संघ की जिन समितियों में भारत ने भाग लिया उन के नामों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]** । इन निकायों में जिन विषयों पर चर्चा हुई उन का सामान्य स्वरूप उन के नाम से ही स्पष्ट हो जायेगा ।

**आकाशवाणी का दिल्ली केन्द्र**

१६४३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से गढ़वाली के कितने लोकगीत और अन्य कार्यक्रम प्रसारित किये गये; और

(ख) इन कार्यक्रमों के स्तर को ऊंचा करने और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) :** (क) १३० ।

(ख) इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान उन के १९ नवम्बर, १९५७ को किये गये प्रश्न संख्या ३७५ के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। आकाशवाणी के कार्यक्रम के स्तर को ऊंचा करने का काम बराबर जारी रहता है । इस सम्बन्ध में सब आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । उन में एक खास रेकार्डिंग दल का गढ़वाल भेजना भी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**विस्थापित व्यक्तियों को निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन**

†१६४४. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री २ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई मामलों में किये गये निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन को अभी तक रद्द नहीं किया गया है; और

(ख) क्या यह आवंटन ऐसे गैर-विस्थापित व्यक्तियों को भी कर दिय गये थे जो इस के लिये पात्र नहीं थे ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जहां एक से अधिक आवंटन ध्यान में आये और सिद्ध हो गये उन मामलों में किये गये निर्धारित सीमा से अधिक वाले आवंटन रद्द कर दिये गये थे ।

(ख) जी हां, किराये के आधार पर । जहां भी कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यकता हुई यह आवंटन किये गये थे । आवंटन संस्थाओं को भी किये गये थे ।

**वैकल्पिक स्थान**

†१६४५. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये बदले में दूसरे स्थान का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** नई दिल्ली के एस्टेट आफिस नियंत्रणाधीन सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सभी विस्थापित व्यक्तियों को, पात्रता के अधीन रहते हुए, बदले में दूसरा स्थान देने का प्रस्ताव किया गया था ।

पात्रता के लिये निश्चित किया गया मानदण्ड इस प्रकार है :—

(क) कि ये व्यक्ति ११-१२-१९४८ या उससे भी पहले से सरकारी आवंटियों के मकानों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं या उनके थोड़े से हिस्से में रहते हैं ।

(ख) कि संबंधित व्यक्ति विस्थापित व्यक्ति, वास्तव में विस्थापित व्यक्ति हों ।

(ग) कि संबंधित व्यक्तियों ने कभी क्षत्ति का भुगतान करने में चूक न की हो ।

(घ) ११-१२-१९४८ से अब तक की उन की लगातार रिहायश होनी चाहिये और यदि आवंटी के मकान बदल लेने के कारण उनका भी वहां से हटना आवश्यक हो गया हो तब भी आवंटी वही पहले वाला ही होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## आयात के लाइसेंस

†१६४६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम को किन-किन वस्तुओं के आयात लाइसेंस दिये जाते हैं ;

(ख) क्या इन्हीं वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जिन वस्तुओं के आयात लाइसेंस राज्य व्यापार निगम को दिये जाते हैं उन के नामों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ख) जी हां, केवल निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़ कर जिनके आयात लाइसेंस केवल राज्य व्यापार निगम को दिये जाते हैं :—

पोर्टलैंड सीमेंट

कच्चा रेशम

कास्टिक सोडा (रेयन ग्रेड के सोडा के अलावा)

सोडा ऐश (लाइट)

सोडियम नाइट्रेट

अमोनियम सल्फेट , खनिज फास्फेट्स

म्यूरियेट आफ पोटाश

(ग) समय-समय पर भिन्न-भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रचलित आयात नीति के आधार पर ।

## लाइसेंसों का दिया जाना

†१६४७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवेदन कर्ताओं द्वारा पूरी अपेक्षित जानकारी न दी जाने के कारण लाइसेंस देने वाले पदाधिकारी द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं के आवेदन पत्रों के निबटारे में विलम्ब हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन का शीघ्र निबटारा कराने के संबंध में कुछ औपचारिक कार्य-वाही की गयी है, और यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां । कुछ मामलों में ऐसा होता है ।

(ख) इस का इलाज आवेदन कर्ता के हाथ में ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम**

†१६४८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने कभी मनीपुर के छोटे उद्योगों को बिक्री के संबंध में कोई सहायता पहुंचाई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) हालांकि अब तक बिक्री के सं में विशेष रूप से तो कोई सहायता नहीं दी गई है, परन्तु संबंधित क्षेत्र में निगम द्वारा चलायी जाने वाली किराया-खरीद योजना का काफी प्रचार किया गया था, लेकिन इस सुविधा से लाभ उठाने के लिये बहुत थोड़े लोग सामने आये ।

(ख) मनीपुर राज्य से ट पायने की मशीन और डीज़ल ईंजन के संभरण के लिये केवल एक ही आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था । हालांकि यह आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और वे मशीनें दी जा रही थीं फिर भी आवेदन कर्ता ने बाद में अपनी अर्जी वापस ले ली ।

**इम्फाल का काम दिलाऊ दफ्तर**

†१६४९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक इम्फाल के काम दिलाऊ दफ्तर में अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने अभ्यार्थियों ने अपने नाम लिखाये हैं ; और

(ख) इनमें से कितनों के लिये रोज़गार का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) . यह जानकारी नीचे दी जाती है :—

| वर्ष/अवधि | नाम लिखाने वालों की संख्या | रोजगार पाने वालों की संख्या |
|---|---|---|
| १९५७ (जून-दिसम्बर) | २९५ | -- |
| १९५८ (जनवरी—अक्तूबर) | ९७१ | १३३ |

**भारत समाचार**

†१६५०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में वितरण के लिये हिन्दी और नेपाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'भारत समाचार' अब केवल नेपाली भाषा में प्रकाशित होती है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स पत्रिका की कुल कितनी प्रतियां छपती हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) 'भारत-समाचार' सितम्बर, १९५६ तक केवल हिन्दी में प्रकाशित होती थी और तब से वह केवल नेपाली में प्रकाशित होती है ।

(ख) स्थानीय लोगों द्वारा 'भारत समाचार' के हिन्दी संस्करण के प्रति विशेष उत्साह न दिखाये जाने के कारण काठमांडू स्थित हमारे दूतावास ने से नेपाली में, जो उस क्षेत्र की राष्ट्र-भाषा है, प्रकाशित करने का निश्चय किया । इस परिवर्त्तन का अच्छा फल निकला है और इसकी प्रतियों की मांग बढ़ गयी है ।

(ग) प्रत्येक अंक की दो हजार प्रतियां ।

## घड़ियों का आयात

†१६५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक प्रत्येक देश से कुल कितने-कितने मूल्य की घड़ियों का आयात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: १९५८–५९ (अप्रैल-सितम्बर, १९५८) में भारत में प्रत्येक देश से आयात की गयी घड़ियों की कुल कीमत स प्रकार है ;

कीमत '०००' रुपयों में

| | |
|---|---|
| **स्टाप वाचेज** | |
| ब्रिटेन | ३ |
| स्विटजरलैण्ड | ५ |
| जोड़ | ८ |
| **कलाई घड़ियां** | |
| ब्रिटेन | २३ |
| जर्मनी पश्चिम | १३ |
| स्विटजरलैण्ड | ५७४ |
| स्वीडन | ११ |
| इटली | १ |
| जोड़ | ६२२ |
| **दीवार घड़ियां व अन्य घड़ियां** | |
| ब्रिटेन | ४ |
| जर्मनी पश्चिम | २ |
| स्विटजरलैण्ड | १ |
| जोड़ | ७ |

सितम्बर, १९५८ के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

**स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम**

†१६५२. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के बाद स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम को बन्द कर देने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम के लिये १५ करोड़ रुपयों का जो पूरा उपबंध किया गया उसकी पूरी राशि राज्यों को योजना के प्रथम तीन वर्षों में ही बांट दी गयी है और १९५९–६० में दी जाने के लिये अब कुछ भी राशि नहीं बची है ।

परन्तु, कई राज्यों ने इस कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष के बाद भी जारी रखने का अनुरोध किया है । यह बात अभी विचाराधीन है ।

**पंडारा रोड वाले फ्लैट**

†१६५३. **श्री सुगन्धि :**
**श्री उ० च० पटनायक :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में पंडारा रोड के 'ई' टाइप के फ्लैटों में 'ए' और 'बी' ब्लाक में दी गयी सुविधाओं में कुछ विषमता पाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो यह विषमता किस प्रकार की है; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) 'बी' ब्लाक के नीचे वाले प्रत्येक फ्लैट में पिछवाड़े वाले बरामदे के बाहर सीमेन्ट का एक चबूतरा बनाया गया है जब कि 'ए' ब्लाक में यह बात नहीं है । तीन अन्य छोटे-छोटे अन्तर और हैं—अर्थात 'बी' ब्लाक में वाशबेसिन पिछवाड़े वाले बरामद में लगाये गये हैं, भंडार घर के दरवाजे की किवाड़ बाहर की ओर बरामदे में खुलती हैं और खिड़कियों पर हरी रोगन की गयी है जबकि 'ए' ब्लाक में वाशबेसिन गुसलखाने में लगाये ग हैं; भंडार-घर के दरवाजे की कीवाड़ें भंडार के भीतर की ओर खुलती हैं और खिड़कियों पर गाढ़ा बादामी रोगन किया गया है ।

(ग) दोनों ब्लाकों में खिड़कियों के रंगों के अलावा और जो अन्तर हैं उन्हें दूर करने के लि आवश्यक हिदायतें दे दी गयी हैं ।

**सरकारी पदाधिकारियों को रेफ्रिजरेटर देना**

१६५४. **श्री बाल्मीकी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ की ग्रीष्म ऋतु में कितने सरकारी पदाधिकारियों ने एस्टे पदाधिकारी, नई दिल्ली से अस्थायी तौर पर रेफ्रिजरेटर देने के लिये प्रार्थना की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन प्रार्थनापत्रों के फलस्वरूप स्टेट पदाधिकारी ने कितने सरकारी पदाधिकारियों को रेफ्रिजरेटर दिये थे,

(ग) क्या दिये गये रेफ्रिजरेटर पुराने थे अथवा नये,

(घ) कितनी बार ये रेफ्रिजरेटर खराब हो गये और उनकी मरम्मत करनी पड़ी और कितने रेफ्रिजरेटरों की अधिक मरम्मत करनी पड़ी ;

(ङ) क्या दिये गये रेफ्रिजरेटरों पर उनके नियत किराये के अतिरिक्त पच्चीस तिशत अधिक किराया लिया गया था ; और

(च) यदि हां, तो यह अधिक किराया क्यों लिया गया था ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) २० ।

(ख) १४ ।

(ग) पुराने ।

(घ) २७ बार खराबी हुई जिसमें केवल एक बार अधिक मरम्मत कराने की आवश्यकता पड़ी ।

(ङ) हां ।

(च) नियत किराया १२ महीने प्रयोग करने पर आधारित है । अस्थायी अलाटमेंटों की बीच की निरर्थक अवधि के कारण अस्थायी अलाटमेंट पर २५ प्रतिशत अधिक किराया लगाया जाता है ।

## इन्डामेर कम्पनी[1]

†१६५५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री मुहम्मद इलियास :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण में विमान से माल गिराने के लिये इन्डामेर कम्पनी को भुगतान उड़ान के घंटों के आधार पर, जिसमें विमान में नीचे माल लादने का समय भी शामिल कर लिया जाता है, किया जाता है ;

(ख) इन्डामेर के उड़ान के घंटों की जांच के लिये किन रेकार्डों की जांच की जाती है ; और

(ग) क्या कन्ट्रोल टावर द्वारा उड़ान के घंटों के संबंध में रखे गये रेकार्ड इन्डामेर के रेकार्डों से मिलते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं । इन्डामेर कम्पनी के साथ हुए ठेके की शर्तों के अनुसार उड़ान के समय का हिसाब विमान के जमीन छोड़ने और धरती पर आने के समय तक के आधार पर रखा जाता है और उसमें विमान पर माल लादने और उतारने का समय नहीं जोड़ा जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Indamer Company

(ख) उड़ान के घंटों की जांच के लिये रोड़िया और मोहनबाड़ी के कन्ट्रोल टावरों के रेकार्डों की जांच की जाती है ।

(ग) आमतौर पर मिलते हैं । जिस मामले में दोनों में अन्तर पाया जाता है उस में भुगतान कन्ट्रोल टावर या इन्डामेर के रेकार्डों के अनुसार जिसका कम होता है, उसी के आधार पर किया जाता है ।

**फरीदाबाद की बाटा शू कम्पनी के श्रमिक**

†१६५६. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद की बाटा शू कम्पनी के श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने २२ नवम्बर, १९५८ को प्रधान मंत्री से भेंट की थी ;

(ख) क्या उन की मांगों के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और वह मामले पर विचार कर रही है ।

**पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई**

†१६५७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब राज्य में गन्दी बस्तियों की सफाई की कोई योजना तब से स्वीकृत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी कोई परियोजना पंजाब सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। निर्धारित पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार अब स्वयं राज्य सरकार इस प्रकार की परियोजना की स्वीकृति दे सकती है, शर्त केवल इतनी है कि वह गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी योजना के उपबन्धों के अनुरूप हो ।

**उड़ीसा की औद्योगिक बस्तियां**

†१६५८. **श्री वें० च० मलिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले में केन्द्रपाड़ा के स्थान पर औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

(ख) इस बस्ती की स्थापना में सम्भवतः कितना समय लगेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त से पूर्व उड़ीसा में और भी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) केन्द्रपाड़ा औद्योगिक बस्ती के लिये भूमि अर्जन की जो बातचीत चल रही थी उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही भूमि का कब्जा ले लिया जायेगा। राज्य सरकार का विचार केन्द्रपाड़ा में इस चालू वित्तीय वर्ष में छः खंडों का निर्माण करने का है।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं कि इसका आरम्भ कब तक हो सकेगा।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय काल के दौरान में राज्य सरकार का विचार कटक, झरसुगुदा, बरहामपुर और रूरकेला में एक-एक बस्ती और स्थापित करने का है। इन पांचों योजनाओं को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

## पंजाब में हस्तशिल्प

†१६५९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी काल में पंजाब में हस्तशिल्पों के विकास के लिये कितनी राशि के दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : वित्तीय स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे हस्तशिल्पों के लिये धन राशियां निर्धारित की जाती हैं। इस के लिये यह भी देखा जाता है कि राज्य सरकारों ने किस प्रकार की योजनायें बनाई हैं और उसकी प्रगति क्या है। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी समय में पंजाब राज्य को हस्तशिल्प के विकास के लिये निर्धारित की जाने वाली राशि का अन्दाजा इस अवस्था में नहीं लगाया जा सकता। इसका निर्णय यथा समय कर लिया जायेगा।

## पंजाब की औद्योगिक बस्तियां

†१६६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पंजाब में स्थापित औद्योगिक बस्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) इन में किस प्रकार के कारखानों का निर्माण हुआ है ; और

(ग) इस प्रकार की बस्तियों पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) पंजाब में अभी तक कोई औद्योगिक बस्ती नहीं खुली है।

(ख) केवल लुधियाना की प्रस्तावित बस्ती में कारखानो के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहां तीन प्रकार के कारखाने बनाये जा रहे हैं अर्थात्:—

क श्रेणी (साइज ८०'×५०')

ख श्रेणी (साइज ४०'×५०')

---

†मूल अंग्रेजी में

ग श्रेणी (साइज २५'×५०')

कोई भी कारखाना चालू नहीं हुआ है।

(ग) सितम्बर, १९५८ तक लुधियाना की प्रस्तावित बस्ती पर राज्य सरकार द्वारा ८·६२ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

**अखिल भारतीय पेट्रोलियम कर्मचारी संघ**

†१६६१. **श्री पु० र० पटेल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय पैट्रोलियम कर्मचारी संघ से सम्बन्धित संघों तथा कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) तेल समवायों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अखिल भारतीय पैट्रोलियम कर्मचारी संघ को सदस्यता सम्बन्धी सत्यापित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) तेल वितरण समवायों से जो कुछ जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार इस उद्योग में २०,५०० कर्मचारी काम कर रहे हैं।

**अगरताला स्थित फलों को डिब्बों में बन्द करने का केन्द्र**

†१६६२. **श्री दशरथ देब :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा अगरताला में फलों को डिब्बों में बन्द करने के केन्द्र को स्थापित करने और चालू करने में कुल कितनी धन राशि खर्च की गई है ;

(ख) कुल कितने डिब्बों का इस केन्द्र में 'उत्पादन' हुआ ;

(ग) इन डिब्बों की बिक्री से कुल कितनी आय हुई ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ डिब्बों का स्टाक अनबिका भी पड़ा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य-मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**कारों की बिक्री**

†१६६६. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कूटनीतिज्ञों द्वारा भारत में मोटरकारों के बेचने से सम्बन्धित नियम क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कूटनीतिज्ञों द्वारा विदेशों में मोटरकारों की बिक्री के लिये भी कोई नियम निर्धारित कर रखे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) विदेशी कूटनीतिज्ञों द्वारा भारत में मोटरकारों की बिक्री १९५७ के विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमा शुल्क विशेषाधिकार विनियम) नियमों के अन्तर्गत होती है। उसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गयी है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]

(ख) सरकार ने भारतीय कूटनीतिज्ञों द्वारा विदेशों में बेचे जाने वाली मोटरकारों सम्बन्धी कोई नियम तो नहीं बनाये हैं, परन्तु व्यापक प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं जिसका उद्देश्य यह है कि लाभ कमाने के विचार से कारों की बिक्री की अनुमति न दी जाये।

## रामपुर जिले में बसे विस्थापित

†१६६७. श्री सै० अ० मेहदी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गत १० वर्षों से रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर और स्वाओ में बसे काफी संख्या में विस्थापितों को अपने घरों और खेतों को छोड़ कर अन्य जिलों में जाने के लिए कहा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन लोगों की संख्या क्या है और यह कितने क्षेत्र में सिंचाई करते हैं ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्य-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कुछ राय सिखों ने, जो कि गैर विस्थापित कहे जाते हैं, रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर और स्वाओं में जंगल भूमि पर कब्जा कर लिया। इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है और वही इस दिशा में समुचित कार्यवाही करेगी।

(ग) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

## नारियल के तेल का आयात

†१६६८. { श्री वासुदेवन नायर :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या फिलिपाइन्ज़ से भारत में नारियल के तेल का आयात हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ में यह कितनी मात्रा में आयात हुआ ; और

(ग) फिलिपाइन्ज़ के तेल और भारत में उत्पादित तेल की कीमत तुलनात्मक रूप में कैसी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) फिलिपाइन्ज़ के तेल की कीमतों के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

## यूरेनियम का उत्पादन

†१६६९. श्री प्र० गं० देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष निकाले जाने वाली यूरेनियम की मात्रा कितनी है ;

(ख) किन स्थानों पर यूरेनियम की खानों का पता लगाया गया है ; और

(ग) देश के यूरेनियम निक्षेपों का पूरा लाभ उठाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) इस बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

(ख) यूरेनियम अयस्क की खानों का पता करने के लिये मुख्यत: बिहार और राजस्थानों के राज्यों में काम हो रहा है ।

(ग) देश में यूरेनियम निक्षेपों का पता करने के लिये सविस्तार और नियमित सर्वेक्षण व खोज कार्य अणु शक्ति विभाग के अणु खनन अनुभाग द्वारा १९५० से भारत के विभिन्न राज्यों में हो रहा है । ६ भूतत्वीय क्षेत्र दलों और ११ खोदने वाले दलों, जिन्हें कि शीघ्र ही २३ कर दिया जायेगा, इस समय विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं । जहां से प्राप्त अयस्क व्यापारिक दृष्टि ठीक है और प्राप्त हो सकता है वहां प्रयोगात्मक खनन कार्य भी किया गया है । गैर-सरकारी पूर्वेक्षकों व खानों के मालिकों को भी यूरेनियम सहित अणु खनिजों के खोज कार्य के लिये कर्जा इत्यादि तथा मुफ्त प्रविधिक सहायता द्वारा, प्रोत्साहन दिया जाता है । समुचित निक्षेपों के विकास और नये निक्षेपों के खोज निकालने के लिए भी सहायता दी जाती है ।

## तिनसुकिया (आसाम) की औद्योगिक बस्ती

†१६७१. श्री प्र० च० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुकिया (आसाम) में कोई औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो किस आकार की तथा उस पर क्या व्यय होगा ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तिनसुकिया (आसाम) में औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की कोई प्रस्थापना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## काफी और चाय बोर्ड

†१६७२. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी और चाय बोर्डों की १९५६-५७, और १९५७-५८ की कुल आय व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रचार और विज्ञापन पर क्या व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क)

| चाय बोर्ड | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| | १९५६-५७ . . . | १३८ लाख रु०* | ८७ लाख रु० |
| | १९५७-५८ . . . | १३९ लाख रु०* | १०० लाख रु० |
| (ख) | १९५६-५७ . | २२ लाख रु० | |
| | १९५७-५८ . | १४ लाख रु० | |

*रोकड़ बाकी समेत ।

काफी बोर्ड के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

**रेशम उद्योग**

†१६७३. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में रेशम उद्योग के विकास के लिये क्या कुछ किया जा रहा है ;

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ किस्मों के रेशमी माल का निर्यात भी होता है ; और

(घ) यदि हां, तो कौन से देशों को यह माल निर्यात किया जाता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) पंजाब में रेशम उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने निम्न पग उठाये हैं :—

(१) विशेष योजनाओं के कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान देना ।

(२) अच्छी कोटि के जापानी रेशम कीटों का वितरण ।

(३) रेशम के कीड़ों का सुधार ।

(४) प्रदर्शन केन्द्रों द्वारा कच्चे रेशम के रीलिंग में सुधार ।

(५) राज्य के रेशम कीट पालन विभाग के एक अधिकारी का जापान भेजा जाना ।

(६) राज्य की सहायता के लिये जापानी रेशम कीट पालन विशेषज्ञों की इस कार्य के लिए सहायता उपलब्ध करना ।

(ख) कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि हुई है । यह १९४९ में १४८७७ पौंड था ; और १९५७ में यह २१,४०० पौंड हो गया ।

(ग) पंजाब से रेशमी माल विदेश में कहीं निर्यात नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**पंजाब की द्वितीय पंचवर्षीय योजना**

†१६७४. श्री दलजीत सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अपनी पंचवर्षीय योजना की निर्धारित राशि के अतिरिक्त पंजाब सरकार ने कुछ इमारतों के लिये धन की मांग की थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ स्वीकृत किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा में ८-११-५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१५ की ओर आकृष्ट करवाया जाता है।

## वनस्पतियों का निर्यात

†१६७५. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ के मुकाबले में इस वर्ष वनस्पतियों के निर्यात में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) उन देशों के नाम जहां कि ये निर्यात हो रही हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) पत्री वर्ष के प्रथम नौ महीने में ५५ लाख रुपये का अधिक निर्यात हुआ ।

(ग) लंका, अदन, बहरीन द्वीप, ट्रशियल, ओमन, केनिया, बर्मा, जंजीबार, टांगानीका, मलाया, सिंहगापुर ।

## हथ करघा उद्योग

†१६७६. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का सूत हाथ करघा उद्योग में खपत हुआ; और

(ख) उपरोक्त काल में हाथ करघा वस्त्र उत्पादन पंजाब में अनुमानत: कितने मूल्य का हुआ ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सहकारी संस्थाओं द्वारा खपत किये गये सूत का अनुमानित ब्योरा निम्न प्रकार है :

| वर्ष | सूत (पौण्डों में) |
|---|---|
| १९५६-५७ | १,६३,४६२ |
| १९५७-५८ | ६,९०,५२६ |
| १९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर १९५८) | २,७२,९०६ |

मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित हाथ करघा के कपड़े का अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार है :

| वर्ष | कीमत (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| १९५६-५७ | ५१.५६ |
| १९५७-५८ | ६०.८१ |
| १९५८-५९ (अप्रैल से सितम्बर १९५८) | २४.०७ |

सहकारी संस्थाओं के बाहर के क्षेत्रों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## खादी का उत्पादन

१६७७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि खादी उत्पादन केन्द्रों में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग के फलस्वरूप पुराने तरीके से काम करने वाले सभी कारीगर बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पुराने बुनकरों को आधुनिक ढंग का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता किन्तु नये-नये लोगों को इसका प्रशिक्षण देकर काम में लगाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

## अम्बर खादी उद्योग

†१६७९. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अम्बर खादी उद्योग के लिये कितनी सहायता और कितना कर्ज़ा दिया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : क्योंकि पंजाब में संविहित खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विद्यमान है, अतः १९५७-५८ में उक्त राज्य में अम्बर खादी उद्योग के विकास के लिये धन बोर्ड व रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा ही स्वीकृत किया गया था । यह स्वीकृत राशि १७.२२ लाख रुपये सहायता और २६.२७ लाख रुपये कर्ज के रूप में थी । इसके अतिरिक्त २.१७ लाख रुपये का जो कर्जा १९५६-५७ में दिया गया था उसका भी नवीकरण कर दिया गया है ।

## पंजाब में अम्बर चर्खा कार्यक्रम

†१६८०. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब राज्य में काम करने वाले अम्बर चर्खों की संख्या क्या है; और

(ख) उनसे औसतन सूत का उत्पादन कितना हुआ ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) लगभग १८,३०० अम्बर चर्खे पंजाब में नवम्बर १९५८ तक काम कर रहे थे, जिन में से १५०० चर्खे प्रशिक्षण केन्द्रों में थे ।

(ख) आजकल पजाब राज्य में सूत का औसत मासिक उत्पादन २९,००० पौंड है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

# स्थगन प्रस्ताव के बारे में

## गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया है कि यह एक ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो पहिले से चल रहा है वस्तुतः बात ऐसी नहीं है यह प्रस्ताव चीनी के कारखानों में कल से प्रारम्भ हुई हड़ताल के सम्बन्ध में है। सात कारखाने बन्द पड़े हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभा यह संकल्प पारित कर चुकी है कि गन्ने का मूल्य बढ़ा कर १.७५ रुपये प्रति मन कर दिया जाय तथापि भावों को निश्चित करने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है अपितु केन्द्रीय सरकार को है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास गन्ने की कीमतें निश्चित करने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्रतिदिन आ रही हैं। इसलिये मैंने इस विषय के सम्बन्ध में अनियत दिन वाले प्रस्ताव को गृहीत किया था। मंत्री महोदय यद्यपि अभी हाल वक्तव्य दे चुके हैं तो भी उनके परामर्श से इस चर्चा के लिये एक दिन निश्चित किया जायेगा। मैं उनसे मामले पर पुनर्विचार करने को कहूंगा।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची—पश्चिम, रक्षित अनुसूचित जातियां): आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। किसी विषय पर सभा में चर्चा होगी या नहीं इसका निर्णय पूर्णतः आप पर निर्भर करता है न कि मंत्री महोदय पर। उनका अपना कार्यक्रम हो सकता है तथापि सभा की इच्छा को जान कर उस विषय पर चर्चा करने की अनुमति देना या न देना आपके अधिकार में है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मेरे विचार से इस विषय पर इसी सप्ताह चर्चा होनी चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सम्भव है आगे स्थिति और खराब हो जाय।

†**श्री रंगा** : इस चर्चा में केवल विरोधी सदस्य ही नहीं अपितु सभी सदस्य दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि भारत सरकार की मूल्य न बढ़ाने की नीति से न केवल सम्बद्ध राज्यों की विधान सभायें और सरकार सहमत हैं अपितु भारत सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय गन्ना समिति भी सहमत है। अतः इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५८-५९ के मौसम के लिये गन्ने की कीमतें गन्ना बोने के मौसम के पूर्व मार्च, १९५८ में निश्चित की गई थीं। मूल्य निश्चित करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। उत्तर प्रदेश और बिहार की दो विधान सभाओं ने संकल्प पारित किये हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प संयुक्त गन्ना बोर्ड को भेजा गया था। उसका यह मत है कि १९५८-५९ के मौसम के लिये कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। कीमतें निश्चित करने के पश्चात से कोई नई बात नहीं हुई है। सदैव यह प्रथा रही है कि एक बार निश्चित की गई कीमतें पूरे मौसम तक चलती हैं। यह विषय स्थिति कुछ राजनैतिक दलों द्वारा पैदा की गई है। ये राजनैतिक दल किसानों को यह सलाह दे रहे हैं कि वे कारखानों को गन्ने का संभरण न करें। गन्ना खराब होने वाली वस्तु है, ऐसी सलाह से किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है। मैं उक्त राजनैतिक दलों से यह निवेदन करूंगा कि वे मामले पर निष्पक्षता से विचार करें और गन्ना उत्पादकों को गलत सलाह न देवें।

---

†मूल अंग्रेजी में

में सभा में एक वक्तव्य पहले ही दे चुका हूं। मुझे उस के अलावा कुछ नहीं कहना है। मेरे विचार से चर्चा या स्थगन प्रस्ताव के लिये कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। उपयुक्त समय में या उपर्युक्त स्थिति में इस बात पर चर्चा की जा सकती है अभी ऐसी चर्चा का कोई कारण नहीं है।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य, जो गन्ना उत्पादक राज्य है की विधान सभाओं ने सर्व सम्मति से यह संकल्प पारित किया है कि कीमतों में वृद्धि की जानी चाहिये। तथापि केन्द्रीय सरकार ने इसे ठुकरा दिया है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : वस्तुत: उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त गन्ना बोर्ड की इस सिफारिश का समर्थन किया है कि १९५८-५९ के मौसम के लिये गन्ने की कीमतें बढ़ाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ना पैदा करने वाले दो राज्यों की विधान सभाओं ने कीमतें बढ़ाने के समर्थन में संकल्प पारित किया है और केवल विरोधी पक्ष के ही नहीं अपितु सरकारी पक्ष के भी कुछ सदस्य इस विषय पर चर्चा करने के समर्थन में हैं, मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति देता हूं। चर्चा परसों सांयकाल ४ बजे से ६ बजे तक होगी। माननीय सस्दयों को चाहिये कि वे इस मामले पर शान्ति से चर्चा करें, आवेश से काम न लें।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

### सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण) आदेश का संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९४९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—११२४-५८]

### सरकारी भूगृहादि (अनाधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम १९५८ की धारा १३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५९ में प्रकाशित सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—११२५-५८]

### अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४६० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—११२६-५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

### राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के लेखा परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—१२२७-५८]

### स्थायी श्रम समिति की कार्यवाही का सारांश

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं स्थायी श्रम समिति के बम्बई में २८ और २९ अक्तूबर, १९५८ को हुए सत्रहवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—११२८-५८]

---

## लोक लेखा समिति

### ग्यारहवां प्रतिवेदन

†श्री रंगा (तेनालि) : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार) १९५५–५६ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (भाग २) के बारे में लोक लेखा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका

†सचिव : लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम १६७ के अधीन मुझे सूचना देनी है कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ (संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में) के संबंध में एक याचिका मिली है ।

### विवरण

### संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक १९५८ के संबंध में याचिका

| हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या | जिला अथवा नगर | राज्य |
|---|---|---|
| १ | दिल्ली | दिल्ली |

†मूल अंग्रेजी में

# अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

## फोलीडोल का यातायात

†श्री केशव (बंगलौर नगर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"फोलीडोल के यातायात से सम्बन्धित नियम न होने के कारण अनिवार्य प्रयोजनों के लिये उसका उपलब्ध न हो सकना"

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं तत्सम्बन्धी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

### वक्तव्य

अप्रल और मई १९५८ में केरल में हुई भोजन के विषाक्त होने की घटना की जांच करने के लिये मई १९५८ में जो जांच आयोग बिठलाया गया था, उसने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अन्तर्विभागीय समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त समिति की सलाह पर ऐसे कृमि नाशक जो बहुत जहरीले होते हैं उन्हें विष अधिनियम १९१९ के अधीन विष घोषित करार दिया गया। फोलीडोल को भी विष घोषित कर दिया गया और इसके परिवहन तथा निर्माण पर सरकार का नियंत्रण हो गया। अभी मोटरगाड़ियों तथा जहाजों द्वारा फोलीडोल के यातायात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

यह ज्ञात हुआ है कि रेलवे फोलीडोल का यातायात स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि यह वस्तु रेलवे रैड टैरिफ संख्या १७ में शामिल नहीं है जिसमें खतरनाक वस्तुओं को ले जाने सम्बन्धी नियम हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि यद्यपि कोई विस्फोटक विभाग ने रेलवे द्वारा फोलीडोल के यातायात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, तथापि चीका प्राइवेट लिमिटेड जो फोलीडोल के आयातकर्ता और वितरक हैं उन्होंने यह प्रार्थना की है कि प्लास्टिक (पालीथीन) के डिब्बों में बन्द फोलीडोल की रेल द्वारा यातायात की अनुमति दी जाये। पालीथीन के डिब्बे फोलीडोल को रखने या उसके यातायात के लिये सुरक्षित नहीं समझे जाते हैं। इसलिये विभाग ने पालीथीन के डिब्बों में फोलीडोल के यातायात की अनुमति नहीं दी। तथापि यदि फोलीडोल निम्नलिखित तरीके से बन्द किया जाय तो उन्हें इसके यातायात पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है ।

(क) चूरा जिसे, घोला जा सकता है :—भारतीय प्रमाप संस्था के नमूने संख्या आई० एस० ९१६/१९५८ (१८ लिटर वाले टिन) के अनुसार जलरक्षित और हवा बन्द डिब्बों में २८ पौंड तक, १ हंडरवेट तक की मात्रा भारतीय प्रमाप संस्था के नमूने संख्या डी० ओ० सी० : सी० डी० सी० २८ (९२१) पी के अनुसार इस्पात के पीपों में ।

(ख) गाढ़ा द्रव :— १०० मिलीलिटर और २०० मिलीलिटर घोल टपकने से बचाने वाली अल्यूमीनियम की बोतलों में होना चाहियें। बोतलें अन्दर से बन्द होने वाली चाहियें और उनके मुंह गर्मी पहुंचा कर सीलबन्द किये होने चाहियें। तत्पश्चात् बोतलें चूड़ीदार ढक्कन से बन्द होनी चाहियें। ये बोतलें ९९ प्रतिशत शुद्ध अल्यूमीनियम की बनी होनी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादर]

ये बोतलें पारदर्शक प्लास्टिक की थैलियों में बन्द होनी चाहिये। इनका मुंह गर्मी से तपा कर मुहरबन्द किया जाना चाहिये और उसमें टपक कर गिरने वाली वस्तु के लिये भी स्थान होना चाहिये।

ऐसी २५ बोतलें नमी रक्षित गत्ते के बक्स में रखी जानी चाहियें और ऐसे चार बक्स चारों ओर बुरादा भर कर लकड़ी की पेटी में बन्द किये जाने चाहियें।

---

## देश में तेल की खोज में प्रगति

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं आप की अनुमति से एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

**वक्तव्य**

२ सितम्बर १९५८ को जब मैंने सभा में यह विवरण दिया था कि केम्बे से पांच मील पश्चिम में लूनेज में, एक परीक्षण कूप में भूमि के निचले तल में खुदाई के दौरान तेल वाली बालू का पता लगा है। उस समय सभा को तेल की खोज के सम्बन्ध में हुई प्रगति के सम्बन्ध में बताया गया था। मैंने यह भी बताया था कि कुएं के लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि वहां तेल काफी दबाव में विद्यमान है। मैंने सभा को यह भी बताया था कि इस नतीजे तक पहुंचने के पूर्व कि क्या यह क्षेत्र वाणिज्यक रूप से उपयोगी है हमें एक वर्ष तक पर्याप्त खुदाई और परीक्षण करना पड़ेगा। मैंने सभा को समय समय पर तत्सम्बन्धी जानकारी देते रहने का आश्वासन दिया था।

लूनेज कुएं में २१९१ मीटर की गहराई तक खुदाई का कार्य किया गया। तेल के पर्याप्त दबाव के सम्बन्ध में पहिले ही जानकारी दे दी गई थी। इस दबाव को कुए पर भारी मिट्टी डाल कर नियंत्रित किया गया। तत्पश्चात् बिजली द्वारा परीक्षण (इलेक्ट्रा लागिंग) तथा अन्य प्रकार के सर्वेक्षण किये गये। कुएं के सर्वेक्षण से जो जानकारी प्राप्त हुई है उनसे यह ज्ञात होता है कि विभिन्न स्तरों पर ६० मीटर मोटी आशाजनक बालू की तहें हैं। इस आधार पर यह निश्चय किया गया कि कुएं की उत्पादन क्षमता की नाप की जाये।

विशेषज्ञों द्वारा तेलवाली बालू की विभिन्न तहों की जांच परीक्षा करने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया गया है तदनुसार तैल क्षेत्रों की प्रथा के अनुसार उनका विधिवत् परीक्षण किया जा रहा है। इस कार्य में बहुत समय लगता है और इसे बहुत सावधानी से करना होता है। क्योंकि कुएं की तेल उत्पादन क्षमता की जांच करने के लिये तेल वाली बालू पर पृथक् पृथक् से नीचे से सूराख करना होता है। सूराख करने के पश्चात् तेल निकलने में प्रत्येक तह कुछ समय लेती है। एक सप्ताह पूर्व सब से निचली तह पर जिसकी तह केवल एक मीटर मोटी थी, सूराख किया गया और उसमें से कम दबाव वाला तेल निकला। अब उसके ऊपर वाली तहों पर सूराख करने का काम चल रहा है तथापि मैं सभा को इस बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि यदि निम्नतम तेल वाली तह का दबाव, अन्य तहों के दबाव को प्रगट करता है तो इसका परिणाम बहुत आशावादी नहीं होता है। तथापि ऊपरी तह की तेल वाली बालू में काफी दबाव था। इसी बीच दूसरे कूएं का स्थान चुन लिया गया है। और खोदने की प्रारम्भिक व्यवस्था बड़ी तेजी से की जा रही है।

कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार का संवाद प्रकाशित हुआ कि लूनेज की आग तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वालों ने लगाई। यह बात सही नहीं थी। तेल क्षेत्रों में ऐसी घटनायें होना

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य बात है। इसलिये ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करने तथा उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी सम्भव कार्यवाहियां की गईं। हमारे विशेषज्ञ जानते हैं कि इस कार्य को करने में बहुत सावधानी की अपेक्षा होती है वस्तुतः अपने प्राणों की सुरक्षा के लिये कर्मचारियों को सदैव चौकन्ना रहना पड़ता है। अतः मैं समाचार पत्रों से निवेदन करूंगा कि वे इस कहानी को सनसनीखेज न बनायें अन्यथा इसका प्रभाव वहां के कर्मचारियों पर अच्छा नहीं होगा।

वस्तुतः एक कुए में तेल के निकलने से इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता है कि तेल का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन संभव हो सकेगा। यद्यपि हमें तेल क्षेत्र की खोज करने अथवा तेल की खुदाई में पर्याप्त सफलता मिली है तथापि सामान्यतः तेल की वास्तविक मात्रा का निश्चय करने में दो से तीन वर्षों का समय लग जाता है। हमने कुछ और तेल खोदने वाले बर्मे मंगाये हैं जो आगामी वर्ष के प्रारम्भ में पहुंच जायेंगे। हमने केम्बे में विधिवत् खुदाई कार्य की व्यवस्था भी कर दी है। और वर्तमान योजना के अनुसार हम आगामी अप्रैल से अगले बारह महीनों के अन्दर ९ सूराख करने में समर्थ हो जायेंगे। अतः आशा है कि आगामी १५,१६ महीनों में हमें लूनेज तेल क्षेत्र में तेल का परिमाण ज्ञात हो जायेगा। अतः हमें इस सम्बन्ध में पर्याप्त धैर्य रखना पड़ेगा। हम अपने रूमानियन और रूसी मित्रों की सहायता से कुछ बर्मों की व्यवस्था करने में सफल हो गये हैं और यह बात निश्चित हो चुकी है कि आगामी दो वर्षों में केम्बे में खुदाई जोरों से होगी।

प्राकृतिक गैस की संभावनाओं को खोजने तथा भूमिगत भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने के लिये बड़ौदा के निकटवर्ती क्षेत्र में कम गहरी खुदाइयां की गई हैं। ८५ से २३० मीटर की गहराई तक १२ छेद किये गये हैं। ग्यारहवें छेद में कुछ प्राकृतिक गैस मिली और बारहवें छेद में १६३ मीटर की गहराई पर दबाव के साथ कुछ तैल और गैस निकली। समाचार पत्रों ने इस समाचार को बहुत महत्व दिया और इसे सारे देश में जोर शोर से प्रचारित किया गया। तथापि मैंने जनता को इस बात की चेतावनी दी कि इस सम्बन्ध में अधिक आशावादी होना ठीक नहीं है। कुछ समय पश्चात् इसका दबाव कम हो गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि वहां तैल और गैस की मामूली तह थी। खुदाई से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वहां वाणिज्यिक उत्पादन के योग्य तेल विद्यमान है तथापि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेल वाली बालू की तहें काफी दूर तक फैली हुई हैं। नवीनतम समाचारों के अनुसार तेरहवें छेद से भी कुछ गैस और तेल निकला है। उक्त सूचनायें बहुत महत्व की हैं और अब सारी समस्या यह है कि कोई ऐसा स्थान निश्चित किया जाय जहां बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक उपयोग के लिये तैल जमा किया जा सके। भूतत्वशास्त्रियों के मतानुसार केम्बे क्षेत्र समुद्री अवसाद क्षेत्र है जहां तैल उत्पादक स्थिति बहुत प्राचीन काल से मौजूद है? वे भविष्य के प्रति आशावादी हैं और उन्हें सफलता की आशा है। अग्रेतर संभावनाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कम गहराई तक खुदाई करने का विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ उपयोगी भूमिगत तह का पता लगाने के लिये भूभौतिकीय परीक्षण तेजी से किये जा रहे हैं। तथापि अभी उन परीक्षणों के सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

ज्वालामुखी और होशियारपुर में खुदाई का कार्य जारी है। ज्वालामुखी में २,३०७ मीटर और होशियारपुर में ३,२१३ मीटर खुदाई हो चुकी है। अधिक गहराई में तहों के अधिक कड़े हो जाने के कारण गहराई में काम बहुत धीमे चल रहा है। अभी तक हमारे पास परीक्षण यंत्र एक ही है और जैसे ही कैम्बे के बिजली का परीक्ष-यंत्र (इलेक्ट्रालागिंग) खाली हो जायेगा और दूसरा रूस से प्राप्त हो जायेगा तो उन्हें पंजाब ले जाया जायेगा और वहां उनकी परीक्षा कर अन्तिम निश्चय किया जायेगा। इस में ६ से ८ सप्ताहों का समय लगेगा। होशियारपुर के कुए से कुछ गैस निकली है तथापि अभी उसके परिमाण की परीक्षा करनी है।

[श्री के० दे० मालवीय]

आसाम में शिवसागर के निकट कुआ खोदने वाला यंत्र लगाने का काम जारी है और खुदाई का कार्य जनवरी १९५९ तक आरम्भ होने की आशा है ।

इस प्रकार यह ज्ञात होगा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चुने गये प्रत्येक स्थान में तेल के खोज की योजना के प्रारम्भिक काल में ही कुछ तेल या गैस निकलने के प्रमाण मिले हैं। इस बात के लिये मैं केवल भाग्य को ही नहीं सराहूंगा अपितु अपने विशेषज्ञों तथा रूसी और रूमनियावासी मित्रों के वैज्ञानिक ज्ञान और सही अनुमानों की भी प्रशंसा करूंगा। तथापि हमें सभा को तेल के परिमाण सम्बन्धी जानकारी देने में कुछ अभी महीनों का समय लगेगा ।

---

## विनियोग (संख्या ५) विधेयक*

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बी० गोपाल रेड्डी) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†डा० बी० गोपाल रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

### तैंतीसवां प्रतिवेदन

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १५ दिसम्बर, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गजट दिनांक १६-१२-५८ के भाग २, अनुभाग २ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

## सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): श्रीमान्, सभा के समक्ष अभी काफी काम पड़ा है, इसको देखते हुए और कार्य मंत्रणा समिति के कल के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए, मेरा निवेदन है कि सत्र की अवधि एक दिन के लिये और बढ़ा दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा की बैठक २० दिसम्बर को भी होगी । रेल अथवा हवाई जहाज में सीट सुरक्षित करवाने में माननीय सदस्यों को जो कठिनाइयां होंगी, उन्हें माननीय मंत्री दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

## विनियोग रेलवे संख्या ४ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं प्रस्ताव करता हूं *:

"कि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**श्री जगजीवन राम :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

**स्ताव स्वीकृत हुआ**

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ ।

## विनियोग रेलवे संख्या ५ विधेयक

†**श्री जगजीवन राम :** मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिए कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिए उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिए कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिए उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†**श्री जगजीवन राम :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

## दिल्ली किराया नियन्त्रण विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री दातार द्वारा १२ दिसम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के कुछ भागों में किराये तथा निष्कासन के नियंत्रण तथा सरकार द्वारा खाली मकानों का पट्टा लने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

†**चौ० ब्रह्म प्रकाश** (दिल्ली सदर) : जनाब स्पीकर साहब, यह खुशी की बात है कि पिछले चार सालों की कोशिशों के बाद आज यह दिल्ली रेन्ट कंट्रोल बिल अपनी आखिरी शक्ल में इस हाउस के सामने पेश है और यह तसल्ली की बात है कि उसमें कुछ अच्छी तब्दीलियां की गई हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिन की वजह से किरायेदारों को कुछ ज्यादा सहूलियतें मिल सकेंगी। असल में तकरीबन १९५४ में, बल्कि उस से कुछ पहले ही, कुछ ऐसी बातें पैदा होनी शुरू हो गई थीं. जिन की वजह से यह ज़रूरत महसूस की गई कि दिल्ली अजमेर रेन्ट कंट्रोल एक्ट के बजाय कोई दूसरा बिल सामने लाया जाय। उस वक्त एक तो ज़मीनों की कीमतें बहुत बढ़नी शुरू हुई और दूसरे ज़मीनों की कीमतें बढ़ने की वजह से मालिक-मकानों में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वे किसी तरह से भी किरायेदार को वहां से निकालें और वहां पर ज्यादा मकान तामीर करें। कुछ इवकुई प्रापर्टी की भी सेल शुरू हुई। उस से भी प्रापर्टी ट्रांसफ़र होने लगी और अपनी बोना फ़ाइडी नीड के लिए लोगों ने किरायेदारों को निकालना शुरू किया। १९५२ के कानून में मालिक मकानों को जो हालीडे दी गई थी, जिस में वे मकान बना सकें और कुछ शर्तों पर किरायेदार को दे सकें, उस का भी ग़लत इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लोगों ने जो चाहा किराया लेना शुरू किया और उस के साथ ही साथ छः महीने बाद साल बाद कोशश की कि पहले के किरायेदारों को वहां से निकाले और ज्यादा ऊंचे किराये पर अपने मकानों को दें। इन सब बातों से दिल्ली के किरायेदारों में एक बड़ी हलचल मचनी शुरू हुई और खास तौर से इस वाकये से कि बहुत सा खाली ज़मीनों पर मकान बना कर लोगों ने उन को किराये पर दे दिया—एक तरह से वे उस शक्ल में नहीं आ थे, वे मलबे की शक्ल में आ जाते थे—और जिस वक्त चाहा किसी को उस जगह से हटा दिया क्योंकि उन लोगों को कोई हिफ़ाज़त हासिल नहीं थी। लिहाज़ा उस वक्त यह तय हुआ और यह तय कराने की कोशिश की गई कि किसी तरह से टेनांट्स को प्रोटेक्शन दिया जाय। बहरहाल जो नया बिल इस वक्त सामने आया है उस के ज़रिये उन कमियों को पूरा करने की जो कि पहले कानून में रह गई थीं और उन समस्याओं को हल करने की जो कि खास तौर से ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से पैदा हुई थीं तदबीरें अख्तियार की गई हैं।

इस में एक अच्छी बात यह रखी गई है कि यहां पर रेन्ट कंट्रोलर का इन्स्टीट्यूशन पैदा किया गया है। पहले मुकदमों में यह देखा गया कि आम तौर से अदालतों में बहुत देर लगती है जिससे किरायेदार और मालिक-मकान दोनों परेशान होते हैं और उस देर का जो बुरा असर है वह किरायेदार पर बहुत पड़ता है। एक अलग रेन्ट कंट्रोलर की इंस्टीच्यूशन कायम हो जाने से उन मुकदमों का फ़ैसला हो जाने में आसानी होगी और इस तरह से किरायेदारों और मालिक—मकानों दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस सिलसिले में मैं यहीं पर यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर यह कनवेन्शन बना दी जाय तो बेहतर हो कि जितने रेन्ट कंट्रोलर मुकरर किए जायें वे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्ज़ जज की सिफ़ारिश पर मुकर्रर किए जाये क्योंकि आम तौर पर ऐसे अफ़सरों की जो तकररीं होती है—खास तौर से दिल्ली में—वह इस तरह हो ी है कि जिस किसी आफ़िसर को किसी तरह एडजस्ट न किया जा सके एसी जगहों पर उन को मुकर्रर कर दिया जाता है और आम तौर पर इस किस्म के अफ़सर कोई बेहतर केलिबर के नहीं होते हैं। लिहाज़ा मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह कनवेन्शन बनाई जाय कि जितने रेन्ट कंट्रोलर मुकर्रर हों वे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्ज़ जज के पेनल में से मुकर्रर किए जायें। उन से इन्साफ़ की ज्यादा तवक्को होगी, क्योंकि उन के पास एक ज़बरदस्त ताकत होगी।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी से जिस शक्ल में आया है उस से किरायेदारों को ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी। सिलेक्ट कमे ी में जाने से पहले बिल की शक्ल बेशक अच्छी नज़र आती थी लेकिन उस में बहुत से इफ़स एण्ड वट्स लगा दिए गए थे जिस से अचानक यह ख्याल पैदा हो जाता था कि आम तौर से इस बिल से मकान मालिकों को ज्यादा फ़ायदा होगा

[चौ० ब्रह्म प्रकाश]

और किरायेदार इन इफ़्स एण्ड वट्स की वजह से परेशान होंगे। लेकिन इस बिल में उन पायंट्स को साफ़ कर दिया गया है और इस वक्त जिस शक्ल में यह बिल है, मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने रेन्ट कन्ट्रोल बिल हैं उन में से वह बेहतर है। मैं यह नहीं कह सकता कि वह बहुत उम्दा है, क्योंकि बदकिस्मती से अभी तक टेनांट्स को वह दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जो कि उन को दिया जाना चाहिए। शायद सोशल कानशेन्स अभी डेवेलप नहीं हुई है कि मकान में रहने वालों की ज़रूरत कितनी बड़ी है। अभी भी आम मालिक-मकानों का यह ख्याल है कि किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और किरायेदार एक सामान की गठरी की तरह हो जिस को जिस वक्त चाहा अन्दर रख दिया और जिस वक्त चाहा बाहर निकाल दिया। अभी किरायेदार की वह हैसियत नहीं आई है, जो कि आनी चाहिए, कि अगर वह किसी मकान में रहता है, तो एक मुद्दत के बाद वह उस मकान का मालिक बने। इस तरह उस की सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ेगी और सोशल जस्टिस भी ज्यादा डेवलप होगा। यह खुशी की बात है कि ड्राफ़्ट बिल में १९४४ से पहले के मकानों के ६०० रुपए साल के किराये पर और उस के बाद के मकानों के १२०० रुपए साल के किराये पर दस फ़ीसदी की जो बढ़ोतरी दी गई है वह छोड़ दी गई है और इस से गरीब किरायेदारों को काफ़ी फ़ायदा होगा।

यहां जो पुराने मकान हैं उन में रिपेयर की ज़रूरत है। जो दस फ़ीसदी की बढ़ोतरी दी गई है जिस से मकान की मरम्मत की जा सके, मुझे शुबहा है कि मालिक-मकान उस से रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर उस को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो इस बिल में एक अच्छी तजवीज़ की गई है और वह यह है कि अगर कोई मालिक-मकान अपने मकान की रिपेयर न करे तो रेन्ट कंट्रोलर की इजाज़त से किरायेदार एक महीने का किराया खर्च कर के उस की रिपेयर करा सकता है और किन्हीं हालतों में रेन्ट कंट्रोलर इजाज़त दे सकता है कि वह अपने खर्च पर रिपेयर करा ले। इस से रिपेयर कराने में सहूलियत होगी और मैं समझता हूं कि मकानों की हिफ़ाज़त भी बढ़ेगी।

बोना-फाइड नीड के लिए किरायेदार से मकान खाली कराना मैं समझता हूं यह भी मुनासिब नहीं था। अभी तक हमने किरायेदारों की तकलीफों को उतना महसूस नहीं किया है, जितना कि हमने मालिक-मकानों की जरूरत को किया है। यह अच्छी बात है कि जब मकान ट्रान्सफर होता है और ट्रांसफर होने के वक्त वह किसी किरायेदार के पास होता है—वह मकान जैनुन या बनामी ट्रांसैक्शन की वजह से अगर वह ट्रांसफर होता है—उसके लिए पांच साल तक के लिए खाली कराने पर रोक लगा दी गई है और कह दिया गया है कि पांच साल तक के लिए वह नहीं करा सकता है। इसके साथ ही साथ यह भी कह दिया गया है कि अगले तीन साल तक के लिए वह उसको आगे किराये पर नहीं दे सकता है। इससे मैं समझता हूं काफी सहूलियत किरायेदार को मिलेगी। लेकिन मेरी राय हमेशा यह रही है और आज भी है कि जब तक किरायेदार किराया अदा करता रहे उससे मकान खाली न कराया जाए और एक अर्से के बाद ऐसी शक्ल पैदा की जाए जिससे कि उसको मकान की मिलकियत हासिल हो सके। अगर यह नहीं हो सकता है तो कम से कम इस बिल को इतनी शक्ल तो जरूर दी जाए कि अगर मालिक-मकान-मकान को बेचे तो किरायेदार को उसे पहले खरीदने का हक हो।

यहां पर दो बातों पर काफी चर्चा हुई, एक तो सब टेंनेंसी पर हुई है और दूसरी हाउसिंग को जो हालिडे दिया गया है पांच साल के लिए उस पर हुई है। जहां तक सब-लैटिंग का ताल्लुक है मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि सिलैक्ट कमेटी में आम तौर पर शायद सभी मैम्बर अगर मुझे याद हो—सब-लैटिंग के खिलाफ थे। उनकी राय थी कि सब-लैटिंग किसी कीमत पर भी एलाउड नहीं होना चाहिये। यहां पर जिन मैम्बर साहिबान ने तकरीरें की हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि

सब-लैटिंग को तसलीम किया जाए। जाती तौर पर मैं सब-लैटिंग को तसलीम करने के हक़ में हूं और जो राइटिंग की क्लाज़ है कि लैंडलार्ड से राइटिंग में हो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि देखने में यह आया है कि बात कानूनी तौर से बिल्कुल सही होते हुए भी ९० परसेंट केसिस सब-लैटिंग के ऐसे हैं कि जो राइटिंग के बगैर हैं और आगे भी उनको राइटिंग में करवा लिया जाएगा, इसमें मुझे शुभा है। बहरहाल सिलैक्ट कमेटी से जिस शक्ल में यह बिल आया है मैं समझता हूं कि मैं उसका पाबन्द हूं। आम तौर पर उस वक्त यूनेनिमस राय यह थी कि लैंडलार्ड की कंसैंट से ही सब-लैटिंग होना चाहिये अन्यथा नहीं और अब अगर इसके खिलाफ कोई बात उठाई जाती है तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता है।

जहां तक हालिडे का सवाल है, इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूंगा। यहां पर इस बात का ज़िक्र किया गया है कि मकानों की कमी है और इसका असर हमारे किरायों पर और दूसरी चीज़ों पर पड़ता है और उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाए। यह अफसोस की बात है कि दिल्ली के अन्दर जितने मकान लोग बनाने के लिये तैयार हैं अपनी मेहनत से या अपने सरमाये से और जितनी सहूलियतें भी उनको पहुंचाई गई हैं, चाहे वे लो-हाउसिंग स्कीम के अन्दर हों, चाहे हरिजन हाउसिंग स्कीम के अन्दर हों, चाहे इण्डिस्ट्रयल हाउसिंग स्कीम के अन्दर हों और चाहे स्लम क्लीयरेंस हाउसिंग स्कीम के अन्दर हों, वे सब नहीं पहुंचाई जा रही हैं और जितनी मदद मिल सकती थी, उतनी मदद नहीं पहुंचाई जा रही है या उसका उतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जितना कि किया जाना चाहिये। मैंने सुना है कि कुछ पालिसी तबदील हो रही है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक भी कोआपरेटिव सोसाइटी को जिन की तादाद इस वक्त दिल्ली में १७७ है और जिन के १०,००० से ऊपर मैम्बर हैं और एक करोड़ से ऊपर सरमाया है, लो इनकम हाउसिंग स्कीम के मातहत कर्ज़ा नहीं मिला है। जिन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए ज़मीन एक्वायर की गई थी या जिन्होंने अपनी मेहनत से ज़मीन ले ली थी उनकी ज़मीनों के बारे में भी जो एक्वीज़ीशन के नोटिस थे उनको विदड्रा कर लिया गया है या उनकी ज़मीनें उनको वापिस दी जा चुकी हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसरान इस कोआपरेटिव मूवमेंट के—मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन मुझे यह अपनी ज़ाती तजुबे की बिना पर कहना पड़ रहा है—दुश्मन हैं और वे चाहते नहीं हैं कि हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ पनपें। मैं समझता हूं कि अगर इन सोसाइटीज़ को मौका दिया गया तो काफ़ी बड़ी तादाद में उनके ज़रिये यहां पर मकान बनाये जा सकते हैं, इसमें मुझे ज़रा भी शुभा नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि एक बोर्ड दिल्ली की हाउसिंग स्कीम के लिए अलग हो और इसके लिये एक स्कीम तैयार की जाए और तैयारी से ज्यादा जरूरत मशीनरी की है। रुपया अब भी पड़ा हुआ है जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि रुपया आगे भी मिल सकता है अगर पड़ा हुआ रुपया इस्तेमाल हो जाए। जरूरत इस बात की है कि जो पांच छः आथोरिटीज़ जिनका ताल्लुक मकानों से है उनमें जो कनफ्यूशन पाया जाता है, उनमें जो कोआर्डिनेशन नहीं है, वह कनफ्यूशन न हो और उनमें कोआर्डिनेशन हो। अगर ऐसा हो गया तो मकानों की तादाद यहां पर जरूर बढ़ सकती है और काफी तादाद में नये मकान यहां बन सकते हैं। मेरी राय इस बारे में यह भी है कि तमाम किस्म के मकान बनाने की ज़िम्मेदारी एक कारपोरेशन के हवाले कर दी जाए और गवर्नमेंट के जिस स्कीम के मातहत भी मकान बनें, चाहे वे हाउसिंग स्कीम के तहत बनें या और भी किसी स्कीम के तहत जो भी गवर्नमेंट को मदद करनी है वह सब इस कारपोरेशन के थ्रू की जाए। इससे मेरी राय है मकानों की जो मौजूदा तादाद है वह कई गुना बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं इससे हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इम्पीटस मिलेगा। इस से बेहतर तरीका यह होगा कि कोई महकमा या कोई भी मिनिस्ट्री अलग से मकान न बनाये और सब काम उस कारपोरेशन के हवाले कर दे। अगर इसमें आप कुछ कमी देखते हों तो फिर मैं कहूंगा कि एक स्टेचुटरी हाउसिंग बोर्ड यहां पर बनाया जाए जिसके सुपुर्द तमाम हाउसिंग इक्टिविटी कर दी जाए और उसको तमाम फण्डस दे दिये जायें और वह इस सिलसिले में तमाम कार्रवाई करे।

[चौ० ब्रह्म प्रकाश]

सन् १९५० में एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी और उसने कहा था कि यहां पर एक लाख मकानों की जरूरत है । उसके बाद अंदाज़ा लगाया गया है कि दो लाख मकानों की जरूरत है । इस वक्त ५०,००० लोग झुग्गियों में या झौंपड़ियों में रह रहे हैं जिन में से २५,००० फैमिलीज़ तो गवर्नमेंट की ज़मीनों पर पड़ी हुई हैं और २५,००० लोगों की ज़मीनों पर पड़ी हुई हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** झुग्गियां क्या, हटमेंटस ?

**चौ० ब्रह्म प्रकाश :** जी हां, हटमेंटस ।

यहां पर ठीक पालिसी न होने के कारण या फैसलों में देरी होने के कारण और इस बात का फैसला न होने की वजह से कि सब-स्टैण्डर्ड डिवैलेप्ड पर भी मकान बनाये जा सकते हैं, इन सब बातों का फैसला न होने का नतीजा यह हुआ है कि पिछले तीन सालों में कोई ४०,००० अनआथोराइज्ड मकान बने हैं जो कि मैं समझता हूं मुनासिब नहीं था बनाना । इस तरह से हाउसिंग प्राबलैम जो इस वक्त है वह काफी सख्त है और यहां पर और अधिक मकान बनाये जाने की आवश्यकता है ।

उनको छोड़ कर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक लाख की आबादी हर साल यहां दिल्ली में बढ़ती जाती है चाहे वह नई पैदाइश की शक्ल में हो और चाहे बाहर से लोगों के यहां आकर बस जाने की शक्ल में हो तकरीबन एक लाख आबादी यहां हर साल बढ़ती है और इस एक लाख बढ़ती हुई आबादी के लिए हर साल कम से कम २०,००० टेनेमेंटस चाहियें । तो यह इतना भारी प्रोबलैम है कि जब तक कोई ठोस कदम इस सिलसिले में नहीं उठाये जायेंगे तब तक यह रैंटस का जो मसला है या लैण्डलार्ड और टैनेंट का जो मसला है वह बढ़ता ही जाएगा ।

इस कंटैक्ट में जो आपने लैण्डलार्डस को हौलिडे दी है, उसको लेता हूं । मेरी राय में मौजूदा हालात में आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाये इसके कि आप हौलिडे दें । मैं मानता हूं कि उसमें गरीबों के लिए मकान नहीं बनेंगे । लोअर मिडिल क्लास के मकान तो नहीं बनेंगे, पर भले ही उन के मकान न बनें, अपर मिडल क्लास और अपर क्लास के मकान तो इस हौलिडे के माहतहत बनेंगे ही । बहरहाल वह बनेंगे तो । या तो गवर्नमेंट की कोई दूसरी वोल्ड पालिसी सामने आये नहीं तो आज मकानों का बनना बन्द हो जायेगा । हमारे सामने यह तजुर्बा है कि जब सन् १९५१ में यह हौलिडे दी गई तो सुन्दर नगर, नर्सरी गार्डन, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, सब्जी मण्डी, करोलबाग, वगैरह में मकान बने । भले ही उनके किराये ज्यादा रहे हों, वह बड़े रहे हों लेकिन वह बने, इसमें शक नहीं । और उस की वजह से शहर में जो प्रेशर था वह कम हुआ, और जो पगड़ी ली जाती थी वह भी कम हो गई है ।

**श्री डी०चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : कहां कम हो गई है ?

**चौ० ब्रह्म प्रकाश :** वह प्रेशर कम हुआ और दूसरे किस्म के जो प्रेशर थे हाउसिंग पर वह भी इन मकानों की वजह से कम हुए । इतनी तादाद में मकान बने ।

यहां जिक्र किया गया कि भले ही जो रिटर्न आये उस पर पन्द्रह या बीस फी सदी लगा दीं लेकिन उन को मकान बनाने की इजाजत दे दी । मैं पन्द्रह बीस फीसदी के हक में नहीं हूं क्योंकि अगर आप रिटर्न पर इतना लेने के बाद मकान बनाने की इजाजत देते हैं तो एक गलत पालिसी मानते हैं । आज जिस फ्लैट की दर ३०० या ४०० रु० है, मकानों का बनना रुक जाने से उसका किराया ६०० या ७०० रु० हो जायगा । आज इन चीजों की वजह से कोई जमीन नहीं खरीदता है । इसलिये मैं हौलिडे के इतने रिटर्न से इत्तफाक नहीं करता । आज कीमतें बढ़ रही हैं, जमीनों के किराये बढ़ रहे हैं,

या जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है, वह इस वजह से हो रहा है कि मकानों का बनना बिल्कुल बन्द हो गया है। लोगों को सहूलियत नहीं है कि वह मकान बना सकें। अगर वह सहूलियत आज मिल जाय तो मैं समझता हूं कि इस तरह की स्कीमों के मातहत मकान बनेंगे। मैं मानता हूं कि इस तरह से अपर क्लास के लिये ही मकान बनेंगे, लेकिन वह मकानों के पूल में ऐड होंगे। इस वजह से मौजूदा कंटैक्स्ट में इस हालिडे से तो मैं इत्तफाक करता हूं क्योंकि इससे मकानों की तादाद बढ़ेगी। लेकिन रिटर्न इतना ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

इस बिल के अन्दर से नुइसेंस क्लाज हटा दिया गया है। मुझे अफसोस है कि हम किरायेदारों को और मालिक मकानों को एक दूसरे से अलग चीज समझते हैं। अगर किरायेदार कोई नुइसेंस क्रिएट करे तो उस को तो निकाल दिया जाय, लेकिन अगर मकान मालिक ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? एक ही मकान में दोनों रहते हैं। लेकिन अगर किरायेदार नुइसेंस करेगा तो आप उसे तो निकाल देना चाहते हैं लेकिन मकान मालिक से आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। दुनिया में आज बहुत से कानून बने हैं, आप उनके मातहत कार्रवाई कीजिये। लेकिन जरा सी बात के लिये किरायेदार को मकान से खारिज कर दिया जाय, यह मैं समझता हूं कि गैरमुनासिब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मकान में रहने की हैसियत से आप आज भी किरायेदारों की बनिस्पत मकान मालिकों को ज्यादा ऊंचा दर्जा देने के लिये तैयार हैं। चन्द साथियों ने इस तजवीज को रक्खा है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

इन शब्दों के साथ जो बिल यहां रक्खा गया है, मैं आम तौर से उसकी हिमायत करता हूं, और अगर इस बिल में कोई कमी है तो उनको दूर करने की कोशिश की जायेगी। इसके लिये कई स्कैम्स हैं। मैं समझता हूं कि वह उनको अभी दूर करने के लिये तैयार नहीं हैं कि शायद वह जानते हैं आइन्दा उन कमियों को वह ज्यादा बेहतर तरीके से दूर करने को तैयार होंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें कोई बोल्ड हाउसिंग पालिसी अख्तयार करनी चाहिये। उसके बिना यह मसले हल नहीं हो सकेंगे।

**श्री नवल प्रभाकर** (बाह्य दिल्ली—रक्षित अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक जो कि प्रवर समिति से वापस आया है, वह हमारे सम्मुख है। प्रवर समिति में इस के जाने से पूर्व ही मैं ने इस के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये थे, और उस समय मैं ने इस का पूर्णतया विरोध किया था। किन्तु जब यह प्रवर समिति में गया, और वहां इस की प्रत्येक पंक्ति पर पूरी तरह से वादविवाद आ ो उस के बाद बहुत सी बातें सर्वसम्मति से तय की गईं और कुछ बहुमत से तय की गईं। और इस प्रकार जो यह मौजूदा विधेयक है वह जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था, उतना हुआ है। इस के अन्दर हमारे देश में जितने भी किराया नियंत्रण सम्बन्धी अधिनियम इस समय हैं, उन सब का एक तरह से सार है। जिस अधिनियम के अन्दर कोई भी अच्छी बात किरायेदारों के लिये है, उस सब का स में समावेश है। एक तरह से देखा जाय तो यह सब अधिनियमों का एक निचोड़ है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। तीसरे उपबन्ध के सम्बन्ध में कहा गया कि सरकारी मकानों का जो किराया है उस के ऊपर इस विधेयक में नियं ण नहीं है। मैं समझता हूं कि जो सरकारी मकान बनाये गये हैं, जहां तक गरीब लोगों का सम्बन्ध है, अगर हम झिलमिला ताहरपुर में जाते हैं तो देखते हैं कि मकानों का किराया ६ रु० है, इसी प्रकार अगर हम किलोखेड़ी में जाते हैं तो वहां ११ या १२ रु० किराया है। आप हमारे अमृत कौर पुरी में जायें तो वहां १२ रु० किराया तय होने वाला है। जो सरकारी मकान हैं, उन में बहुत बड़ी तादाद छोटे मकानों की है, और मैं उन के सम्बन्ध में यह बता रहा हूं जिनमें कि सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जहां पर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, वहां पर तो एक प्रकार का किराया नियंत्रण है। जितना वेतन

[श्री नवल प्रभाकर]

उन को मिलता है, उस की एक खास प्रतिशत उन लोगों को देना पड़ता है । यदि उन का वेतन १०० रु० है तो उन को १० रु० देना होगा, इसी तरह से अगर ४०० रु० वेतन है तो उन को ४० रु० देना होगा । इस प्रकार से तय किया हुआ है । इस के सम्बन्ध में यह कहना कि जो सरकारी भवन हैं, मकान हैं, उन के ऊपर भी नियंत्रण हो, यह ठीक नहीं है । अगर यह नियंत्रण लगा दिया गया और उस के बाद उन मकानों के ऊपर स्टैन्डर्ड रेंट के हिसाब से किराया लिया गया तो मैं समझता हूं कि बहुत से मकानों का किराया बहुत बढ़ जायगा । हां, कुछ मकान ऐसे हैं जो कि सरकारी हैं और उन का प्रयोग व्यापारिक दृष्टि से हो रहा है । अगर ऐसे मकानों पर, जिन का उपयोग व्यापारिक दृष्टि से हो रहा है, कुछ अधिक किराया ले लिया जाय तो मैं उस में कोई अन्याय नहीं समझता । उसे मैं न्यायसंगत समझता हूं । एक आदमी यदि कोई व्यापार करता है और उस में वह लाभ उठाता है, तो मैं समझता हूं कि उस के लाभ का कुछ रुपया ले कर उसे गरीबों के लिये मकान बनाने के काम में लगाया जाय । सलिये तीसरे उपबन्ध के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने जो संशोधन दिये हैं, मैं उन को उपयुक्त नहीं समझता हूं ।

एक बहुत बड़ी बात कंट्रोलर यानी नियंत्रक या प्रबन्धक के सम्बन्ध में भी कही गई थी वह एक प्रकार से डिक्टेटर होगा । जो उस के समझ में आयेगा वह करेगा । किन्तु उस के सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह न्यायपालिका से लिया जायगा । इस सम्बन्ध में मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले जितने भी अधिनियम हमारे स सम्बन्ध में रहे हैं, उन से सम्बन्धित अभियोग आज तक न्यायालय में चलते रहे हैं । किन्तु इस समय जो भी अभियोग न्यायालय में चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि दिल्ली की जो जनता है वह सन्तुष्ट नहीं है, और इसे सब लोग जानते हैं । एक छोटा किरायेदार जिस बेचारे की आय बहुत थोड़ी है वह दो दो साल तक मुकदमा लड़ता रहे, यह बहुत विचित्र सी बात लगती है । अब जब कंट्रोलर के पास यह चीज निर्णय के लिये आयेगी तो उस में यह नहीं होगा कि उस आदमी को दो दो साल तक घूमना पड़े । उसके सम्बन्ध में बहुत ही जल्दी निर्णय दे दिया जायगा, फिर न्यायालय के लिये वकील चाहिये, वकील के लिये फीस चाहिये और फिर वकील के आगे पीछे घूमने के लिये चाहिये । गवाह तैयार कीजिये और सच और झूठ का मामला वहां होगा । किन्तु जहां तक इस कंट्रोलर का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में पहले तो वह उसके प्रार्थनापत्र पर स्वयं विचार करेंगे और उसके बाद यदि सम्भव होगा तो उसको मौके के ऊपर जाकर भी वह देखेंगे और देखकर अपना निर्णय तुरन्त दे देंगे तो इसी दृष्टि से यह जो नियंत्रक, कंट्रोलर जो है उसको रखा गया है ।

मकानों की मरम्मत के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है कि जो मकान मालिक हैं वे मकानों की मरम्मत नहीं कराते हैं । प्रवर समिति के सामने जब मकान मालिकों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था तो उन्होंने बिलकुल स्पष्ट रूप से यह कहा कि आप हमें कुछ भी छूट दे दीजिये किन्तु मरम्मत नहीं होती । अतः इस विधेयक के अन्दर ऐसा प्रबन्ध किया गया कि मकान मालिक को मकान की मरम्मत करानी पड़े और यदि वह न कराते तो कंट्रोलर को यह अधिकार दिया गया है कि मकान की मरम्मत कराये और उस मरम्मत के लिये यह आवश्यक नहीं है कि साल में एक महीने का ही किराया काटा जाय, उसमें दो, तीन और ६ महीने तक का भी किराया मरम्मत कराने के लिये काटा जा सकता है और यदि उससे आगे भी जरूरत समझे तो वह किरायेदार कंट्रोलर के परामर्श से मरम्मत करा सकता है ।

निजी आवश्यकता के लिये मकान खाली कराने का भी एक मामला है । निजी आवश्यकता के लिये जहां तक मकान खाली कराने का सम्बन्ध है, मेरी उन लोगों के साथ में जरूर हमदर्दी है जिनका

कि एक अपना मकान है । फ़र्ज़ कर लीजिये कि एक व्यक्ति है, अपने गाढ़े पसीने की कमाई से वह एक मकान खड़ा करता है और किसी वजह से वह दूसरे स्थान पर चला जाता है या दिल्ली छोड़ कर चला जाता है तो वापिस लौटने पर उसके लिये एक बड़ी विचि अवस्था आ जाती है कि वह कहां जावे ? ऐसी अवस्था में जिस मकान को उसने तैयार किया है, यह आवश्यक है कि वह अपने उस मकान में रहे और मैं समझता हूं कि यदि वह उसको अप ी निजी आवश्यकता के लिये खाली करा लेता है तो इस में कोई बुराई नहीं है ।

एक बात और है । एक व्यक्ति है उसके पास मान लीजिये कि तीन कमरे वाला मकान है, एक कमरे में वह रहताहै और दो कमरे उसने किराये पर दे दिये हैं किन्तु धीरे ीरे जब उसका परिवार बढ़ने लगता है तो उसको और अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है और ऐसी अवस्था में यदि उसको अपना मकान खाली करा लेने की इजाजत दे दी जाती है तो मैं समझता हूं कि कोई गुनाह नहीं है । बहुत सारे मकान मालिक मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी कि अवस्था किरायेदारों से भी बहुत गई गुजरी है और बदतर है । अब अनुमान कीजिये कि जो दिल्ली शहर में पुराने मकान हैं उनमें से अधिकांश मकानों का किराया २, २ रुपये माहवार है और आप विचार कीजिये कि साल भर में मकान मालिक को २४ पये बतौर किराये के मिलते हैं और आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर साल भर के किराय यानी २४ रुपये से भी उन मकानों की मरम्मत कराई जाय तब भी उन की क्या मरम्मत आजकल हो पायेगी । इसलिये मैं नहीं समझता कि अगर वह स्वयं अपनी निज की आवश्यकता के लिये मकान खाली करा लेता है तो इस में क्या बुराई है । इसके अलावा यदि वह किसी प्रपंच की वजह से खाली कराना चाहता है, किसी को मकान बेचना चाहता है अथवा किसी दूसरे को किराये पर उठाना चाहता है तो समें उसके लिये प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

उपकिरायेदार या सबलैटिंग का जो मामला है वह भी इसी में आता है । इस मामले को बहुत सोचा और समझा और बहुत सारे मित्रों ने इसका विरोध किया और वैसे देखा जाय तो यह विरोध करने की बात भी है । एक व्यक्ति मकान किराये के ऊपर लेता है और उसको अधिक किराये के ऊपर चढ़ा देता है तो यह एक अपरा है किन्तु यह देख करके कि उसमें एक गरीब किरायेदार रहता है, उसको हानि नहीं होनी चाहिये । अतः उसके लिये यह छूट दे दी गई है कि उसको सीधा किरायेदार मान लिया जायेगा । यह एक अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि यह ठीक है और मुनासिब है ।

इसमें हौलिडे की बात कही गई है और मकानों के नवनिर्माण को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है । मैं नवनिर्माण की आवश्यकता को समझता हूं और स्वीकार करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े बड़े आदमियों को ही लाभ होगा क्योंकि आज दिल्ली की अवस्था ऐसी है कि उसमें छोटे मोटे आदमी का गुजारा होना बहुत कठिन है । आप अनुमान कीजिये कि टाऊन प्लानिंग के अनुसार दिल्ली में जमीन का एक प्लाट २०० गज़ का होना चाहिये और उस २०० गज़ के प्लाट की जो कि दिल्ली के केन्द्रीय स्थान से ७, ८ मील की दूरी पर आप ले जायेंगे तो आज के दिन आपको २० रुपये प्रति वर्ग गज़ से कम मिलेगा नहीं और यदि आप २० पये गज़ के हिसाब से २०० गज़ प्लाट की कीमत का हिसाब लगायें तो उस प्लाट की ही कीमत ४,००० या उससे ऊपर पहुंच जाये ी और फिर उसके ऊपर उसको १०, १२ हजार रुपया लगाना पड़ेगा और इस तरह १२ या १५ हजार रुपये में कहीं जा कर एक मामूली मकान बनेगा । १२ या १५ हजार रुपये एक छोटे से मकान के लिये खर्च करने पड़ते हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि मजदूर पेशा लोग क्या कभी भी अपना मकान स्वयं बनाने में समर्थ हो सकते हैं ? किन्तु जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि मकान बनाने से यह लाभ जरूर होगा कि कुछ लोग वहां रह सकेंगे । इस बिल में कुछ ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सका है किन्तु मैं यह जरूर चाहता हूं कि जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिये सरकार की ओर से कोई न कोई इस तरीके की

[श्री नवल प्रभाकर]

व्यवस्था जरूर होनी चाहिये जिससे कि गरीब आदमियों को और उन व्यक्तियों को जो कि स्वयं के लिये मकान निर्माण करना चाहते हैं किन्तु उनको मकान नसीब नहीं होता है, उनके लिये मकान का प्रबन्ध करे। उनके लिये मकान का प्रबन्ध किस तरीके से हो सकता है ? वह उसी अवस्था में सम्भव हो सकता है कि जब सरकार उनको बगैर किसी कीमत के जमीन दे और मकान बनाने के लिये उनको ऋण दे, तभी उनके मकान बन सकते हैं।

यह कहा गया है कि हरिजनों के लिये एक स्कीम है। जहां तक हरिजनों के लिये की गई स्कीम का सम्बन्ध है जहां तक मेरी जानकारी है वह केवल देहातों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये है, शहर के रहने वाले हरिजन तो उससे भी वंचित हैं।

यहां पर यह बताया गया कि दिल्ली में बहुत से आदमी गन्दी बस्तियों में रहते हैं और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जोकि झोंपड़ियों में रह रहे हैं और उन झोंपड़ियों की अवस्था भी बहुत दयनीय है। मेरा सरकार से यही नम्र निवेदन है कि यदि वास्तव में हम इन लोगों को मकान देना चाहते हैं या इन लोगों को मकान की सहूलियत देना चाहते हैं, तो जैसा मैंने कहा जो लोग किसी वजह से जमीन नहीं खरीद सकते, उनको जमीन मुफ्त दी जाये, उनको मकान बनाने के लिये ऋण दिया जाये और मकान में जो सामान लगे वह कंट्रोल रेट पर मिले। आज दिल्ली में जो मकान का सामान है उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर हम सन् १९३९ की दृष्टि से देखें तो वह कीमत पांच छः गुनी हो गई है। सन् १९३९ में ईंट का भाव ४ रुपया हजार था जोकि आज ४० रुपया हजार है, सीमेंट का बोरा जो उस समय २ रुपये का मिलता था आज ७ रुपये का मिलता है, पत्थर जोकि चार पांच रुपये में एक ट्रक आता था आज उसका दाम ४५ और ४० रुपये है; लोहे की भी कीमत इसी तरह से बढ़ी हुई है। लकड़ी की कीमतें ६ सात गुनी बढ़ी हुई हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि दिल्ली में हम वास्तव में लोगों को मकान के मामले में राहत देना चाहते हैं तो हमें मकान का मैटीरियल भी सस्ता करना पड़ेगा और लोगों को नियंत्रित भाव पर देना होगा।

अन्त में मैं इस बिल का पूर्णतया समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जहां यह विधेयक किरायेदारों को लाभ पहुंचायेगा वहां जो लोग झोंपड़ियों और झुग्गियों में पड़े हैं उनके लिये भी कोई ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि या तो उनके लिये सस्ते मकान तैयार हो सकें या सस्ते किरायों पर उनको मकान मिल सकें।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर हम यहां विचार कर रहे हैं उसके बारे में सब से पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि पिछली दफा जिस शक्ल में यह बिल आया था आज उससे इसकी शक्ल बहुत बेहतर हो गई है। मैं उन सदस्यों में थी जिन्होंने इस बिल की तकरीबन तमाम चीजों को उस समय खंडन किया था। आज मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने, जैसा कि उनसे उम्मीद थी, बहुत दिलचस्पी ले कर इसको बहुत कुछ बेहतर बना दिया है।

कुछ चीजों का मैं जिक्र करना चाहती हूं। जिन चीजों में यह बिल बेहतर हो गया है उन का जिक्र कर के मैं हाउस का वक्त लेना नहीं चाहती क्योंकि इस पर होम मिनिस्टर साहब पहले ही रोशनी डाल चुके हैं और कुछ रोशनी वह आखिर में इस पर डालेंगे। मैं एक बहुत बड़ी बात का, जिसको मैं फंडामेंटल समझती हूं, जिक्र करना चाहती हूं।

यह बिल रेंट कंट्रोल बिल कहलाता है। फिर भी आप देखें कि जिस शक्ल में यह बिल है उस शक्ल में कुछ पुरानी इमारतों को और नई इमारतों को बिल्कुल अछूता छोड़ दिया गया है और इस

को रेंट शौलिडे कहा जाता है। मैं इसका जिक्र करना चाहती हूं। मैं होम मिनिस्टर साहब का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं कि दिल्ली में जो रेंट कंट्रोल को आवाज उठी थी, जो किरायेदारों में हाहाकार मचा था वह उन इमारतों के बारे में नहीं था जोकि बहुत वर्ष पहले बन चुकी थीं। उन इमारतों के किरायों के कंट्रोल के लिये तो बहुत कानून बन चुके थे और उनके किराये कंट्रोल किये जा चुके थे। यह जो किरायेदारों की तरफ से हाहाकार मचा था यह तो उन इमारतों के बारे में था जो कि पिछली दफा बनी हैं और जिनको कि रेंट शौलिडे दिया गया है। उनके किरायों को देख कर दिल्ली का बच्चा बच्चा त्राहि त्राहि करने लगा था। शायद हाउस के सदस्यों को इन मकानों के किरायों का आइडिया न हो। वह जा कर देख सकते हैं। पुराने मकानों के किराये दो रुपये और दस रुपये हैं। आज इन नये मकानों के एक एक कमरे का किराया ६० रुपये से ले कर दो सौ तीन सौ और चार सौ रुपया तक है।

मेरी समझ में यह इंसेंटिव की बात नहीं आती जोकि कही जा रही है। आज हम बीसवीं सदी में रह रहे हैं। आज हम समाजवाद का नारा लगाते हैं। अगर आज सरमायेदारों की तरफ से कहा जाये कि जिस तरह से हम पैसे की शक्ल में मुनाफा चाहते हैं अगर उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, तो आज के जमाने में हम को उन्हें इस तरह का इंसेंटिव देना मुनासिब नहीं हो सकता। वह वक्त चला गया। आज जहां जहां भी प्राइवेट एंटरप्राइज हो रहा है उस पर हम कंट्रोल लगा रहे हैं। हम उन को आजाद नहीं छोड़ देते चाहे वह खुराक का मसला हो या मकानों का मसला हो। और मैं यह अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि खुराक का मसला और मकानों का मसला तो सरकार की अपनी खास जिम्मेदारी होनी चाहिये। पर आज हम इस बात को तसलीम करते हैं कि आज हुकूमत की हालत ऐसी नहीं है कि वह हर बच्चे को मकान दे सके और हर बच्चे को खुराक मुहय्या कर सके। लेकिन अगर आज जनता को सरमायेदारों के हाथ में बिना कंट्रोल के छोड़ दिया जायेगा तो उनकी जो हालत होगी उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। हजारों लाखों लोग इन मकानों में रहते हैं। हजारों सरकारी कर्मचारी जिन को सरकार मकान नहीं दे सकती वे इन मकानों में रहते हैं। अब आप देखें कि अगर एक सरकारी मुलाजिम मकान के किराये पर अपनी आमदनी का ४० या ५० फीसदी खर्च कर देता है तो वह अपनी आमदनी को नाजायज तरीकों से बढ़ाने के लिये मजबूर होगा। तो मैं यह अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि ये लोग जोकि अनकंट्रोल्ड रेट पर मकान किराये पर देते हैं ये लोग दिल्ली में करप्शन के बड़े भारी सोर्स हैं। इसलिये हमें उन पर काब करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि आज जगह जगह से यह आवाज उठ रही है कि जमीन पर सीलिंग होना चाहिये, किसानों की खेती की जमीनों पर, गांवों की जमीनों पर सीलिंग लगाई जाये। हम ने इस चीज को माना और स्वीकार किया तो दूसरे कोने से यह भी आवाज उठने लगी कि अगर गांवों की आमदनी की सीलिंग लगाई गई और शहर वालों की आमदनी पर सीलिंग नहीं लगाई गई तो यह बात अन्यायपूर्ण होगी। इसलिये अगर आज शहरों के मकान मालिकों को खुली छूट दी गई तो उसके नतीजे किसी भी तरह अच्छे नहीं होंगे और ऐसा करना न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिये मैं अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस पर फिर से गौर करें। यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि छूट न देने से मकान नहीं बनेंगे। कुछ साथियों ने कहा कि अगर सीलिंग लगाई गई तो मकान कम बनेंगे और अगर कंट्रोल न रखा गया तो मकान ज्यादा बनेंगे। मैं तो कहती हूं कि सरकार और कोआपरेटिव सोसाइटीज मकान बनावें। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तब तक वह भी मकान नहीं बना सकती। इसलिये सरकार नहीं बना सकेगी कि दिल्ली में जमीनों की कीमतें बहुत बढा दी गई हैं। इसी वजह से कोई कोआपरेटिव सोसाइटी या कोई मामूली आदमी जमीन खरीद नहीं सकता।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह कहना चाहती हूं कि जब एक आदमी को खुली छूट हो कि वह अपने मकान का जो चाहे किराया ले सकता है, तो यह एक कुदरती बात है कि वह ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करने के लिये तैयार है, ज़मीन और बिल्डिंग मैटीरियल के लिये उसको जितनी भी कीमत देनी पड़े, वह देने के लिये तैयार है। इस तरह से एक वीशियस सर्कल सा बन गया है। किराया कंट्रोल न करने की वजह से दिल्ली में मकानों के व्यापार में इतने रिटर्न्ज हो गये हैं जितने की किसी दूसरे बिजनेस में नहीं है। आज मकान बनाना इतना महंगा हो गया है कि सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। जब भी हम डेवलपमेंट वालों को या स्लम क्लीयरेंस वालों को कोई जमीन दिखाते हैं, तो वे कहते हैं कि अड़ोस-पड़ोस में मकान बन जाने की वजह से वह ज़मीन इतनी महंगी हो गई है कि सरकार उस को ले कर किसी को-आपरेटिव सोसायटी को नहीं दे सकती है। मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि अगर कंट्रोल्ड इकानोमी हो, कंट्रोल्ड प्राइवेट एन्टरप्राइज़ हो, तो सरकार या को-आपरेटिव सोसायटी मुकाबला कर सकते हैं, वर्ना वे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं कैपिटलिस्ट्स की इस बात में विश्वास नहीं करती हूं कि हमारे लिये कोई इनसेंटिव नहीं है, हमारे लिये कोई इनसेंटिव पैदा किया जाये, जो हमारे मन में आयेगा, वह करने दिया जायगा—हमें मनचाहा किराया वसूल करने दिया जायगा, तो हम मकान बनायेंगे, वर्ना हम नहीं बनायेंगे। मैं समझती हूं कि अगर कम भी रिटर्न्ज़ होंगे, कम भी प्राफिट्स होंगे, तो जो रुपया इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वे मकान बनायेंगे। इसलिये किराये के मामले में खुली छूट नहीं दी जानी चाहिये।

जहां तक एविक्शन का ताल्लुक है, यह कहा गया है कि अगर मालिक-मकान को मुनासिब ज़रूरत हो, अपनी फ़ैमिली के लिये ज़रूरत हो, तो वह अपना मकान खाली करवा सकता है। मैं चाहती हूं कि इसमें यह अमेंडमेंट कर दिया जाय कि जिस किरायेदार से मकान खाली करवाया जाय, उसको यह इजाज़त मिलनी चाहिये कि अगर वह चाहे तो वह उस मकान में रह सके, जिस को मालिक मकान अपना कुनबा बढ़ जाने से या स्टेटस बढ़ जाने से खाली कर के अपने मकान में आना चाहता है। इससे कानून-बाजी से बचने का मौका रहेगा।

इस बिल में यह भी रखा गया है कि अगर कोई मालिक-मकान अपना मकान खाली करवा लेता है और उसी किरायेदार को नहीं देता है, किसी और को दे देता है, तो कंट्रोलर अगर चाहेगा, तो उसी किरायेदार को उस में रखेगा। लेकिन इसके साथ ही एक खतरनाक बात जोड़ दी गई है, जिस की तरफ़ मेरा ध्यान पहले नहीं गया था। वह यह है कि अगर उस किरायेदार को मकान नहीं मिलेगा, तो उस को कम्पेन्सेशन दिलवाया जायगा। यह बड़ा खतरनाक मामला है। इसका नतीजा यह होगा कि हालांकि किरायेदार और मालिक-मकान दोनों को पगड़ी लेने से मना कर दिया गया है, लेकिन इस तरह किरायेदार के लिये रुपया एक्सेप्ट करने का बहाना हो जायगा। अगर मालिक-मकान को ज्यादा रुपया मिलता होगा, तो वह थोड़ा सा कम्पेन्सेशन दे कर किरायेदार से छुटकारा पा लेगा। दुकानों के मामले में खास तौर पर ऐसा हो सकता है। इस तरह मालिक-मकान अपने मकान खाली करवाते रहेंगे। इसलिये इस तरफ़ भी हमको ध्यान देना चाहिये।

मुझे इस बात की खुशी है कि अमलेदारों की लैंड को भी प्रेमिसिज़ की डेफ़ीनीशन में रख दिया गया है और पुराने कानून में उनको जो प्रोटेक्शन दी गई थी, उसको एक साल के लिये बढ़ा दिया गया है। मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी गौर किया जाय, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह पीरियड खत्म हो जाय और कोई उलटी सीधी बात लोगों के सामने आये और टेनांट्स को कानन में जो टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन और रिलीफ़ दिया गया है, वह उन से ले लिया जाय।

यह भी प्रोवाइड किया जाना चाहिये कि अगर ज़मीन या मकान को उसका मालिक बेचे, तो उसके किरायेदार का प्रथम अधिकार होना चाहिये कि अगर वह उसको खरीदना चाहे, तो खरीद ले।

अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाय, तो किरायेदारों की उम्मीदें और ज्यादा पूरी होंगी। किरायेदारों को असल शिकायत पुराने मकानों से नहीं है, बल्कि जो नये मकान बन रहे हैं, उन से है।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : इस विधेयक पर चर्चा करते हुए मुझे दो बार आश्चर्य हुआ। एक तो यह कि गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं कहा कि उन्हें विमति टिप्पणों से आश्चर्य हुआ है। मैं भी संयुक्त समिति का सदस्य था, और मेरा विचार है कि कई विमति टिप्पण प्रस्तुत हो सकते थे। दूसरा यह कि श्री ब्रह्म प्रकाश जो ने मनमाना किराया लेने की बात की है, हालांकि वह कई एक किरायेदारों की संस्थाओं के संरक्षक हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि संयुक्त समिति में उन्होंने हमारे विभिन्न संशोधन स्वीकार कर लिये। परन्तु यदि कोई संशोधन उनकी मूल बातों से सम्बन्धित था, तो वह अपनी बात पर अड़े रहे। अतः हमें विमति टिप्पण भी प्रस्तुत करना पड़ा। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं।

प्रमाणिक किराये के सम्बन्ध में हमारा सुझाव ६½ प्रतिशत का था जब कि सरकार ने ७ प्रतिशत स्वीकार किया है। दिल्ली में जमीनों की कीमतें ५० से लेकर १०० प्रतिशत तक बढ़ी हैं। मैं यह बात मानने को तत्पर नहीं कि दिल्ली में ये जो अधिक से अधिक मकान बने हैं वे मध्यम श्रेणी के अथवा साधारण व्यक्तियों के लाभ के लिये हैं। संयुक्त समिति में यह बात स्वीकार की गयी थी कि १९५१ के बाद किसी भी गैर सरकारी साधनों द्वारा कोई मकान दिल्ली अथवा नई दिल्ली में निर्मित नहीं हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, परन्तु थोड़ी आय वाले लोगों के लिये कुछ नहीं किया गया। अतः सारी स्थिति का ध्यान रखते हुए ही प्रमाणिक किराया निर्धारित किया जाना चाहिये। इस दिशा में एक युक्ति यह भी दी गयी कि सरकार ने भी अपनी सम्पत्ति के पट्टे को २० गुणा अधिक कर दिया है। मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई तथ्य नहीं है और न ही मैं इस वृद्धि का कारण ही जानता हूं। परन्तु ७½ प्रतिशत निर्धारित करने की यह दलील गलत है। यह ठीक है कि जमीन की कीमत बढ़ी है परन्तु हमारे जीवन व्यय का स्तर तो अभी वैसा ही चल रहा है। इस मामले पर सरकार हमारे दृष्टिकोण से सहमति नहीं हो सकी और हमें विमति टिप्पण प्रस्तुत करना पड़ा।

मनमाने किराये लेने का प्रश्न लीजिये, यह सिद्धान्ततः बहुत बुरी चीज़ है और इससे दो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पुनर्वास मंत्रालय द्वारा जो मकान बनाये गये हैं और जो १९५१ के बाद ही प्रायः बने हैं, उन्हें छूट मिलनी चाहिये। परन्तु क्या आज की अवस्था में उनका किराया बढ़ाया जाना उचित है। ८०, ९० रुपये का मकान आज २००, ३०० रुपये तक पहुंच रहा है। हम उस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि तीन चौथाई दिल्ली को तो गन्दी बस्तियां घोषित कर दिया गया है। उन्हें साफ कर के नई इमारतें बनाई जानी हैं। यह नई इमारतें होंगी और किरायेदार मनमाने किराये लेने के इस उपबन्ध में फंस जायेंगे। इसी कारण ही हम छूट की व्यवस्था करने के विरोधी हैं। मेरे से पूर्व मेरे मित्र इस बात को सविस्तार समझा चुके हैं।

किराया बढ़ाने का जहां तक प्रश्न है, यह कहा गया कि इम्पीरियल होटल जिसका वार्षिक मुनाफा १८, १९ लाख है, आज भी उतना ही किराया दे रहा है जितना कि वह दस वर्ष पहले देता था। यह किराया बढ़ना चाहिये। इसीलिये तो हम ने संयुक्त समिति में निवास के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

और अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग करने वाले मकानों में अन्तर कर लेने की बात पर जोर दिया था और इस सिद्धान्त को स्वीकार भी कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त आज हालत यह है कि बिना पगड़ी के कोई भी मकान उपलब्ध नहीं होता परन्तु इसे हस्तक्षेप्य अपराध नहीं माना गया, जिससे कि पगड़ी लेने वालों को कड़ी सजा दी जा सके।

इसके अतिरिक्त किराया नियंत्रक की बात है। जब हम यह मानते हैं कि हमारी न्यायपालिका का कार्य ठीक चल रहा है, तो नियंत्रकों को भी उसके आधीन कर देना चाहिये। क्योंकि इस सिलसिले में सारे मामले प्रशासनात्मक ही तो नहीं होते। कई एक मामलों पर गवाह इत्यादि लेने होते हैं और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्य करना होता है। केवल प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में काफी नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले में भी मंत्री महोदय को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये। जब हम अपनी न्यायपालिका पर इतना विश्वास रखते हैं तो इन नियंत्रकों को उसके अधीन रखा जाना अधिक उत्तम होगा।

†**श्री सुबिमल घोष** (बर्दवान) : इस विधेयक का क्षेत्र बड़ा सीमित है। इस समय हम जो विधान बना रहे हैं उसमें न केवल दिल्ली निवासियों के हितों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, प्रत्युत यह इस प्रकार का होना चाहिये कि राज्य विधान मंडल भी इससे प्रेरणा ले सकें। क्या हम विधेयक को इस प्रकार के स्तर तक लाने में सफल हुए हैं ? विधेयक की परिधि में दो ही बातें आती हैं। प्रमाणिक किराया निर्धारित करना और अनावश्यक निष्कासन को रोकना। अतः इस में दो ही पक्ष हो सकते हैं, एक किरायेदार और दूसरा मकान मालिक। अब आप मकान मालिक की परिभाषा देखिये। दिल्ली में कोई झोंपड़ा भी बना ले तो मकान मालिक हो गया। यह बात ठीक नहीं लगती, अतः मैंने विमति टिप्पण प्रस्तुत किया है। मैं ने मकान मालिक की परिभाषा सम्बन्धी भी सुझाव दिया था और मुझे प्रसन्नता है कि संशोधन संख्या १३५ के रूप में सरकार ने हमारी कुछ बातें स्वीकार की हैं। पहले जो किरायेदार की परिभाषा निर्धारित की थी, वह भी कोई ठीक नहीं थी। इस सम्बन्ध में भी मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था, जो कि आखिर में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उप-किरायेदार के मामले में स्पष्टीकरण कर दिया जाना चाहिये अन्यथा किराया नियंत्रकों द्वारा इसके भिन्न-भिन्न अर्थ निकाले जायेंगे और विधान में कमी रह जायेगी।

मैं खंड ३ की ओर आता हूं। मेरी यह समझ में नहीं आता कि सरकार को असाधारण किरायेदार अथवा मालिक मकान क्यों माना जा रहा है। कहा गया है कि खंड ५ की व्यवस्था पगड़ी अथवा सलामी को पूरा करने के लिये की गयी है। अभी तक तो हम ने ऐसा विधान देखा नहीं जिससे यह पगड़ी की लानत दूर हो सके। खैर हमें इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। परन्तु कई ऐसे उपबन्ध है जिनसे पगड़ी को प्रोत्साहन प्राप्त होता रहेगा, जैसे कि खंड ५(४)(ख) है। खंड ६ में प्रमाणिक किराये की परिभाषा की गई है। और इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसी प्रकार निष्कासन का प्रश्न भी जटिल है।

मैं इस बात के पक्ष में नहीं कि नियंत्रकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाये। मेरा संशोधन था कि नियंत्रकों की नियुक्ति के बारे में पंजाब की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की जानी चाहिये। इसे गृह-कार्य मंत्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया। मंत्रियों को पता नहीं न्यायपालिका से क्यों डर लगता है। नियुक्तियों के मामले में गृह-कार्य मंत्रालय अपने

†मूल अंग्रेजी में

अधिकार का काफी अनुचित लाभ उठाता रहा है। कई अयोग्य व्यक्तियों को अच्छे अच्छे न्यायिक पदों पर नियुक्त कर दिया गया है। मेरे पास अधिक विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि हमें दिल्ली के किरायेदारों और मालिक मकानों में अच्छे सम्बन्धों के निर्माण के लिये व्यवस्था करनी चाहिये, ताकि अन्य विधान मंडल भी इसकी नकल कर सकें।

†**श्री प्र० क० देव** : (कोलाहांडी) : रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों वस्तुओं की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। नियन्त्रणों का हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। किराये के बारे में १९५२, और १९५६ में हमने अधिनियम पारित किये। अब पुन : उसी विषय पर विधान प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली की जन संख्या के घनत्व में १९४१ से लेकर अब तक ११८ प्रति एकड़ से ५९२ प्रति एकड़ तक वृद्धि हुई है। सरकार की बनाई हुई इतनी विशाल और बहुमूल्य इमारतों से भी काम नहीं चल रहा है। इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं। पहला किरायेदार को निष्कासन के भय से बचाना है, दूसरा किरायेदार के दृष्टिकोण से प्रमाणिक किराया निर्धारित करना और ऐसी व्यवस्था करना है कि मालिक मकान, अब मकान बनाने में प्रोत्साहित हो और इसके अतिरिक्त तीसरा किरायेदारों और मकान मालिकों के विवादों का समुचित निर्णय करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना है। विधेयक का उद्देश्य तो बहुत ही ऊंचा है परन्तु उपबन्धों का अध्ययन करने से काफी निराशा होती है। सरकारी किरायेदारों और निजी किरायेदारों में काफी भेद भाव किया गया है। हम समाजवादी समाज की बातें करते हैं, तो हमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भेद भाव नहीं करना चाहिए।

प्रमाणिक किराये की बात ही लीजिए, इसे निर्धारित करने के लिए जिन विभिन्न ढंगों की व्यवस्था की गयी है, वे काफी परेशानी में डालने वाले हैं। मनमाना किराया लेने की व्यवस्था का मैं प्रबल विरोधी हूं। श्री नायर की यह बात बिलकुल ठीक है कि आज तक किसी ने भी गरीब व्यक्तियों के लिए मकान नहीं बनवाये। इसका एक ही परिणाम हुआ है कि जमीनों की कीमतें काफी बढ़ गयी हैं। सरकार को जमीन की कीमतों की वृद्धि को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिल्ली के आस पास जो सुन्दर मकानों का निर्माण हुआ है वह योजना के अनुसार नहीं है और दिल्ली की जलवायु के अनुरूप भी नहीं है। नगर निर्माण की योजना आधुनिक ढंग से की जानी चाहिए और यदि इस बढ़ रही भीड़-भाड़ को रोका नहीं गया तो अन्त में गन्दी बस्तियों की वृद्धि ही हो जायेगी। गन्दी बस्तियों को साफ करने का आन्दोलन भी असफल हो रहा है।

खंड १० के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इससे कार्य में काफी वृद्धि हो जायेगी और कार्य का निपटारा शीघ्र नहीं हो सकेगा। मेरा मत है कि इस खंड को छोड़ देना चाहिए। बढ़ते हुए कार्यपालिका नियन्त्रण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार को इन नियन्त्रकों को भर्ती न्याय-पालिका से करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनका पांच वर्ष का इस दिशा में अनुभव हो। इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को टूटे-फूटे घरों की मरम्मत के लिए मकान मालिकों को कर्जा देना चाहिए। निष्कासन सम्बन्धी खंड में भी समुचित परिवर्तन करना चाहिए।

**श्री जाधव** (मालेगांव) : यह जो बिल सदन के सामने है, वह सदन के सामने क्यों रखा गया है, इस के बैकग्राउंड को हमें देखना पड़ेगा। मैं कुछ बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने "ए प्लान इन दि मेकिंग" नाम का एक पैमफ्लेट शाया किया है। उस में उस बैकग्राउंड

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जाधव]

को अच्छी तरह से बताया गया है। १९४७ में जब पार्टीशन हुआ, तो दिल्ली में करीब-करीब पांच लाख से लेकर छः लाख लोग यहां आए। उस के बाद दिल्ली का जो हाउसिंग का प्राबलम है, उसकी इमरजेन्सी को भी हमें समझना पड़ेगा। इस के बारे में इस पैम्फलेट के पेज ६ पर दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के संबंध में जो बातें कही गई हैं, उन को देखते हुए हम अन्दाज़ लगा सकते हैं कि यहां पर मकानों की कितनी किल्लत होगी। दुख की बात यह है कि दिल्ली में मकानों की किल्लत कितनी है, इस का अन्दाज़ा अब तक नहीं लगाया गया है। अभी तक उसका सरवे हो रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी या कार्पोरेशन की बात छोड़ दीजिए। मैं ने एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मकानात हैं, तो उस के जवाब में भी यही कहा गया कि मालूमात हासिल की जा रही है और वे सदन के सामने रखी जायेंगी। तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वह मालूमात नहीं आई है। यहां पर मकानों की बहुत बड़ी किल्लत है, इसका अन्दाज़ा तो लग चुका है और इस का ज्यादा ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट सरवेंट्स हैं उन के कुछ फ़िगर्ज़ इस तरह हैं—क्लास १ : २७०७ क्लास २ : १२८५७, क्लास ३ : ४६९०५ और क्लास ४ : २७३३८, अर्थात् कुल मिला कर वे ८९८०७ होते हैं। डिफ़ेन्स सर्विसिज़ के लोग भी यहां रहते हैं। मुझे यह मालूमात हासिल है कि जब तक गवर्नमेंट सरवेंट दस साल की सर्विस पूरी नहीं कर लेता है, तब तक गवर्नमेंट उसको मकान नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट सरवेंट्स से यह इच्छा की जाती है कि वे अपने वेतन का दस परसेंट किराये के रूप में दें। जिन लोगों को मकान नहीं दिया जाता है, उन को गवर्नमेंट से कुछ एलाउंस मिलता है, लेकिन यह एलाउंस लेने के बाद भी ऐसे लोगों के लिए प्राइवेट मकान-मालिकों से मकान लेना बहुत मुश्किल होता है। माननीय सदस्या, श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा कि इस बिल की शक्ल जो पहले थी, उससे बदल गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो गई है, क्योंकि जो मकान बनाने वाले प्राईवेट लोग हैं, उन को रेन्ट कंट्रोल से छोड़ दिया जाता है। क्या गारण्टी है गवर्नमेंट के पास कि ये मकान बनने वाले हैं? कहा गया है कि गए पांच सालों में कुछ मकान बने हैं। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ मकान बने हैं, लेकिन कितने बने हैं? गवर्नमेंट ने इस के लिए जो पैसा रखा है, उसको इस्तेमाल करने के बाद १९५४–५५ से आज तक इंडस्ट्रियल हाउसिंग में १४३४ मकान और लो इनकम ग्रुप हाउसिंग में १९०५ मकान यानी कुल ३३३९ मकान बनाए गए हैं। मैंने अन्दाज़ा लगाया है कि यहां की आबादी २० लाख से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट की फिगर है कि यहां की आबादी १८ लाख है लेकिन मैं समझता हूं वह १८ लाख नहीं २० लाख से भी ज्यादा है। यहां फैमिली यूनिट ४.७२ बताया गया है। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने मकानों की हमको आवश्यकता है। इस हिसाब से करीब-करीब साढ़े चार लाख मकान हमको रेसिडेंस के लिये चाहियें। साथ ही साथ सोसाइटी की जो ज़रूरतें होती हैं, उनको भी हमें पूरा करना है और उसका भी अन्दाज़ा आपको लगाना चाहिये।

अब मैं स्लम एरियाज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कहा गया है कि पुरानी दिल्ली में ९० परसेंट स्लम एरियाज़ हैं। कुल कितने स्लम एरियाज़ हैं इसका अंदाज़ा हमको नहीं है और इनकी पूरी फिगर्स हमारे पास नहीं है। अभी चौ० ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा है कि इनकी तादाद शायद ५०,००० है। लेकिन अभी जो स्टेटिसटिक्स छपे हैं उनमें बताया गया है कि ३०,००० स्लम्स हैं और इन ३०,००० में से कोई २०,००० लोग हरिजन हैं। मैं इनको हरिजन कहना पसन्द नहीं करता और मैं इनको पिछड़े हुए लोग कहना ज्यादा पसन्द करूंगा। अगर हम इस अंदाज़े के आधार पर चलें कि २० परसेंट लोग स्लम्स में रहते हैं तो हमें पता चलेगा कि दिल्ली

में करीब-करीब पांच लाख लोग स्लम्स में रहते हैं। यही हाल अहमदाबाद का है। इनके बारे में आपको सोचना होगा।

मैं रेंट होलिडे के बारे में कह रहा था। आप होलिडे इन किरायों के बारे में मकान मालिकों को देने जा रहे हैं। ये लोग बड़े-बड़े आदमियों के लिए ही मकान बनायेंगे छोटों के लिए नहीं। आप देखें कि किस आमदनी वाले कितने लोग दिल्ली में रहते हैं। सौ रुपये से कम जिनकी आमदनी है ऐसे लोग ५० फीसदी हैं। ३०० रुपये तक जिनकी आमदनी है वे ४० फीसदी हैं और ३०० से ज्यादा जिनकी आमदनी है वे केवल १० फीसदी हैं। अब ये लोग जो मकान बनायेंगे वे सिर्फ १० परसेंट लोगों के लिए ही बनायेंगे।

आज हम यह भी देखते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मकान नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट भी उन सब को मकान नहीं दे पा रही है। इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स से भी मकान मालिक ज्यादा पैसा लेने वाले हैं या नहीं इसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिये था। हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ज्यादा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। हम उनको १० परसेंट से अधिक नहीं देते हैं। थोड़ा सा एलाउंस ही उनको दे सकते हैं। लेकिन जब फैबुलस रेंट गवर्नमेंट सर्वेंटस को देना पड़ेगा तो वे उस पैसे को कहां से लायेगा। हमारे यहां मराठी में एक कहावत है "बाप साग्रु दे ग्रीना ग्राणि ग्राग्री उपाशी राहू देईना"। इसका मतलब यह है कि बाप खाने को नहीं देता है और मां कहती है कि खाली पेट नहीं रह सकता है। अब बेटा क्या करेगा, बेटा कोई दूसरा मार्ग अख्तयार करेगा और दूसरा मार्ग कौन सा हो सकता है वह चोरी का ही हो सकता है। कहीं ऐसी ही बात यहां तो नहीं होती है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जितना पैसा चाहिये उतना नहीं दे सकते हैं तो वह क्या करेगा, पैसा किराये का तो उसको देना ही पड़ेगा और उसको मकान में रहना ही पड़ेगा। अब वह कहां से पैसा लायेगा? दूसरा ही मार्ग बाकी बच रहता है। मैं समझता हूं कि होलिडे दे करके हमने इस बिल की सूरत को बिल्कुल ही बदसूरत कर दिया है।

दूसरी बात यहां पर यह कही गई है कि मकानों की बड़ी कमी है। कितने मकान चाहियें, इसका फिगर मैंने दिया है। इतने मकान नहीं है और लोगों को भी रहना है। रहने के लिये मकान तो चाहिये ही और यह आदमी की पांच जरूरियात जिन्दगी में से एक है। एक तो उसको खाने के लिये अन्न चाहिये, दूसरे उसको पहनने के लिये कपड़ा चाहिये, तीसरे उसको रहने के लिये मकान चाहिये, चौथा उसको बच्चों को तालीम देने के लिये पैसा चाहिये और पांचवें उसके लिए दवा दारू का इन्तिज़ाम चाहिये। उसके रहने का बन्दोबस्त अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, लो इनकम ग्रुप के लिये गवर्नमेंट मकान नहीं बनवा सकती है तो क्या कारण है कि वह रेंट होलिडे देने जा रही है। यह भी देखने में आया है कि गवर्नमेंट जब लैंड अपनी तरफ से बेचती है तो काफी दाम बढ़ा कर बेचती है। गवर्नमेंट भी बड़े लोगों के लिए मकान बनवाती है। अगर वह बड़े लोगों के लिये ही मकान बनवाती है तो छोटे लोगों का क्या बनेगा?

यहां पर कहा गया है कि मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, इंटरिम जनरल प्लान बनाया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि तहकीकात हो रही है। मैं नहीं कहता कि तहकीकात नहीं हो रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक काफी हाउसिस दिल्ली में नहीं बन जाते तब तक आपको सब-लेटिंग को दिल्ली में गैर-कानूनी किसी भी सूरत में करार नहीं देना चाहिये।

आप ने कहा है कि सब-टेनेंसी के लिए लिटन कंसेंट होनी चाहिये। मैं समझता हूं यह चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है, यह बात हो नहीं सकती है जब तक आप मकानों की समस्या हल नहीं कर लेते हैं तब तक

[श्री जाधव]

यह सब लेटिंग की बात को गैर-कानूनी करार देना उचित नहीं होगा। रिटन कंसेंट हो या न हो, इस चीज़ को आपको कानूनी करार देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि यह चीज़ इस बिल में जरूर होनी चाहिये।

मैंने सुना है और मैंने टाइम्स आफ इण्डिया में भी पढ़ा है कि दिल्ली के आसपास जो सक्वेटर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है और खैबर पास के पास एक जगह ले ली गई है, एक बड़ा प्लाट ले लिया गया है और वहां पर हर एक कुनबे को, हर एक फेमिली को १८:१६ फुट जगह दी जाएगी। इतनी तंग जगह में कौन रह सकता है। मियां और बीवी और उनके बच्चे इस जगह रहेंगे और एक आध कमरे में ये सब रहेंगे। आप जानते ही हैं कि जिन्दगी में मियां बीवी को कोई दूसरा ऐश करने का मौका नहीं रहता है और जब घर ही एक जगह रह जाती है तो आप जानते ही हैं कि मल्टिप्लिकेशन शुरू होता है। अब इस तरह की जगह पर उनको रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अब वे उनमें रहें लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब तक हाउसिंग प्राब्लेम हल नहीं हो जाता—इन लोगों को आपको अच्छी जगह पर बसाना होगा और इनकी तरफ ध्यान देना होगा।

जो स्लम एरियाज़ डिक्लेयर हुए हैं उनमें कुछ ऐसे मकान भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। इन स्लम एरियाज़ में अगर आप इन अच्छे मकानों पर इस बिल को लागू नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं मुश्किलात पैदा होंगी और उन लोगों को रेंट बढ़ाने का बहाना मिलेगा। आपने करौल बाग़ में स्लम एरियाज़ ज़ाहिर किये हैं। यहां पर जितने भी मकान हैं उनको आप स्लम्स में गिनेंगे। यहां पर जो लाख-लाख और पचास पचास हजार के मकान हैं उन्हें भी आपने स्लम में डाला है। इससे बहुत ज्यादा धोखा होने वाला है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर सही सूरत को जान कर फिर बिल ड्राफ्ट किया जाता तो यह चांद का सा होता। हो सकता है इसमें थोड़ से काले दाग रह जाते लेकिन चांद की सी सूरत इसकी अवश्य निकलती। आज इसकी वह सूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब अगर सही हालत का अंदाज़ा लगाते और अच्छा बिल बनाते तो मकानों की समस्या हल हो सकती थी ज्यादा मकान बनें इसके लिये मैं एक दो कंक्रीट प्रोपोज़ल्स आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि जो रेंट होलिडडी गई है उसको छोड़ देना चाहिये, वह नहीं दी जानी चाहिये, उसको बिल्कुल गैर-कानूनी करार दिया जाना चाहिये ज्यादा से ज्यादा मकान बनें इसके लिये हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्वयं लैण्ड एक्वायर करके उसे नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर बेचे और साथ ही साथ गवर्नमेंट यह भी देखे कि कोई भी को-ओप्रेटिव सोसाइटी या गवर्नमेंट खुद किसी ऐसे आदमी को ज़मीन न दे जिस के पास दिल्ली में खुद का मकान है। अगर ये स्टेप्स लिये गये तभी यह मसला हल हो सकता है अन्यथा नहीं।

सब-टैनेंसीज़ का भी हमें पता लगाना होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिये कितने मकानों की आवश्यकता है, इसका भी अन्दाज़ा होना चाहिये। कितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स सब-टैनेंन्टस के तौर पर रहते हैं, इसका भी पता हमें होना चाहिये। इन सब चीज़ों का तथा दूसरी चीज़ों का जब पता चल जाये तभी मालूम हो सकता है कि कितने मकानों की हमें आवश्यकता है।

चूंकि वक्त खत्म हो गया है, इस वास्ते मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप क्लाज़ बाई क्लाज़ डिसकशन पर मुझे अपनी एमेंडमेंट्स मूव करने का और उन पर बोलने का मौका देंगे।

†श्री हेडा (निजामाबाद) : मेरा निवेदन है कि हमने इस विधेयक के अधीन कुछ ऐसे किरायेदारों को भी छूट दी है, जिनको इसकी जरूरत नहीं है। ये लोग १,००० रु० मासिक किराये पर अच्छे अच्छे मकान लेकर रहते हैं। इन लोगों की तीन श्रेणियां हैं—एक, विदेशी लोग या विदेशी दूतावास ये १५०० रु० या २००० रु० महीना किराये के मकान लेते हैं और यदि इनको संरक्षण दिया जायेगा तो हमारे देश के मकान मालिकों को आय कम होगी और सरकार को उनसे आय कर भी कम मिलेगा। इस प्रकार सरकार को राजस्व की हानि होगी। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनके बड़े-बड़े व्यापार या उद्योग हैं, वे मकान बनवाते भी नहीं, ये लोग सुन्दर नगर, गोल्फ लिंक या जोरबाग आदि में रहते हैं। ये लोग आय कर भी देते हैं पर इनको संरक्षण देने से भी आय-कर का सरकार को घाटा होगा। तीसरी श्रेणी में बड़ी-बड़ी गैर सरकारी फर्मों के प्रतिनिधि आते हैं। उनको इस विधेयक का जो संरक्षण मिलेगा उससे इन फर्मों को लाभ होगा। ये लिमिटेड फर्म आयकर व्यक्तिगत लोगों की तुलना में कम देती हैं। अतः इससे भी सरकार को आय कर का घाटा होगा। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को ऐसे लोगों को कोई संरक्षण नहीं देना चाहिये, जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही इन लोगों को संरक्षण देने से सरकार को आयकर का घाटा होगा।

**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं बहुत ही संक्षेप में दो तीन बातें कहूंगा।

किरायेदारों की समस्या इतनी गम्भीर और विकट है कि इस सम्बन्ध में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा सरकार को। हमारे समाजवादी ढंग के समाज का जो उद्देश्य है उसके लिये जहां हम किरायेदारों को कुछ और सुविधायें देने की बात सोच रहे हैं, इस विधेयक में, वहां एक बात की तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है, और वह चीज यह है कि जब मुकदमेबाजी चलती है तो हालांकि छोटे छोटे किरायेदारों के पक्ष में कानून होता है, लकिन वह इस लिये थक जाते हैं कि अदालत का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस लिये मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि इस किस्म के किरायेदारों को सरकार की तरफ से कानूनी सहायता दी जाये। जिस तरह से कि और व्यवस्थायें की जा रही हैं, उसी तरह से सरकार की तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिये। कुछ वकील लोग हों जो सिर्फ छोटे किरायेदारों को, एक खास किस्म के किरायेदार जो हैं, मध्यम वर्ग के या छोटे क्लास के, उनके रास्ते में जो कानूनी दिक्कतें आयें, उनके लिये वह सलाह मश्विरा दिया करें। उनके ऊपर अगर कोई मकान मालिक मुकदमा चलाये, जो कि पैसे वाला हो, तो सरकार की तरफ से वकील होने चाहियें जो कि उसकी मदद करें। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि आज किरायेदारों को जो बहुत सी दिक्कतें होती हैं उनको कैसे दूर किया जाय। कभी कभी कानून उनके पक्ष में होता है, लेकिन अदालत वाले उनको थका डालते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। उन लोगों को इस तरह से कुछ सहायता मिल जायेगी।

सदन में कुछ चर्चा की गई है रेंट होलिडे की। किराये से छुट्टी की। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री हेडा ने जो सुझाव दिया है, बहुत बड़े बड़े मकानों के बारे में, जिनके किराये हजारों रुपये माहवार आते हैं उनके लिये सरकार चाहे जो कुछ सोचे, उसमें आम जनता के लिये कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जहां तक मध्यम वर्ग या निचले वर्ग के लोगों का सवाल है, अगर उनके लिये पांच साल को छुट्टी दे दी गई किरायों में, यानी मकान मालिक चाहे जितना वसूल कर सकता है, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिये मकानों के किराये से छुट्टी वाली बात जो है वह कम से कम छोटे मकानों के लिये तो कभी भी लागू नहीं की जानी चाहिये और इसलिये मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इस तरह की कोई रेंट होलिडे (मनमाना किराया) मध्यम वर्ग तथा छोटे वर्ग के मकानों के लिये नहीं होना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये। असल में हमें यह सोचना चाहिये कि मकानों की असल समस्या क्या है। मकानों के किराये से छुट्टी देने से क्या हम यह समस्या हल कर सकते हैं ? कुछ जानकार लोगों का कहना है कि ३० हजार प्रति माह के हिसाब से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। अगर हम इस कथन को सही मान लें तो ३ लाख, ६० हजार आदमी प्रति वर्ष के हिसाब से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है।

श्री त्यागी (देहरादून) : इतनी नहीं बढ़ सकती। रेट आफ बर्थ इतना नहीं है।

**श्री ब्रज राज सिंह** : सरकार के पास भी तो आंकड़े हैं। इसमें बर्थ का कोई सवाल नहीं है, यह केन्द्र है, देश की राजधानी है। इसलिये देश के हर भाग से लोग यहां आना चाहते हैं। यदि आप यहां के आंकड़ों को देखें तो आप को पता लगेगा कि किस तरह से यहां की आबादी बढ़ रही है। बहरहाल मैं नहीं कहता कि आबादी यहां ३० हजार प्रति माह के हिसाब से बढ़ रही है। सरकार अपने आंकड़ों से इस का पता लगा ले। लेकिन आबादी बढ़ रही है इतना निश्चित है। लेकिन यह आबादी इस हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिये। सलिये हमको इस समस्या का कोई समाधान सोचना पड़ेगा। इस तरह के सुझाव यहां रखने होंगे जिस से कि इस बढ़ती हुई आबादी के लिये मकानों का निर्माण हो सके। सके लिये बहुत जरूरी है कि दिल्ली में जो जमीन की कीमत है, उस पर सरकार का कुछ नियंत्रण हो। जो जमीन की कीमत आज १०० रु० से लेकर २०० रु० तक है, वह ठीक हो जाये। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस रेंट हालिडे जैसी चीज से नये मकानों के निर्माण के संबंध में कोई काम बनने वाला नहीं है। सोचना यह चाहिये कि मकान ज्यादा किस तरह बनें। उसके लिये जहां की जमीन की कीमत पर एक तरह से कंट्रोल करने की जरूरत है उसी तरह जमीन के अलावा और जो दूसरा मकान बनाने का सामान है उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जो सहकारी संस्थायें मकान बनाने के लिये बनें, छोटे मकान बनाने के लिये जो छोटी आमदनी वाले लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद दी जाय। मैं समझता हूं कि इस ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि उनको हतोत्साहित किया जाता है, निरुत्साहित किया जाता है और छोटी आमदनी वाले लोग जो नये छोटे किस्म के मकान बनाना चाहते हैं उनको वह इंसेंटिव और प्रोत्साहन नहीं मिलता है जिसकी कि उनको जरूरत है।

मेरी समझ में रेंट होलिडे इस समस्या का सही समाधान नहीं है। हम मकान बनाने के लिये जमीन की ओर दूसरी जो मकान निर्माण सम्बन्धी चीजें हैं जिनसे कि मकान का निर्माण होता है, उनके बारे में एक ही सही नीति अख्त्यार करें और उनकी कीमत घटाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेंट होलिडे से मेरी समझ में कोई फायदा नहीं होगा।

जब गांवों और देहातों के लिये यह आप सोच सकते हैं कि वहां पर जमीन की एक सीलिंग हो, भूमि की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय तो शहर के बारे में भी इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं सोची जाती है ? शहरों में कुछ ऐसे लोग हैं, कम से कम दो, तीन के बारे में तो बताया गया है कि उनकी अकेले मकानों के किराये से होने वाली आमदनी २० हजार से लेकर २५ हजार रुपये माहवार तक है। हो सकता है कि वह तमाम आमदनी एक आदमी के नाम में न हो, उसको उन्होंने लड़कों के नाम कर दिया हो, बीवी के नाम कर दिया हो और इनकमटैक्स को कम करने की वजह से इस तरीके से बांट दिया हो लेकिन है दरअसल में वह एक की ही आमदनी और यह जायदादें उन्होंने सन् १८५७ में जब कि भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम हुआ था और उसमें जो उन्होंने भारतीयों के खिलाफ विदेशी गवर्नमेंट की सहायता की थी उसके एवज में विदेशी शासकों

द्वारा उनको यह जायदादें मिली थीं और वह तब से उनके खानदानों में चली आ रही हैं। अब ऐसे लोगों को हम कुछ सहूलियतें देकर उनसे यह उम्मीद करें कि वह मकानों का नवनिर्माण करेंगे, ऐसी आशा करना दुराशा मा ही होगी। वे कोई नया निर्माण करने वाले नहीं हैं क्योंकि उन्हें यह खतरा है कि उनके पास जो मकान हैं वे उन के हाथ से जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आज दिल्ली में जो इस तरीके की कुछ एक मोनोपोलिस्टक टेंडेंसी बढ़ रही है, एकाधिपत्य वाद चल रहा है मकानों के बारे में, उधर भी सरकार का ध्यान जाय लेकिन मैं समझता हूं कि आज सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा है . . . .

**श्री त्यागी** : क्या आप ३०० रुपये की सीलिंग मकानों के बारे में मजूर करेंगे ?

**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं तो तैयार हो जाऊंगा लेकिन उससे क्या बनेगा। यह तो सरकार के देखने की चीज़ है। सरकार तो मेरी समझ में २०, २५ हजार रुपये तक की मकानों से होने वाली आमदनी पर सीलिंग लगाने के वास्ते तैयार नहीं मालूम पड़ती। इसलिये जहां तक मकानों से होने वाली आमदनी पर सीलिंग लगाने की बात है, यह तो सरकार के सोचने की बात है। हम उसके लिये तैयार भी हो जायें लेकिन सरकार तैयार नहीं होती है।

जहां तक सबलैटिंग का सवाल है उसके लिये मेरा यह कहना है कि सरकार का ध्यान उस ओर भी उतना नहीं गया है जितना कि जाना चाहिये था। जब तक सबलैटिंग को हम, जितनी कि आज तक वह है, कानूनी करार नहीं देते हैं. . .

**श्री नवल प्रभाकर** : आपने ध्यान से देखा नहीं। उसको कानूनी करार दे दिया है।

**श्री ब्रजराज सिंह** : अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हजारों लोगों को हमें जाकर सड़कों पर छोड़ देना पड़ेगा।

सबलैटिंग के साथ ही साथ एक और समस्या है जिस पर कि अभी कुछ दिन पहले यहां पार्लियामेंट के अन्दर बहस हुई थी और वह अस्थाई झोंपड़ों में बसने वाले मजदूर पेशा लोगों के निवास की समस्या है। उन्होंने प्रदर्शन किया और सुना जाता है कि उन्होंने कुछ मूर्तियां या फोटू भी जलाये और कहा जाता है कि उन्होंने माननीय गृह मंत्री का फोटू जलाया। किसी का भी फोटू जलाना गलत चीज है भले ही उससे कितनी ही दुश्मनी क्यों न हो और किसी तरह से यह फोटू नहीं जलाने चाहिये थे। लेकिन यह जो कुछ हुआ इसके पीछे वह निराशा और तीव्र असन्तोष की भावना काम कर रही थी जो कि उनके दिलों में थी और वह इसलिये क्योंकि उनकी रिहायश की समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनके रहने के लिये सरकार द्वारा कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जो कि इन झोपड़ों में रह रहे हैं उनकी सख्या कोई ३० हजार के लगभग है और उनके लिये हमें मकानों की व्यवस्था करनी है। इसलिये असल समस्या की ओर हमें ध्यान देना होगा और जब तक उस पर हमारा ध्यान नहीं जायगा तब तक मैं समझता हूं कि यह समस्या मकानों की हल होने वाली नहीं है। यह मेरा निश्चित मत है कि रेंट हौलिडे से यह समस्या हल होने वाली नहीं है और कम से कम लो इनकम ग्रुप के आदमियों, छोटे और मध्यम वर्ग के आदमियों के लिये तो मकान बनेंगे नहीं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मकानों की समस्या की ओर तुरन्त ध्यान दे, सहकारी संस्थाओं को मदद दे, छोटी आमदनी वाले जो लोग हैं उनके लिये जमीन की व्यवस्था करे, कर्जा देने की व्यवस्था करे और मारती सामान की मुनासिब कीमत पर देने की व्यवस्था करे। यदि संभव हो सके तो कानूनी तरीके से कोई एक स्टैचुटरी हाउसिंग कारपोरेशन बनाये और उसके जरिये मकानों का निर्माण कार्य शुरू करे तभी हम इस दिल्ली के मकानों की समस्या को हल कर सकें वरना जिस गति से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है

[श्री ब्रजराज सिंह]

उस गति पर कब्जा पाने के लिये यह कानून कारगर सिद्ध नहीं होगा। यह सोचना कि दिल्ली की आबादी बढ़नी एक जायगी, यह दुराशा मात्र ही होगा क्योंकि दिल्ली हमारे पूरे देश की राजधानी है और इस नाते बहुत से लोगों को यहां पर बहुत से कामों के लिये आना पड़ता है और चूंकि यहां पर उनके बहुत से काम बनते हैं इसलिये लोगों को यहां पर रहने का लालच होता है और सलिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं और कम आय वाले और मध्यम दर्जे के लोगों को जमीन दिलाने की व्यवस्था की जाय ताकि हजारों की तादाद में दिल्ली में नये मकान बन सकें और जब तक यह नहीं किया जाता तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है।

**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है उसके लिये मैं बहुत शुक्र जार हूं क्योंकि मैं एक ही आदमी दिल्ली का बिना बोले रह गया था।

मैं इस मौके पर सिर्फ दो, तीन ही चीजों पर अपने विचार प्रकट करूंगा। सबसे पहली चीज़ को कंट्रोलर की है और उसके लिये मेरा कहना है कि कंट्रोलर का एपायन्टमेंट जहां तक हो सके जुडिशियल आसिफसर्स में से होना चाहिये क्योंकि कंट्रोलर का बहुत एम्पारटेंट आफिस है और वह ऐबवबोर्ड होना चाहिये और इसीलिये मैं चाहता हूं कि वह एक जुडिशियल आफिसर हो। कंट्रोलर की एथारिटी शायद दिल्ली के हर आदमी के ऊपर होने वाली है और इससे ज्यादा एम्पारटेंट आफिसर शायद दिल्ली में और कहीं नहीं होगा क्योंकि यह हर क किरायेदार और हर एक मकान मालिक से ताल्लुक रखने वाला होगा और इसलिये वह अफसर हमेशा ऐसा आदमी होना चाहिये जिस की कि निष्पक्षता पर सबको पूर्ण विश्वास हो और होगा ही, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह कंट्रोलर जुडिशियल साइड से और जुडिशियल डिपार्टमेंट से हो और अगर ऐसा हो तो वह पब्लिक का और भी ज्यादा विश्वास पात्र बन सकता है।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि सेक्शन ३ जिसके कि अन्दर गवर्नमेंट प्रीमिसेज को इस कानून से बाहर रक्खा गया है, मैं उसके खिलाफ हूं हालांकि यह सेलेक्ट कमेटी में पास हो चुका है लेकिन वहां पर भी मैंने उसका विरोध किया था क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में जहां सबसे ज्यादा और बड़ा मकान मालिक गवर्नमेंट है और उसकी मकान मिलिकियत रोजवरोज बढ़ती ही जा रही है। अभी गवर्नमेंट की ओर से कोई दो महीने पहले कोई ३ हजार एकड़ जमीन एक्वायर की गई है और शायद दो, तीन महीने के अन्दर फिर १ हजार या २ हजार एकड़ जमीन एक्विजीशन होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत हद तक तमाम जमीन की मालिक यह गवर्नमेंट बनने वाली है और प्राइवेट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और अगर गुंजाइश रही भी तो वह केवल बड़े–बड़े सरमायदारों को रहेगी इसीलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से जो मकान किराये पर उठे और खास कर एक्वीजीशन और रिक्वीजीशन के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलेट करते हैं, उन पर ज्यादा किराये न लगाये जाये। कई मिसालें यहां दी गई जिनमें यह बतलाया गया कि जितना किराया किरायदारों से मकान मालिकों को मिलता है, गवर्नमेंट उससे कई गुना किरायदारों से वसूल करती है और यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इसके लिए यह दलील देना कि चूंकि गवर्नमेंट यह करती है इसलिए यह मुनाफाबाजी नहीं है, यह गलत चीज है क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक आदर्श एम्पलायर हो, एक आदर्श मकान मालिक भी रहे। आजकल जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबकी एम्पलायर गवर्नमेंट है और उनके साथ अच्छा और ठीक व्यवहार होना चाहिए जैसा कि होता है। मैं समझता हूं कि जब

हम यह दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी जो कि एक लैंडलार्ड है जिसको प्राइवेट मकान मालिकों के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए और गवर्नमेंट जब एक आदर्श लैंडलार्ड के रूप में सामने आयेगी तभी हमारी मौरल प्रेस्टिज भी बढ़ सकती है और मैं नहीं समझता कि उसको अलग रखने से गवर्नमेंट कितना पैसा कमा सकती है। गवर्नमेंट को यह हक है कि वह जिस जमीन और मकान को चाहे उसको एक्वायर कर सकती है और रिक्वीजीशन कर सकती है।

उस हक से गवर्नमेंट को तसल्ली हो जानी चाहिए। लेकिन जहां तक रेंट कंट्रोल का ताल्लुक है गवर्नमेंट की इमारतें भी इस एक्ट के मातहत होनी चाहिए। मैं इसका सख्त पक्षपाती हूं और गवर्नमेंट की इमारतों को इस कानून से एग्जम्प्शन देने का मैं कोई कारण नहीं देखता।

तीसरी बात मुझे रेंट हौलिडे के बारे में कहनी है। सचमुच हम उसके सख्त खिलाफ हैं। मैं समझता हूं कि सदन के बहुत से लोग इसी राय के होंगे सिवाय एक दो सरमायेदारों के। हम इसके नतीजे जानते हैं और हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि पिछले आठ दस सालों में दिल्ली में जितनी भी बड़ी-बड़ी कालोनीज बनी हैं वे सब लखपतियों और करोड़-पतियों की ही बनी हैं। असेम्बली रोड पर आप देखें जितने भी मकान बने हैं वे ५ लाख से लेकर बीस पच्चीस लाख तक के हैं। और यह मकान ज्यादातर किरायेदारों से पहले से पैसा लेकर बनाये गये हैं। मकान बनने से पहल ही समझौते हो गये और पांच पांच दस दस साल के लिए किराये तै हो गये और इस तरह से वह रुपया लेकर यह मकान बनाये गये हैं और हजारों रुपयों महीने के किराये पर चल रहे हैं। वहां पर सौ दो सौ रुपये महीने का तो एक कमरा या एक दुकान भी नहीं मिल सकती। वहां पर बड़े-बड़े सरमायेदारों की दुकानें, मकान और कम्पनियां हैं। इसी प्रकार गोल्फलिंक और जोर बाग में जो मकान बनाये जा रहे हैं वे सरमायेदारों के हैं। जैसा कि अभी चौधरी ब्रम्ह प्रकाश जी ने कहा, इस जमाने के अन्दर कोई चालीस हजार छोटे और बड़े मकान बनाये गये हैं, वह सब अनआथोराइज्ड बनाये गये हैं, कानून के अन्दर नहीं बनाये गये हैं। कानून के अन्दर बनाने वाले बड़े-बड़े सरमायेदार हैं। लेकिन गरीब आदमी कहां जाये। इसीलिए कुदरती तौर पर मकानों का सबलेटिंग हो रहा है। आज हालत यह है कि एक छोटी सी रसोई के लिए भी लोग पचास रुपया महीना देकर रहने के लिए तैयार हैं। जब डिमांड इतनी जबरदस्त हो और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्तिजाम न हो तो गरीब आदमी क्या करेंगे। उनको जहां भी जगह मिल गयी वहीं पर उन्होंने दो हजार तीन हजार रुपया लगाकर मकान बना लिये। मैं तो समझता हूं कि चालीस हजार नहीं बल्कि पिछले चार पांच सालों में एक लाख अनआथोराइज्ड मकान दिल्ली में बने होंगे। और हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं? इसको हम हौलिडे देकर नहीं रोक सकते। रेंट हौलिडे देने का नतीजा यह होगा कि दिल्ली सरमायेदारों की ही बन जायेगी, गरीबों के लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

लेकिन जब दिल्ली में बहुत से सरमायेदार रहेंगे, और बड़े-बड़े पूंजीपति और पैसे वाले रहेंगे, तो उनकी सेवा के लिए भी गरीबों की जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि यहां कम से कम २५, ३० या ५० हजार तो गरीब फोर्थ क्लास गवर्नमेंट सरवेंट्स रह रहे हैं। वे किस तरह से रहेंगे।

एक साहब मेरे पास आये रेलवे के हैं। वह ट्रांस्फर पर यहां आये हैं। उनको २०० रुपया महीना मिलता है। वह कहते थे कि हमको ६० रुपये से कम में एक कमरा नहीं मिलता,

[श्री च० कृ० नायर]

हम किस तरह से अपना गुजारा कर सकते हैं। मैं इस तरह की चीजों पर गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपनी हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी को और तेज करे। गवर्नमेंट हजारों एकड़ जमीन एक्वायर कर रही है। यह बात सही है कि इसमें बहुत पैसे की जरूरत होगी। यह करोड़ों अरबों का सवाल है। कहा जाता है कि दिल्ली के स्लम एरियाज में ५० हजार लोग रहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम चार लाख आदमी इस वक्त स्लम्स में रह रहे हैं। उनके लिए अच्छे मकान मुहैया करना कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए इस काम के लिए को–आपरेटिव सोसाइटीज को एनकरेज करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट इतनी बहुत सारी जमीन एक्वायर कर रही है लेकिन अभी तक उसने किसी को–आपरेटिव सोसाइटी को न तो जमीन ही दी है और न रुपया ही दिया है। गवर्नमेंट को इस तरफ भी सोचना चाहिए। इससे गवर्नमट का खर्चा भी बच जायेगा और मकान भी बन जायेंगे। हम देखते हैं कि कुछ हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज बन रही हैं और कुछ को–आपरेटिव सोसाइटीज भी बनी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके मेम्बरशिप (सदस्यता) पर कंट्रोल होना चाहिए। इनके केवल वही लोग मेम्बर बन सकें जिनके पास रहने के लिए अपना कोई मकान न हो। मैं जानता हूं कि सरमायेदार इन को–आपरेटिव सोसाइटीज को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं और को–आपरेटिव सोसाइटी के नाम से जमीन लेकर फिर वही सरमायेदार हड़प कर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि को–आपरेटिव और दूसरी सोसाइटीज पर भी गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए कि इनका मेम्बर वही बन सके जिसके पास दिल्ली में रहने के लिए मकान न हो। इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दूंगा कि को–आपरेटिव और हाउसिंग सोसाइटीज को एनकरेज किया जाये और जल्दी से जल्दी उनके प्लान और ले आउट्स को पास किया जाये ताकि अनआथोराइज्ड मकान बनना बन्द हो जो कि गवर्नमेंट के लिए बड़े शर्म की चीज है। हम देखते हैं कि हमारी आंखों के सामने गवर्नमेंट के हुक्म के खिलाफ मकान खड़े हो रहे हैं। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इनको हम किस तरह से रोके इस पर हमें सोचना चाहिए।

स्लम एरियाज को इस कानून से एग्जेन्ट किया हुआ है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। दिल्ली में स्लम्स का बहुत बड़ा एरिया है। नई आबादी को छोड़कर बाकी आबादी के दो तिहाई हिस्से में स्लम हैं। इनमें बड़े बड़े मकानात भी हैं जिनमें बड़े–बड़े मकान मालिक भी रहते हैं। इनमें बहुत से गरीब किरायेदार भी रहते हैं। अगर उनके ऊपर यह कानून लागू न हो तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी न किसी तरह से स्लम्स में रहने वाले गरीब किरायेदारों को भी इस रेंट कंट्रोल बिल से फायदा उठाने का मौका दिया जाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो आदमी बाकायदा रेंट अदा करता रहा हो और अगर उस पर पहले की कोई डिग्री भी हो तो उसकी वजह से उसको बेदखल न किया जाये। इन लोगों को बचाने के लिए उन पर यह नया कानून लागू होना चाहिए।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह कानून जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं यह दिल्ली के तकरीबन २० लाख लोगों पर लागू होता है। ये लोग मुख्तलिफ तबकों के हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है और कोई औसत दरजे का है। यहां पर दो मसले ऐसे हैं जिनको हमें इस कानून की रू से देखना था। एक बात तो यह है जिसका जिक्र और भी बहुत से मेम्बर साहिबान ने किया है कि नई दिल्ली में कुछ अर्से

में इस कदर ज्यादा किराये बढ़ हैं कि जिन लोगों ने मकान बनाये हैं उन्होंने दो-दो तीन-तीन साल में अपनी पूरी रकम वसूल कर ली है। तो एक तो यह प्वाइंट था कि नई दिल्ली में बहुत ज्यादा किराये बढ़ हुए हैं। दूसरा प्राबलम यह था कि १९३९ से नई दिल्ली में जो किराये चले आये हैं, उनमें बहुत थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और वह भी बेसिक रेन्ट और ओरिजिनल रेन्ट के बारे में। इस वजह से लैंड ओनर्ज़ और मालिकान-मकान अपने मकानात को अच्छी तरह से रिपेयर नहीं कर सकते और उनके साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। बेहतर होता अगर इस बिल के दो टुकड़े कर दिये जाते—एक ओल्ड दिल्ली के लिये और दूसरी नई दिल्ली के लिये, ताकि हम कुछ इंसाफ कर सकते। मुसीबत यह नज़र आती है कि जो १२०० रुपये से ज्यादा लेने वाले हैं, उनकी परसेन्टेज हमने कुछ बढ़ाई है—दस परसेन्ट या कुछ और बढ़ाई है, लेकिन जो ६०० रुपये से कम लेते हैं, उनकी परसेन्टेज में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जिनके पास है, उनको और ज्यादा दिया जायेगा और जिनके पास नहीं है, उन को पूछा नहीं जायेगा। पहले भी बिल में लिखा था और सिलेक्ट कमेटी की भी राय है कि स्मालर किरायेदारों के लिये यह बिल बनाया जा रहा है। यह एक बड़ी खुशकुन बात थी कि हमारे लेजिस्लेटर्ज़ और हमारी गवर्नमेंट को ग़रीबों का ख्याल हो। लेकिन जब मैं इस बिल को देखता हूं कि किन को रियायत दी गई है, तो मैं समझता हूं कि रियायत मुनासिब तौर पर नहीं दी गई है। यह जो तफ़रीक की गई है कि जो छोटे मकान में रहता है, वह ग़रीब है और जो बड़े मकान में रहता है, वह ज़रूर अमीर है, यह दुरुस्त नहीं है, कुजा यह दुरुस्त होता कि सारे टेनांट्स ग़रीब हैं और सारे के सारे मालिकान अमीर हैं। इनकी क्लास और कैटेगरीज़ कहां बनी हुई हैं ? मैं कितने ही मालिकान को जानता हूं कि जो किरायेदारों के मुकाबले में निहायत ग़रीब हैं। अगर उनकी क्लास अलग होती, तो कुछ फ़ायदा पहुंचता, वर्ना बात ऐसी है कि कुनबा डूबा क्यों, हिसाब ज्यों का त्यों। एक तरफ़ मालिक मकान इसलिये मरा जाता है कि उसको पूरा किराया नहीं मिलता है और उसके पास अपने मकान वगैरह की मरम्मत के लिये पैसा नहीं होता और दूसरी तरफ़ उसके साथ आप इसलिये इंसाफ़ नहीं कर रहे हैं कि वह मालिक-मकान है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बिल में आरबिटरेरी प्राविज़न्ज़ हैं और यह एक अनजस्ट और आरबिटरेरी ला है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस बिना पर इस बिल की क्लासिफ़िकेशन की गई है। वे क्लासिफ़िकेशन्ज़ ये हैं—जिसने २ जून, १९४४ से पहले किराया दिया, जिसन २ जून, १९४४ के बाद किराया दिया, जिसने १९५१-५५ में मकान बनाया, १९४४ से १९५१ तक कौन मालिक है और कौन किरायेदार है और १९५५ के बाद कौन मालिक और कौन किरायेदार है, वगैरह, वगैरह। मैं पूछना चाहता हूं कि यह वक्त की तमीज़ क्या जायज़ चीज़ है, जिस पर आप सारा कानून बना रहे हैं।

जहां तक रेन्ट का ताल्लुक है, इस में तीन रेन्ट्स का जिक्र किया गया है—ओरिजिनल रेन्ट, बेसिक रेन्ट और स्टैंडर्ड रेन्ट। किस बेसिस पर ये रेन्ट मुकर्रर किये गये हैं। इस बिल का सारा बैकग्राउंड अनजस्ट और आरबिटरेरी है, किसी मतलब का नहीं है। मुनासिब तो वह तरीका था, जो कि मैंने इस बिल के सिलेक्ट कमेटी को जाते वक्त तजवीज़ किया था और जिसको आज श्री वी० पी० नायर ने एक क्राइटेरियन के तौर पर रखा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, यह सारे देश का मामला है। आज गवर्नमेंट की इकानोमिक पालिसीज़ की वजह से सारे देश में लोग गांवों से शहरों में आ रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ रही है। बहुत से इलाकों और प्राविंसेज़ में इस तरह के कानून बने हुये हैं। हम को सारे हिन्दुस्तान के लिये एक पालिसी मुकर्रर करनी चाहिये, जो कि रेन्ट पालिसी कही जा सके। चूंकि मकानात थोड़े हैं, इसलिये मैं रेन्ट कन्ट्रोल के हक में हूं। अगर मकानात काफी होते, तो मैं चाहता कि चूंकि हमने अपने कांस्टीच्यूशन में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दफ़ा १९ रखी है, जिसके मुताबिक कोई आदमी प्राइवेट प्रापर्टी रख सकता है, उसको यूज़ और डिस्पोज़ आफ़ कर सकता है, इसलिये रेन्ट कंट्रोल न किया जाये। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोगों को आराम से मकान नहीं मिल सकते हैं, गरीब आदमियों को मकान नहीं मिल सकते हैं, इसलिये रेन्ट कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर सारे हिन्दुस्तान के लिये एक बेसिक और आलमगीर उसूल रखा जाता, तो ठीक था और अगर हर एक हिस्से के लिये अलग अलग प्राविज़न होंगे, तो यह मुनासिब नहीं होगा। अगर यह भी कहा जाय कि जहां बीस लाख से ज्यादा आबादी है, वहां के लिये एक खास उसूल रखा जाय, तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन यहां पुअर टेनांट्स को अलग मान कर उनके लिये प्राविज़न रखा गया है, लेकिन पुअर लैंडलार्ड्ज़ के लिये कुछ नहीं किया गया है।

दो तीन बरस पहले मैंने इस हाउस में हाउसिंग पालिसी के बारे में कुछ अर्ज़ किया, तो मेरे दोस्त श्री अशोक मेहता, जिनकी मैं बड़ी इज्ज़त करता हूं, मुझ से बड़े नाराज़ हुये और उन्होंने कहा कि इस वक्त फ़ाइव यीअर प्लान्ज़ चल रहे हैं, इस वक्त हाउसिंग का ज़िक्र करना नादानी की बात है। मैंने उस वक्त यह तसलीम किया था क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस वक्त तक हमारे खाने पीने का सिलसिला पूरा नहीं होता है, उस वक्त तक अच्छे हाउसिंग का ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि आज देश में शायद ही मुश्किल से चार पांच परसेन्ट ऐसे लोग होंगे, जो अच्छे मकानों में रहते हों, वर्ना ग़रीब इलाकों में घास-फूस के मकान १०० रुपये में बनते हैं। वहां कच्चे मकान सौ सौ बरस तक चलते हैं और उन्हीं में लोग गुज़ारा करते हैं। इसके बावजूद आज शहरों में यह डिमान्ड है कि मोस्ट डिसेन्ट और पक्के मकान हमको चाहियें। अगर गवर्नमेंट के पास रुपया होता तो शायद गवर्नमेंट दरेग न करती कि हर जगह अच्छे मकान बन जायें। परसों या उससे एक दिन पहले किसी साहब ने यहां हाउस में कहा था कि दस हजार करोड़ रुपया सिर्फ़ बम्बई के हाउसिंग के लिये गवर्नमेंट को चाहिये। हमको मालूम है कि बिड़ला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कम से कम ८५ करोड़ रुपया दिल्ली के लिये उस वक्त चाहियें थे, जब कि वह रिपोर्ट आई थी। आज तो दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई है। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट को किस कद्र रुपया खर्च करना पड़े, अगर वह सारे दिल्ली के लिये हाउसिंग का प्रापर इन्तजाम करे। मैं तो इस बात को प्रैक्टिकली पासिबल नहीं समझता कि गवर्नमेंट सारी चीज़ों का इन्तज़ाम एकदम शुरू कर दे। मैं गवर्नमेंट को बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि गवर्नमेंट के हैंड्स टू फुल हैं। इसलिये गवर्नमेंट से यह उम्मीद करना कि वह बड़ी भारी रकम खर्च करके दिल्ली की समस्या हल करे अव्स है, नामुनासिब है।

गवर्नमेंट की अपनी पालिसी दिल्ली की खराब हालत के लिये ज़िम्मेदार है। जिस वक्त यहां बहुत से रेफ़यूजी आये, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नाजायज़ तौर पर कब्ज़े किये, तब उन्होंने अपने मकान बना लिये। गवर्नमेंट ने क्या किया ? इन लोगों के रीहैबिलिटेशन के लिये गवर्नमेंट न जो मकान बनाये थे, उन पर बहुत थोड़ी रकम लगी थी और सिर्फ़ शरणार्थियों की वजह से उनकी कीमत बढ़ी थी, उन मकानों को गवर्नमेंट ने नीलाम किया और उनकी मार्केट वैल्यू वसूल की, हालांकि कमेटी की यह सिफ़ारिश थी कि उनको मकानात नो प्राफ़िट नो लास बेसिस पर दिये जायें। हम यह चाहते हैं कि देश में हर एक आदमी का अपना मकान हो, जिस में वह रहे, उस की अपनी दुकान हो, जिसमें वह कारोबार करे। हम नहीं चाहते कि किराये का मामला इस कद्र पेचीदगी अख्तियार करे। लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने एक केस में भी नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर किसी शरणार्थी के मकान को रेगुलराइज़ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की यह क्या पालिसी है। क्या गवर्नमेंट यह नहीं चाहती कि लोग अपने मकान में रहें ? जो मकान १२००,

१३०० रुपये में बने थे, गवर्नमेंट ने उनको नीलाम करके लोगों से ५,०००, ७,००० रुपये वसूल किये। वे छोटे छोटे मकान, जहां रात के वक्त कोई आदमी नहीं जाता था, बीस बीस हज़ार में चढ़ गये। अब मेरे दोस्त कहते हैं कि उनका कंट्रोल कर दो। जिन ग़रीबों को आधी कीमत क्लेम्ज़ की मिली, जिन्होंने ये मकान अपनी औरतों के ज़ेवर वग़ैरह बेच कर खरीदे और वह भी मार्केट वैल्यू पर, आज आप उनको कहते हैं कि अपने मकानों का पुरा किराया भी वसूल न करो। क्या यह दुरुस्त है ? क्या यह जायज़ है ? क्या वे ग़रीब आदमी नहीं हैं ? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि किराये का मसला बहुत पेचीदा बन गया है।

जहां तक गवर्नमेंट के अपने मकानात के किराये का ताल्लुक है, उसके बारे में जो कुछ कहा गया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि गवर्नमेंट किस तरह अपने मकानात का किराया वसूल करती है और किस तरह वह एक मकान का किराया १२०० रुपया लेती है, जब कि उसके बराबर के मकान का किराया सिर्फ़ ९७ रुपये है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स से दस परसेंट किराया लिया जाता है, जो कि बड़ी मुनासिब चीज़ है, लेकिन ज़रा गवर्नमेंट का अपना कायदा देखिये। मैंने पिछली दफ़ा कोट किया था कि फंडामेंटल रूल ४५ के मातहत गवर्नमेंट ९·७३ किराया वसूल करती है। हमारी गीता में लिखा है :—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।

जो कुछ श्रेष्ठ आदमी करते हैं, लोग उसकी नकल करते हैं, वह प्रमाण के काम आता है। यह गवर्नमेंट जिस तरह खुद किराया वसूल करती है, तो वह किस मुंह से लोगों से कहे कि मुनासिब किराया वसूल करो। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह एक मुनासिब पालिसी कायम करे, जिसको मालिक मकान और किरायेदार फ़ालो करें, लेकिन गवर्नमेंट उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ करती है। गवर्नमेंट यह मैन्टेलिटी पैदा करती है कि ज़मीन की कीमत ज्यादा से ज्यादा हो।

गवर्नमेंट ने चार चार आने और पांच पांच आने गज़ ज़मीन खरीदी और बाद में शरणार्थियों को उसने उसी ज़मीन को पचास पचास रुपये गज़ के हिसाब से बेचा। जब गवर्नमेंट खुद ही इस तरह से फायदा उठाती है तो वह किस तरह से यह मानती है कि लोग फायदा नहीं उठायेंगे या उसके कहने के मुताबिक काम करेंगे।

दिल्ली में मकानों की समस्या को हमें हल करना है और इसके लिये मैं चाहता हूं कि कम से कम १० करोड़ रुपये से यहां एक एसोसियेशन बनाई जाये जो कि लो इनकम ग्रुप के लिये मकान बनाये। गवर्नमेंट का यह भी फर्ज़ है कि वह लोगों को मुफ्त ज़मीन दे और लोगों से कहे कि वे मकान बनायें। इस तरह से मैं समझता हूं हज़ारों की तादाद में यहां मकान बनेंगे और मकानों की जो किल्लत है वह कम हो जायेगी और किराया खुद-ब-खुद कम हो जायेगा।

अब मैं चन्द एक सैक्शंस की तरफ आता हूं। मेरी राय में सिवाय मार्किट वैल्यू के बेसिस के और कोई बेसिस सैक्शन ६ के वास्ते कायम करना मुनासिब नहीं है। उसके अन्दर हम चाहें तो यह कर सकते हैं कि जो लैंड की वैल्यू है उसका छः परसेंट से ज्यादा न रखें और रीज़नेबिल कौस्ट आफ कंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा नौ या दस परसेंट रखें तो इसका नतीजा यह होगा कि जो मार्किट वैल्यू होगी उसका आठ परसेंट से ज्यादा किराया मुकर्रर नहीं हो सकेगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दफ़ा ६ को मैं बिल्कुल भी पसन्द नहीं करता हूं। इसकी डिटेल्ज़ में मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसमें वक्त बहुत लग जायेगा और मैं और बातों की तरफ़ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

मैं समझता हूं कि किसी को भी रूल आफ दी ला से ऊपर नहीं होना चाहिये जो चीज़ ए के वास्ते दुरुस्त है वह ी के वास्ते भी दुरुस्त होनी चाहिये। इस बिना पर मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट को भी जितने भी उसके प्रेमिज़िज़ हैं उनको इसमें शामिल कर देना चाहिये।

अब मैं सब-लैटिंग के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहूंगा। जब तक यहां पर किराये इतने ज्यादा रहेंगे जब तक यहां पर मकानों की शार्टेज रहेगी, सब-लैटिंग जारी रहने वाली है, सब-लैटिंग लाज़िमी तौर पर होगा और उसके लिये चाहे आप १,००० रूपया जुर्माना मुकर्रर कर दें या इसको पीनल करार दे दें इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सन् १९४७ का जो बिल था उसके वास्ते जो सिलैक्ट कमेटी बनी थी उसका भी मैं मैम्बर था और उस वक्त मैंने तजवीज़ की थी कि आप जो सब-लैटिंग की इजाज़त दें तो उसमें टैनेंट को और मालिक मकान दोनों को शामिल कर दें, ोनों को हिस्सेदार बना दें। इसका नतीजा यह होगा कि दोनों ही खुश रहेंगे और इसमें दोनों को किसी हद तक सैटिसफैकशन होगा। जब दूसरा एक्ट आया था सन् १९५२ में, उसके लिये जो सिलैक्ट कमेटी बनी थी उसका मैं चेयरमैन था। वहां पर हमने पिछले सब मामलों पर विचार किया और सब-टैनेंट्स रखना चूंकि बुरी चीज़ समझी गई इसलिये उसको जुर्म करार दिया गया। अब जो कानून बनाने हम जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि जो रिटन कंसेंट के बगैर सब-टैनेंट रखे गये थे १९५२ से पहले उनको रेग्युलाराइज़ कर दिया जाये और आइंदा के लिये हम कह रहेहैं कि १९५२ से १९५८ तक जो सब-टैनेंट्स हैं जोकि बगैर कंसेंट के रखे गये हैं उनको पीनल आफेंस करार दिया जायेगा और साथ ही इसको हम ग्राऊंड आफ एविकशन बनाने जा रहेहैं। आइंदा के लिये हम कह रहेहैं कि रिटन कंसेंट का होना जरूरी है। सब-टैनेंट्स के बारे में जो असली चीज़ है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी तरफ न सिलैक्ट कमेटी का ध्यान गया है और न ही गवर्नमेंट का ध्यान गया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो देखने वाली चीज़ है वह यह है कि क्या मकान के अन्दर ओवर-क्राउडिंग होता है या नहीं क्योंकि ओवर-क्राउडिंग बहुत खराब चीज़ है। साथ ही साथ हमको इस मसले पर सैनिटेशन के प्वांइट आफ व्यू से विचार करना होगा। इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी मकान में सिवाय कंट्रोलर की इजाज़त से सब-टैनेंट्स रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। अगर कंट्रोलर मुनासिब समझें, उसकी इजाज़त दें और अगर न समझें तो न दें। हम आज एक कैदी के लिये भी ९६ फुट जगह देने की बात करते और कहते हैं कि जेलखाने में उसको तनी जगह मिलनी चाहिये जोकि कम से कम है। कैदियों के हिसाब से हमें दूसरे लोगों के लिये भी उतनी ज़मीन रखनी चाहिये और तब जा कर सब-टैनेंसी एलाऊ करनी चाहिये। क तरफ आप यह कहते हैं कि मालिक मकान की मर्ज़ी से उसको रखा जा सकता है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यह जुर्म है, पगड़ी लेना भी जुर्म है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन मालिक मकान राज़ी खुशी इसकी इजाज़त देगा। अगर मकान में गुंजाइश है और नैशनल इंटिरेस्ट डिमांड करते हैं और अगर वह बड़ा मकान है और और लोग उसमें आकर रह सकते हैं तो आप कंट्रोलर को पावर दें कि वह उस मकान में सब-टैनेंट रखने की जाज़त दे। साथ ही साथ आप यह कह दें कि टैनेंट और मालिक मकान को इतना इतना परसेंट मिलेगा। अगर इस तरह से किया जायेगा तभी यह समस्या हल हो सकेगी, वर्ना नहीं। जहां तक रिटन कंसेंट का सवाल है अगर वह नहीं आती हैं तो मामला और भी खराब हो जाता है। स रिटन कंसेंट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखने वाली बात यह है कि क्या उस मकान में ओवर-क्राउडिंग तो नहीं होता और सैनिटेशन के लिहाज़ से इसकी जाज़त दी जा सकती है या नहीं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि खाना मौजूद है और तू भूका है तू खा सकता है और अगर वह खाता है तो यह कहा जाता है कि वह पकड़ा जायेगा तो यह कैसे जायज़ हो सकता है। आप कहते हैं कि रिटन कंसेंट के बगैर अगर वह और पैसा लेगा तो कैद कर दिया जायेगा, इसको मैं नहीं समझा हूं। अगर सब-टैनेंट रखने के लिये मकान में जगह है और ओवर-क्राउडिंग नहीं होता है

और आप मालिक मकान और टैनेंट दोनों को हिस्सेदार बना देते हैं तो इसमें क्या हर्ज की बात है।

अब मैं हालिडे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हाउस की जनरल न्स यही मालूम देती है कि कोई छूट वगैरह न दी जा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने १९५२ के अन्दर कानून बनाया था उस वक्त आपने उसके अन्दर एक क्लाज रखी थी नम्बर ३९ और उसमें यह शर्त रखी थी कि जो मकान १९५१ और १९५५ के बीच बनेंगे उनपर कोई रेंट एक्ट लागू नहीं होगा। आज उसको सात बरस के करीब होने को आये हैं। सिर्फ एक दो बरस रह गये हैं। उस वक्त जो लोगों को एश्योरेंस दी गई थी आज उस पर आप पानी फेर रहे हैं लेकिन उसकी जगह फिर सात साल की छूट देने को तैयार हैं। उन मकानों के बारे में जो आइंदा बनेंगे उनके बारे में छूट देने की बात को मैं समझ सकता हूं बशर्ते कि मुझे यह यकीन हो कि जो हालात हैं और जिस की वजह से हम स बिल को पास करते हैं, वे हालात मौजूद नहीं रहे हैं। वर्ना मैं समझता हूं कि ना-मुम्किन है किसी को इंसेंटिव मिले। जो भी बड़े बड़े मकान बनते हैं वे सैल्फिश इंटिरेस्ट से बनते हैं। लोग स वास्ते मकान नहीं बनाते हैं कि यहां पर मकानों की कमी है या मकानों की समस्या है या लो इनकम ग्रुप के लिये यहां मकान नहीं है या आउट आफ पैट्रयोटिज्म वे मकान बनाते हैं मेरे दोस्तों ने कहा कि छोटे आदमियों के लिये इस तरह से मकान बनने वाले नहीं हैं और मैं भी इसी राय का हूं। हर्गिज भी स तरह से छोटे लोगों के लिये मकान नहीं बनेंगे। उनका जो मकान बनाते हैं सैल्फिश इंटिरेस्ट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पया कमाया जाये और यह तभी पूरा हो सकता है जब वे अमीर आदमियों के लिये मकान बनाते हैं।

आज आप देखते हैं कि नई दिल्ली में बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनी हुई हैं। इनसे कोई फायदा नहीं हुआ है, यह मैं नहीं कहता। इनसे फायदा हुआ है। लेकिन जैसा कि और दोस्तों ने कहा देश के अन्दर ठीक तौर पर मकान नहीं बन सकते हैं जब तक बड़ी भारी स्कीम लो नकम ग्रुप के वास्ते न हो उनके वास्ते मकान न बनें। नई दिल्ली के अन्दर जो मकान आज बने हैं, उनको देखने से तो यही नतीजा निकलता है कि दिल्ली परिस्तान है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज यहां बनी हैं जोकि आसमान से बातें करती हैं। नको देखने से तो लोगों को तथा विदेशियों को यही पता चलेगा कि यहां पर हिन्दुस्तान में कोई खराबी नहीं है। अगर हम किसी को इस तरह की बात बतलाना चाहते हैं तो यह हमारी गलती है। आज यह पहला मौका नहीं है जब मैं इस बात को कह रहा हूं, कई बार मैं से कह चुका हूं। हमा ी पालिसी बड़े बड़े मकान बनाने की हर्गिज नहीं होनी चाहिये। हमें मकान किसी को यह दिखलाने के लिये कि हम तने मालदार हैं नहीं बनाने चाहिये। मकान औसत दर्जे के लोगों के लिये तथा गरीब लोगों के लिये बनने चाहियें। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की कु मजबूरियां हैं और गवर्नमेंट की जो पालिसी है उस पर वह अमल नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट की सारी की सारी पालिसी कैपिटलिस्टिक चली आ रही है, सोशलिस्टिक पैटर्न की इसे कोई पर्वाह नहीं है। आप सोशलिस्टिक मोटिव्स की बात करते हैं, लेकिन कोई सोशलिस्टिक मोटिव्स नहीं हैं। ५,००० का मकान होता है, उसका किराया १०–१२ रुपया होता है, उसमें आप टैनटेंबल रिपेयर्स में रखते हैं। इस तरह से गरीब आदमी को सब्वीज करना सोशलिस्टिक मोटिव नहीं है। हर एक आदमी को पेट भर खाना मिले, रहने को मकान मिले, एजुकेशन मिले, कपड़ा मिले, तथा दूसरी जिन्दगी की जरूरियात मिलें, यह सोशलिस्टिक पैटर्न है। इस बिल के अन्दर कहां आप न चीजों की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज जमीन की कीमत किस कद्र बढ़ गई है, इससे आप वाकिफ ही हैं। पता नहीं यह कीमत कहां जा कर रुकेगी। थोड़े दिनों के बाद यह ५०० रुपये गज भी बिकने लग सकती है। डेढ़ सौ या दो सौ पया गज तो आज इसकी कीमत हो गई है। यहां दिल्ली का मामला इस तरह से तय होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को

अपनी पालीसी तबदील करनी होगी। लेकिन मैं समझता हुं कि गवर्नमेंट इस मामले का हल निकालने के लिये तैयार नहीं है और न ही वह तैयार हो सकती है। सके हैंडस टू फुल हैं और हमें इससे इस तरह की कोई चीज़ एक्सपैक्ट भी नहीं करनी चाहिये। लेकिन इसका हल हो और मैं अशोक महता साहब से सहमत हूं जो हल उन्होंने सुझाया है कि पहले तवज्जह फाइव ईयर प्लान पर ो ी चाहिये हाउसिंग का मामला वेट कर सकता है।

अब मैं दूसरी प्राबिलम्स की तरफ आता हूं। मुझे अफ़सोस है कि जो प्राविजंस सके अन्दर रखी गई हैं उनमें न कोई सिविल डिक्रीस का लिहाज़ रखा गया है, न पुराने राइट्स का लिहाज रखा गया है, पुराने एक्ट का भी लिहाज़ नहीं रखा गया। दफा ३९ को तो हटाने की जरूरत नहीं थी। सैक्शंस ५०, ५२ और ५३ बिल्कुल ेमानी हैं। जब टैनेंटस (टैम्पोरेरी) प्रोटैकशन बिल बना तो वह हमारी सहमति से बना। उस वक्त मूवर आफ दी बिल ने कहा था कि हम एक नया बिल ला रहे हैं और जो टैम्पोरेरी चीज़ है, उसको हटा देंगे। आज हम देखते द कि इस बिल के ाविजन्स को भी इसके अन्दर अनटचेबल करार दे दिया गया है। उन को भी कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को ११ रवरी, १९६० तक बढ़ाया गया है, जो ज़मीनें खाली पड़ी ैं उन के बारे में बाकी उस बिल को भी कह दिया कि अगर कोई डिगरी हासिल कर ले तो उस ो रि-ओपेन (फिर खुलवा) करवा सकता है। मैं हैरान हूं कि किस तरह के बिल स हाउस में हमारे सामने आते हैं। एक शख्स हज़ारों रुपये खर्च कर के डिगरी हासिल करता है, लेकिन एक सेक्शन है कि १९५१ से १९५४ तक जो मकान बने हैं उन के जो मुकदमात हैं वह ऐवेट हो जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि किस कायदे से ऐवेट हो जायेंगे, क्यों ऐवेट होजायें ? एक शख्स ने आप के कानून पर अमल कर के दावा किया, हजारों पये खर्च किये, लेकिन आप कहते हैं कि वह ऐवेट हो जायेंगे। हालांकि जो ग्राउं स दाव की हैं वह बिल्कुल कामन हैं इस ऐक्ट के साथ, अगर वह कामन हैं तो आप को ऐबेट करने का क्या अख्त्यार है ?

सी तरह आपने लिखा कि जो डिगरियां हैं, उनमें से बहुत सारी रिओपन हो जायेंगी। यह बिल्कुल एक **अनहर्ड आफ थिंग** है। कभी ऐसा नहीं सूना गया पुराने ज़माने में। मैं चाहता हूं कि एक फैसला अगर कोर्ट कर दे तो उसका आसानी से रिओपन न किया जा सके। डिगरी को रिओपन करना ऐसी चीज है जिस का कि हमें डर था कि डिमाक्रेसी में एक वक्त आयेगा जब किसी किसी मकान मालिक की परवाह नहीं की जायेगी। चूं कि टेनेन्ट्स ज्यादा हाउल करते हैं इसलिये इन्साफ को बालाये ताक रख कर ऐसा किया जाता है कि जिस में पापुलेस में लोग समझें कि गवर्नमेंट हमें मदद कर रही है। गवर्नमेंट उनकी मदद वैसे तो कर नहीं सकती, मकानात बना नहीं सकती, इसलिये छोटे आदमियों को खुश करने के लिये, मिडल क्लास के जो आदमी हैं उनके लिये थोड़ा सा टुकड़ा फेंक दिया ताकि वह लोग खुश हो जायें। लेकिन मिडल क्लास तो रोता रह गया। हिन्दुस्तान की समस्या इस तरह से हल नहीं हो सकती, यह वजह उसकी साफ है।

इसके अन्दर मुलाहजा फरमाइये, एविक्शन का कानून है। उन्होंने क्या किया। जहां किरायेदारों के बारे में लिखा है उस की बात मैं अर्ज़ करता हूं। वहां पर यह लिखा है कि अगर किसी ने मकान बना लिया, अगर किसी का वेकेन्ट पजेशन हो गया और किसी का मकान ऐलाट हो गया, तो उस शख्स को निकाल दिया जायेगा। मैं पूछता हूं कि अगर किसी शख्स को मकान ऐलाट हो गया तो क्या वेकेंट पजेशन दिया गया ? हजरों रिफ्यूजीज को मकान ऐलाट ो गये, मकान खरीद लिये गय, लेकिन वैकेंट पजेशन आज तक नहीं मिला। आप के अल्फाज़ देखकर वह विक्ट कर दिये जाय । उनके मकानों को कोई इन्तज़ाम नहीं है। इसमें लिखा है "**हो हेज**

**बीन ऐलाटेड ए रेजिडेंस**" । **ए रेजिडेंस** के क्या माने ? ऊपर लिखा है "**सूटेबल रेजिडेंस**" लेकिन वहां लिखा है "**ए रेजिडेंस**" । आखिर इसके क्या माने हैं ? मैं अर्ज करता हूं कि इसके माने यह हैं कि अगर किसी ने करनाल में एक मकान बनवा लिया और दिल्ली में रहता है क्योंकि उसे दिल्ली में रहना है, तो वह दिल्ली के मकान से एविक्ट हो जायेगा । वह जाकर करनाल में रहे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बिल का यह मंशा है ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस बिल के सही अल्फाज को देखा गया तो जो किरायेदार आज बहुत खुश हैं वह महसूस करेंगे कि जिन मकानों में वह आज रह रहेहैं उसमें रहना उनके लिये मुश्किल हो जा ेगा । एक शख्स क मकान में दिल्ली में रहता है, उसने मकान बनवा लिया अमृतसर में हमेशा के रहने के लिये, तो चूंकि उसने यह मकान बनवा लिया है इसलिये वह दिल्ली से एविक्ट हो जायेगा क्योंकि उसके लि ेएक मकान मौजूद है ।

इसी तरह पर जहां पर जिक्र है फैमिली का वहां पर देखिये । फैमिली के वास्ते मकान लिया जाता है वह भी बहुत डिफेक्टिव है । दफा ५ में जहां पर टेनेंट का जिक्र है वहां पर फैमिली की तारीफ कर दी गई । उसमें लिखा गया कि "**ए मेम्बर आफ दि ज्वायेंट फैमिली**" का भी वही हक है जो कि कर्त्ता का है । लैंड लार्ड का है । इसमें कोई शक नहीं कि लैंडलार्ड कोई अकेला मालिक नहीं है । लेकिन जहां तक सवाल फैमिली का होता है उसमें जहां तक किरायेदार का सवाल है उसको एक्सप्लेनेशन में साफ कर दिया गया है, "**ए मेम्बर आफ दी ज्वायेंट फमिली**" उसमें शामिल है, बाप शामिल है ेटा शामिल है, बहन शामिल है, सारे रिश्तेदार शामिल हैं, लेकिन जहां तक लैंडलार्ड का जिक्र आया है वहां लिख दिया "**हिमसेंल्फ**" और "**दोज डिपेन्डेंट आन हिम**" । मुझे अर्ज करना है कि अगर किसी के १८ बरस का लड़का है तो कानून १८ बरस के बाद लड़के की जिम्मेदारी बाप पर नहीं होती । लेकिन डिपेन्डेंट के माने तो यह हैं कि लड़का बहुत बड़ा न हो और कमाता न हो । क्यों साहब, एक लड़का डाक्टर बन आया है, उसको क्लिनिक खोलने की जरूरत होती है ो क्या उसके वास्ते मकान नहीं मिलेगा ? अपने कांस्टिट्यूशन में हमने लिखा है कि प्रापर्टी यूजर की होती । लेकिन हम इस तरह से यूजर का भी वह हक वापस लेते हैं । इसलि े"**एसूटेबिल रेजिडेंस**" न लिख कर "**ए रीजनेबली सूटेबल रेजिडेंस** लिखो । पहले जो "**सूटेबल रेजिडेंस**" था उसे काफी नहीं समझा गया । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें इतनी गलतियां मौजूद हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है । आप यह सब इसलिये करते जा रहे हैं कि आप की डिजायर है कि लोग खुश हो जायें । शायद वोट का भी क्वेश्चन पैदा हो जाये ।

पहले हमने क्या किया कि रेंट ऐक्ट में लिखा कि अगर कोई नुइसेंस क्रिएट करेगा, इम्मारल ट्रैफिक करेगा, तो इसके बारे में हमने नया कानून बनाया, नशाबन्दी के लिये कानून बनाया । अगर कोई शख्स इस तरह से विहेव करता है तो उसके लि े कानून बनाया गया । अब मान लीजिये कि एक छोटा सा मकान है, उसमें आ े हिस्से में मालिक रहता है और आ े हिस्से को उसने किरायेदार को उठा दिया, इस वजह से कि उस का ुजारा नहीं चलता । अब अगर कोई ेनेंट एक फाहिशा औरत को लेकर आये और घर भर की ज़िन्दगी तवाह हो जा े तो क्या यह चीज़ जस्ट होगी ? जो इसके अन्दर हमने प्राविज़न रक्खा है नुइसस के बारे में . . .

**चौ० ब्रह्म प्रकाश** : और अगर मालिक ले आये ?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अगर मालिक लाये तो उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है । लेकिन अगर उसके अन्दर दोनो रहें तो दोनों का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता । यहां पर मालिक मकान और किरायेदार का सवाल नहीं है, यह तो एक जनरल चीज़ है । लेकिन आपने किरायेदारों को खुश करने के वास्ते आपने इसमें इस चीज़ को उड़ा दिया । हमारे ब्रह्म प्रकाश साहब कहते हैं कि बहुत सुन्दर कानून बना है, हमा ी श्रीमती सुभद्रा जोशी कहती हैं कि पहले ो इतना अच्छा नहीं था लेकिन

[ पं० ठाकुर दास भार्गव ]

अब यह बहुत खूबसूरत बन गया है। मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत चीज है। स कानून में आपने चन्द आदमियों को खुश करने के लिये दूसरे लोगों के साथ इंसाफी की है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह का यह बिल बनना चाहिये था सा नहीं बनाया गया है। एक दूसरे के नुइसेंस के खिलाफ जरूर समें प्राविजन होना चाहि था। होटल्स के नुइसेंस के खिलाफ तो इसमें रक्खा गया है, लेकिन हाउसेज के वास्ते इस क्लाज को हटा दिया गया है। मे ी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि क्यो इसको इसमें से हटा दिया गया। अगर एक के लि यह चीज खराब है तो दूसरे के लिये भी खराब है। पहले मालिक मकान और किरायेदारों के जो ताल्लुकात थे वह निहायत अच्छे थे। जनाब वाला को मालूम है कि एक सेक्शन ऐविडेंस ऐक्ट में है जिससे मालूम होता है कि दोनों एक दूसरे से लगाव रखते होंगे। आज बिल्कुल दूसरी चीज़ की जा रही है। मैं समझता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब को और डिप्टी होम मिनिस्टर साहब को भी मालूम होगा कि कितने ही ऐसे किरायेदार हैं जो मालिक से े ५०, ५० रुपये पर मकान लिये हैं, लेकिन डेढ़ डेढ़ सौ रु० के सब-टेनेंट्स रक्खे हुये हैं। वह सबलेटिंग किये हुये हैं। कितने ही ऐसे आदमियों को मैं जानता हूं जो खुद े ५०, ५० रु० माहवार के मकान में रहते हैं लेकिन पटेल नगर में १२, १८ सौ रुपये के ऊपर अपने मकान उठाये हुये हैं। इसलिये यह कहना कि सारे किरायेदार खराब हैं या सारे लैंडलार्ड खराब हैं या सारे किरायेदार गरीब या सारे मालिक मकान गरीब हैं, यह एक गलत चीज़ है। या तो आप इंडिविजुअल केसेज के अन्दर जाइये वरना यह नामुमकिन है कि आप इस तरह की बेइंसाफियां को रोक सकें। सके अन्दर इतनी सख्त बेइंसाफियां हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह कानून कैसे बनाया गया है। अगर आप किसी युनिफार्म बेसिस को रखना चाहते हैं तो कोई शिकायत नहीं करेगा जब तक आप इस तरह की चीज़ें करें, जब तक आप इस तरह की इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें करते रहें यह का ून किसी को तसल्ली नहीं दे सकेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो पब्लिक माइन्ड पर इसका बहुत खराब असर होगा। और लोग यह समझेंगे कि हमारी गवर्नमेंट के पास इसका कोई हल नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट के पास इस तरह का हल नहीं है जिस तरह का कि हम चाहते हैं, आज हमारी गवर्ननेंट ने जो बड़ी चीज़ें हल करने का इरादा किया है उसे देखते हुये मैं यह तजवीज़ तो नहीं दे सकता कि सारे देश में वह करोड़ों अरबों रुपया खर्च करदे। गो मैं चाहता हूं कि लोग करोड़ों घरों में आराम से रहें। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि स तरफ ध्यान दिया जाये। आज दिल्ली के चारों तरफ रेल बनाने की तजवीज़ हो रही है, ऐसे लोगों के वास्ते जो गरीब हैं, जिनको आप दरअसल फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप बड़े बड़े प्लाट बना कर ज़मीन साफ करवा कर दो े हज़ार रुपये में पक्के मकान बनवा ये या कच्चे ही बनवा दें तो उससे काफी मदद मिल सकती है। अगर आप कच्चे बनवाना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि एक हजार रुपये में एक मकान बन सकता है और देश में करोड़ों आदमी कच्चे-पक्के मकानों में रहते हैं, कोई वजह नहीं है कि पक्के मकान बना कर लोगों को दिये जायें। अगर इस तरह से किया जाये तो वह मकान १० बरस तक कहीं नहीं जाते।

**श्री नवल प्रभाकर :** हमारे टाउन प्लैनिंग वाले यह बात नहीं मानते।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** टाउन प्लैनिंग वाले किस ने बना हैं। टाउन प्लैनिंग वाले हमारे मातहत हैं या हम उनके मातहत हैं? मुझे टाउन प्लैनिंग का तो पता नहीं लेकिन आर्किटेक्टस का तजुर्बा है।

**एक माननीय सदस्य।** हमने एक्सपर्ट बिठलाये हैं।

**दूसरे माननीय सदस्य :** जो खेती करते हैं, वह कहां जाय

**ंडित ाकुर दास भार्गव :** माफ कीजियेगा, मुझे यह चीज अपील नहीं करती, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि इसका कोई जवाब दूं। लेकिन यह जरूर है कि हमारे टाउन प्लैनिंग वाले हमारे होम मिनिस्टर साहब की मुट्ठी में जेब में हैं। वह जानते हैं कि करोड़ों आदमी आज उनकी तरफ देखते हैं, वह सब को मकानों की पूरी सहूलियत नहीं दे सकते क्योंकि फाइव अर प्लैन पर अरबों पया खर्च लगेगा, खाने पर इतना रुपया लगेगा, वह कैसे पक्के मकानों का इन्तजाम कर सकते हैं? सलि जो बन सके उसी पर हमें खुश करना चाहि। लेकिन अगर लोग यहां दिल्ली में इतने बड़े बड़े महल बनते हु देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मुझे अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े महल बनते हैं और लोगों का यह हाल है। इस तरह के महल यहां नहीं बनने चाहियें नहीं लोग समझेंगे कि देश का रुपया सिर्फ कैपिटलिस्ट्स के लिये है, और लोगों के वास्ते नहीं है।

जनाब ने मुझे आधा घंटे देने के लिये कहा था, इसलिये अब मैं खत्म करूंगा वरना मुझे कहने को तो बहुत था।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** संयुक्त समिति के माननीय सदस्यों ने बड़ी मेहनत से इस विधेयक को यह वर्तमान रूप दिया है, और इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। इसके आलोचक भी यह स्वीकार करते हैं कि संयुक्त समिति को सौंपने से पहले इस विधेयक का रूप इतना अच्छा नहीं था। इसके आलोचकों की संख्या भी उंगलियों पर गिनने लायक ही है। संयुक्त समिति के सभी सदस्यों ने इसे अच्छा रूप देने में रचनात्मक सहयोग दिया है। इसलिये इस विधेयक की सभी अच्छी बातों का श्रेय संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को, और इसकी खामियों का श्रेय व्यक्तिगत रूप से मुझको ही दिया जाना चाहिये।

मैं इस बाद-विवाद में कही गई कुछ खास बातों को ही लूंगा। दिल्ली दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। पिछले बीस साल में इसकी आबादी ४ लाख से बढ़कर २४ लाख हो गई है। इनमें से २० लाख नगर में रहते हैं, और बाकी ४ लाख के रहने की कोई भी ठीक व्यवस्था नहीं है। करीब ५०,००० ऐसे लोग हैं जो किसी तरह झोंपड़ियों में अपने दिन काट रहे हैं। इसके अलावा बाहर से लोगों के आने का तांता बंधा ही रहता है। रोजाना करीब एक हजार लोग बाहर से आते हैं और दिल्ली में स्थायी तौर से बसते हैं। माननीय सदस्य यह सब जानते हैं। यह समस्या बड़ी पेचीदा बन गई है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मकान मालिकों और किरायेदारों के सम्बन्धों को विनियमित करने सम्बन्धी सभी प्रश्न बड़े पेचीदा और उलझन भरे हैं। उनके कई पहलू हैं। फिर भी मुझे बड़ी खुशी है कि इस विधेयक के बारे में इतने अधिक माननीय सदस्य एक ही ढंग से सोचते हैं। हम पिछले छः सात साल से इसके बारे में एक स्थायी विधि तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, फिर भी ऐसा कोई विधेयक तैयार न हो सका था। इसलिये अब यह एक बड़े संतोष की बात है कि एक ऐसा विधेयक तैयार किया जा चुका है, जिसे दिल्ली के ही प्रतिनिधियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। यह इसलिये कि वे प्रतिनिधि वास्तव में जानते हैं कि जनता की तकलीफें असल में क्या हैं। यदि इस विधेयक को तैयार करने वालों की आशाओं के मुताबिक इस विधेयक का प्रभाव नहीं पड़ा; तो जनता को तकलीफ होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[ पंडित गो० ब० पन्त ]

हम इस प्रश्न के आर्थिक ही नहीं, सामाजिक पहलू को भी ध्यान में रखकर चल रहे हैं। कोई भी नियंत्रण अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव में ही चलता है। जनता की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही नियंत्रण किया जाता है। एक तरफ तो यह ख्याल रखना पड़ता है कि जनता पर असहनीय बोझ न पड़ सके, और दूसरी ओर यह कि जनता की कठिनाइयां दूर की जा सकें। हमने इसी उद्देश्य को सामने रखा है।

स्वाभाविक है कि ऐसा विधेयक किराया निर्धारण, बेदखली के कारणों, मकानों की मरम्मत की गुंजाइशों और वर्तमान स्थान को और अधिक बढ़ाने की समस्याओं से सम्बन्धित रहता है। संयुक्त समिति ने इस विधेयक में जो परिवर्तन किये हैं, उनका ब्यौरा तो आपके सामने रखा ही जा चुका है। हमने मूल विधेयक में सुझाव रखा था कि जिन मौजूदा किरायों को आम तौर पर साढ़े सात प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया जाता है, उन सभी को दस प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया जाये। उसका औचित्य यह है कि जैसा श्री नवल प्रभाकर ने कहा है, इमारती सामान की लागत काफी बढ़ गई है। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा ही है कि जिस कमरे के पहले दो रुपये मिलते थे, आज साठ मिल सकते हैं। इसलिये हमें कम से कम ऐसा कोई काम तो नहीं करना चाहिये जिससे कि हालत और बिगड़ जाये। हमने यही सोचकर वह सुझाव रखा था, लेकिन संयुक्त समिति में इस पर और अधिक विचार करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बहुत से गरीब किरायेदार ढाई प्रतिशत वृद्धि को भी अदा नहीं कर पायेंगे। और इसमें काफी सरूपभेद कर दिया गया। १९४४ से पहले बने मकानों के किराये अपेक्षाकृत कम हैं। फिर भी, संयुक्त समिति ने यही ठीक समझा है कि ६०० रुपये या इससे कम किराया देने वालों का किराया न बढ़ाया जाये। मैं यह नहीं कहता कि इससे सभी किरायेदारों की व्यक्तिगत आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। श्री राधारमण ने हमें बताया है कि कई ऐसी विधवायें और कई ऐसे अनाथ व्यक्ति भी हैं, जो अपने मकानों के किराये पर ही गुजर करते हैं। ऐसे भी चन्द मकान मालिक जरूर होंगे। मैं मानता हूं। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि आम मकान मालिक ऐसे ही हैं। इसीलिये, हम १९४४ से पहले बने मकानों का किराया ज्यों का त्यों रहने देने पर सहमत हो गये हैं। उनमें दस प्रतिशत वृद्धि नहीं होने दी गई।

इसी तरह हमने १९४४ के बाद बनने वाले मकानों के सम्बन्ध में निर्णय किया था कि रहने के काम आने वाले ऐसे जितने भी मकानों का किराया १२०० या उससे कम हो, उसमें कोई वृद्धि न की जाये। इससे मेरा तो ख्याल है कि करीब ८५ प्रतिशत किरायेदारों को मौजूदा किराये से अधिक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। हां, उन्हें बेदखली और मरम्मत आदि के सिलसिले में की गई व्यवस्थाओं से लाभ अवश्य पहुंचेगा। मैं तो समझता हूँ कि अधिकांश लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे।

मेरा ख्याल है कि संयुक्त समिति में इस बात पर सभी सहमत थे कि साढ़े सात प्रतिशत की दर को ज्यों का त्यों रहने दिया जाये। एक यह भी सुझाव था कि उसे घटा कर साढ़े छः प्रतिशत कर दिया जाये। लेकिन इस पर शायद किसी ने अधिक आग्रह नहीं किया था। इस विधेयक में संयुक्त समिति द्वारा जो परिवर्तन किय गये हैं उनसे किरायेदारों को काफी लाभ पहुंचेगा। सभा में किसी ने भी यह नहीं कहा है कि इस विधेयक में जो प्रामाणिक किराया निर्धारित किया गया है वह बहुत अधिक है। इससे यह बात तो सिद्ध है कि इस विधेयक में निर्धारित किराये की दरें अधिक या अनुचित नहीं हैं।

आपने भी जब पिछली बार इस सम्बन्ध में कहा था तो उससे ऐसा लगा था कि जैसे आपका ख्याल यह था कि इससे कुछ अधिक वृद्धि होनी चाहिये और इसको हर मामले पर लागू होना चाहिये। जो भी हो, शुद्ध सिद्धान्त के क्षेत्र में कुछ चीजें मान्य लग सकतीं हैं, लकिन व्यावहारिक जीवन में तो हमें अधिक से अधिक जनता की अधिक से अधिक भलाई, और साथ ही कुछ अन्य लोगों के साथ भी अन्याय न होने देने की बात सामने रखनी ही पड़ती है। इसलिये आपने सभा में जो भी कुछ कहा था वह सिद्धान्त की दृष्टि से कुछ मान्यता तो रखता है, लेकिन इस विधेयक में अब जो व्यवस्था की गई है वह सामाजिक दृष्टि से अधिक उचित और समन्यायपूर्ण है। हां, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को कुछ कठिनाइयां उसमें पड़ सकती हैं। मैंने इस समस्या पर विचार किया है, और सचमुच मुझे बड़ी राहत मिलती यदि कोई ऐसा रास्ता निकल सकता जिससे अनाथ, विधवा और अवयस्क मकान मालिकों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता। लेकिन यह मुमकिन नहीं है। यदि किसी मकान मालिक के मरने के बाद उसका अवयस्क पुत्र या पुत्री मकान का स्वामित्व ग्रहण करे, तो इस आधार पर तो किराये में वृद्धि नहीं की जा सकती कि उसके पिता का देहान्त हो गया है। मुझे ऐसे लोगों से पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनकी क्या मदद कर सकता हूं।

सभा में एक बात यह भी कही गई थी कि सरकारी इमारतों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में क्यों नहीं रखा गया। संविधान में ही सरकारी इमारतों को सभी अन्य इमारतों से अलग रखा गया है। स्थानीय निकाय उन पर स्थानीय कर नहीं लगाते। असल में इस नियंत्रण की जरूरत तो इसीलिये पड़ी है कि निजी मकान मालिक जब भी मकानों की कमी देखें वे मनमाने किराये बढ़ा सकते हैं। उससे मुनाफेखोरी बढ़ सकती है। मैं शब्द को ज्यादा पसंद नहीं करता। हां, उससे कुछ अव्यवस्था और जनता के लिये कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। लेकिन सरकार तो अपनी इमारतों और अपने मकानों पर साढ़े सात प्रतिशत से भी कम ले रही है। क्या आप चाहते हैं कि सरकार भी किराये बढ़ा दे? क्या उससे सरकारी मकानों में रहने वाले को कोई लाभ होगा? सरकार तो यदि उनसे ज्यादा किराया वसूल भी करती, तो उस अतिरिक्त राशि से कम आय वाले लोगों के लिये और ज्यादा मकान बनवा देती। सरकार के पास तो जितना भी धन आता है, वह उसे जनता की भलाई के लिये ही खर्च करती है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई गलती कभी नहीं होती, लेकिन एक बुनियादी तौर पर हमारा सिद्धान्त यही है। सरकार तो यदि अधिक रुपया लेती भी है, तो उनसे जो उसे अदा करने की क्षमता रखते हैं। इसी आधार पर हम जनता पर कर लगाते हैं, और आय बढ़ने के साथ ही क्रमशः करों की दरें भी बढ़ती जाती हैं। यह कर भी इसीलिये लिये जाते हैं, कि गरीब और जरूरत मंद लोगों की कुछ मदद की जा सके।

श्री रघुनन्दन शरण के मामले का खास तौर पर उल्लेख किया गया था। मैंने उस मामले से सम्बन्धित कागजात देख लिये हैं। एक बार उस मकान के किराये के सम्बन्ध में एक सुझाव था, लेकिन बाद में उस मामले की जांच करने के बाद वह सुझाव वापस ले लिया गया था, और अब, जहां तक मैं जानता हूं, यही निर्णय किया गया है कि उस मकान का किराया उसकी निर्माण-लागत के साढ़े सात प्रतिशत की दर पर ही रखा जाये। इस तरह सरकार इस विधेयक की, या इसके संशोधित रूप की, व्यवस्थाओं के अनुसार ही चलने का प्रयास कर रही है।

माननीय सदस्यों को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि सरकारी नौकरों और आम नागरिक में भेद है। आम नागरिक सरकार की आलोचना कर सकते हैं। वे यह प्रश्न उठा

[पंडित गो० ब० पन्त]

सकते हैं कि अमुक मकान को इतने किराये पर क्यों उठाया गया। उस पर सभा में आध घंटे या दो घंटे की चर्चा भी हो सकती है। सरकार की कार्यवाहियों को जनता के सामने रखा जा सकता है। और यदि कभी कोई त्रुटि भी हो गई हो, तो उसे आसानी से दूर भी किया जा सकता है। लेकिन सरकारी नौकरों को तो इस विधेयक, और इसके परिवर्तित रूप में भी दी-गई सुविधाओं से अधिक सुविधायें पहले से मिल रही हैं।

सभा में इसका भी उल्लेख किया गया था कि कुछ मकानों को मनमाना किराया रखने की छूट दी जा रही है। दूसरी ओर यह भी शिकायत की जा रही है कि १६५१ और १६५५ के बीच निर्मित हुए मकानों को जो छूट दी गई है उसे पूरी तौर पर लागू नहीं किया जा रहा है। मौजूदा किराया काफी ज्यादा है, लेकिन हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ वचन दे चुके हैं और कुछ अन्य कारण भी हैं। लेकिन इस विधेयक की अन्य सभी व्यवस्थायें इन मकानों पर लागू की जा रही हैं, जिससे कि कोई भी बेदखली या तंगी न हो सके या मौजूदा किराया न बढ़ाया जा सके।

आगे बनने वाले मकानों के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गई थीं। उसके बारे में इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि भविष्य में बनने वाले मकानों के किराये पर कोई नियंत्रण नहीं किया जायेगा। मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि दिल्ली में हजारों-लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिये मकान नहीं हैं। इस अभाव को दूर करने का एक यही रास्ता है कि मकानों की संख्या बढ़े। इसलिये जो भी कर सकते हैं, उनके लिये मकान-निर्माण करना लाभदायक बनाना जरूरी है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने नये खड़े होने वाले उद्योगों को भी आय-कर, अवक्षयण मूल्य, इत्यादि के बारे में पांच साल के लिये रियायत दी है, जिससे कि वे उद्योग अच्छी तरह जम सकें और उत्पादन में वृद्धि कर सकें। दिल्ली की मुख्य समस्या भी तो यही है कि और मकानों का निर्माण हो। मैं मानता हूं कि कम आय वाले लोगों के लिये भी उपयुक्त मकान होने चाहियें। हम सभी यह करना चाहते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने इस सम्बन्ध में कुछ बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। मकान-निर्माण की सहकारी समितियां बनाना और दिल्ली में मकान-निर्माण में दिलचस्पी रखने वाली सभी संस्थाओं के कार्य में सहयोजना पैदा करना—इन सब पर तो विचार करना ही चाहिये, लेकिन साथ ही नये मकानों के निर्माण म कोई बाधा भी नहीं रहने देनी चाहिये। १६५१ के बाद से अब तक बड़ी-बड़ी इमारतें ही नहीं बनी हैं, करोल बाग क्षेत्र में छोटी-मोटी इमारत भी काफी बनी हैं। इसलिये सम्भावना यही है कि दोनों ही प्रकार की इमारतें बनेंगी।

इस विधि में जो व्यवस्था की गई ह, उसके अलावा, निगम भी तो यह निर्णय कर सकता है कि वह बड़ी-बड़ी इमारतों की अपेक्षा, छोटी-छोटी इमारतों के निर्माण को ही अधिक प्रोत्साहन देगा। इसलिये इन मकानों को किराये की ऐसी छट देना जरूरी है। नहीं तो होगा यह कि दिल्ली में नये मकानों का निर्माण ही रुक जायेगा। और फिर हमें बड़ी-बड़ी नयी इमारतों के किराये के बारे में इतनी फिक्र ही क्यों है, क्योंकि उनका उपयोग तो जो लोग करेंगे वे शायद मकान मालिकों से भी अधिक धनी मानी होंगे। वे यदि कुछ ज्यादा किराया देंगे, तो अपनी इच्छा से ही। इसलिये हमें मकान निर्माण पर रोक नहीं लगानी चाहिये। गरीब जनता के हित में भी यही है कि मकानों पर बोझ कुछ कम पड़े, कम से कम छोटे मकानों को तो धनी-मानी लोग न लें। समस्या यही है कि दिल्ली में मकानों की संख्या बढ़े।

इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में यही सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। बाद में, यदि मकानों की संख्या बढ़ती है, तो इसका महत्व अपने आप खत्म हो जायेगा। श्री नौशीर भरूचा ने एक सुझाव दिया था कि इसके लिये २० से २५ प्रतिशत तक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाये। मुझे अपनी ओर से इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। संयुक्त समिति में यह प्रश्न उठाया गया था। उस समय माननीय सदस्यों ने यही कहा था कि यदि २० प्रतिशत का लक्ष्य रखा जायेगा, तो लोग यही समझेंगे कि २० प्रतिशत ही न्यूनतम सीमा है, अब लोग २० प्रतिशत को ही ठीक समझने लगेंगे। और बात ठीक भी है। हम नहीं चाहते कि कोई यह सोचे कि कुछ अधिक मिलने की सम्भावना भी है। लेकिन यदि किसी को मिल जाता है, तोह में कोई शिकायत भी नहीं रहनी चाहिये।

इसलिये हमें इन चीजों को एक तर्क-संगत दृष्टिकोण से ही देखना चाहिये। हमें सोचना यह चाहिये कि आखिर इसे हल कैसे किया जा सकता है। और, हमें वही करने में अपनी सारी मेहनत लगा देनी चाहिये। माननीय सदस्य जानते हैं कि कम आय के लोगों को ५० प्रतिशत से अधिक अनुसहाय्य दिया जाता है, फिर भी किराये इतने ज्यादा है कि वे आसानी से नहीं दे पाते। सरकारी कर्मचारी जिन मकानों में रहते हैं, उन पर सरकार नाम मात्र का किराया ही ले रही है। इसलिये यह तो ठीक है कि यह समस्या राज्य की सहायता से ही हल की जा सकती है और उसके लिये एक योजनापूर्ण कार्यक्रम होना चाहिये, मैं मानता हूं। लेकिन फिर यह भी है कि हमारी योजना भी ऐसी होनी चाहिये जिससे हमारे प्रयासों में बाधा न पड़े।

मकान मालिकों के अपने उपयोग के लिये निवास की इमारतों को किरायेदारों से ले सकने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया था। इस विधेयक में अब जो व्यवस्था की गई है वह पहले के विधेयक की व्यवस्था से कहीं अधिक सख्त है। अब व्यवस्था यह है कि वह उसी हालत में किरायेदारों से मकान खाली करा सकेगा जब कि उसके परिवार के लोग उस पर ही निर्भर हों। इमारतों की खरीद भी इधर कुछ वर्षों में काफी हुई है। लोग इमारतें खरीद लेते हैं और फिर अपने रहने के लिये उन्हें खाली कराना चाहते हैं। अब व्यवस्था कर दी गई है कि मकान की खरीद के पांच वर्ष बाद तक उसे मकान मालिक के अपने उपयोग के लिये खाली नहीं कराया जा सकेगा। पहले यह भी होता था कि लोग अपने उपयोग के लिये अपनी इमारतों को किरायेदारों से खाली करा लेने के बाद, उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते थे। अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि मकान मालिक किसी अपने मकान को किरायेदारों से खाली कराने के तीन वर्ष बाद तक नहीं बेच सकेगा। किरायेदारों को कुछ आश्वासन भी दिये गये हैं, और इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों को दण्ड भी दिया जायेगा। मेरा ख्याल है कि इससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन सभा में इसके बारे में जो तर्क रखे गये हैं, वह इससे बिलकुल ही उल्टे हैं। कहा गया है कि यदि किसी मकान मालिक का कोई पुत्र वयस्क हो जाये, तो उसके लिये किरायेदारों से मकान खाली कराने की व्यस्वथा होनी चाहिये। यह विधेयक इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है। ऐसा विचार इससे मेल नहीं खाता।

मरम्मत सम्बधी व्यवस्था में भी काफी सुधार किया गया है। अब एक महीने के किराये को मरम्मत के लिये रक्षित कर दिया गया है। यदि मरम्मत के लिये एक महीने का किराया पूरा न पड़े, तो नियंत्रक के आदेश से दो वर्ष तक का किराया उसकी मरम्मत पर लगाया जा सकता है। उसके लिये सिर्फ एक शर्त यह रखी गई है कि मकान मालिक को एक वर्ष में कम से कम छः महीने का किराया मिलना ही चाहिये।

[पंडित गो० ब० पन्त]

श्री नौशीर भरूचा ने सुझाव रखा था कि इस प्रयोजन के लिये नियंत्रक के अधीन एक अभिकरण गठित किया जाना चाहिये। यह ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं। यदि ऐसा अभिकरण बनाया जायेगा, तो नियंत्रक को कुछ कर्मचारी भी रखने पड़ेंगे, और न्यायिक अधिकारी होने के नाते उसके अधीन ऐसा कोई अभिकरण रखना उचित नहीं होगा। वह इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले उन सभी कृत्यों को तो पूरा करेगा ही, जिनकी आवश्यकता पड़ेगी।

सभा में दूसरा प्रश्न उठाया गया था किरायेदारों द्वारा किसी भाग को किराये पर उठाने के सम्बध में। किरायेदारों द्वारा किरायेदार रखने का विरोध मकान मालिक ही नहीं बल्कि किरायोंदारों ने भी किया था। हमने विधेयक में यह व्यवस्था की है कि किरायेदारों द्वारा रखे गये उन सभी किरायेदारों को मुख्य किरायेदार, पूरा किरायेदार मान लिया जायेगा, जो १९५२ के पहले से रहते आ रहे हों। उनके हितों की सुरक्षा की जायेगी। १९५२ के बाद किरायेदारों द्वारा रखे गये उप–किरायेदारों को मुख्य किरायेदारों की मरजी से ही चलना पड़ेगा।

हमने दूसरी व्यवस्था यह की है कि उप-किरायेदारों से मुख्य किरायेदारों द्वारा अदा किये जाने वाले किराये से ज्यादा कुछ नहीं लिया जा सकेगा। १९५२ के अधिनियम में व्यवस्था थी कि मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी किरायेदार किसी अन्य किरायेदार को नहीं रख सकता। इस व्यवस्था को हमने ज्यों का त्यों ले लिया है। हमने उप-किरायेदारों को रहने देना ही ठीक समझा। लेकिन हमने इसमें भी सिद्धांत यह रखा है कि मुख्य किरायेदार को ही किराया-नियंत्रण का लाभ मिलना चाहिये। इसीलिये हमने उप-किरायेदार के किराये की वह व्यवस्था की है।

हमने यह व्यवस्था भी की है कि यदि किसी उप-किरायेदार को रखने के लिये मुख्य किरायेदार या मकान मालिक को कोई पगड़ी दी जाये, या ऐसी ही कोई अनुचित अदायगी की जाये, तो लेने और अदा करने वाले दोनों ही को दण्ड दिया जायेगा। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि कोई मुख्य किरायेदार कोई उप-किरायेदार रखना ही चाहता है, तो रखे, और यदि वह खुद ५०० रुपये किराया अदा करता है, तो उस से १०० रुपये ले सकता है। हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि मुख्य किरायेदार को नुक्सान न पहुंचे। यदि मुख्य किरायेदार चाहे तो मकान के एक भाग को मकान मालिक को लौटा भी सकता है। मकान मालिक उसे अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किराये की दर पर उठा सकता है। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?

किराया-नियंत्रक की नियुक्ति का सवाल भी उठाया गया था। सुझाव था कि उस की नियुक्ति पंजाब उच्च-न्यायालय के परामर्श से की जानी चाहिये। उच्च न्यायालयों के पास तो पहले से ही काफी काम पड़ा हुआ है। इसलिये वह ठीक नहीं होगा। विधेयक में ही यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है कि किराया नियंत्रक वही व्यक्ति हो सकता है जिसे न्यायिक अधिकारी के रूप में पांच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो, या जो सात वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो। और न्यायाधिकरण का सभापति भी कोई ऐसा व्यक्ति ही हो सकेगा, जो जिला न्यायाधीश, या जिसे दस वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। कुछ मामलों की अपील उच्च न्यायालय में भी होगी। फिर यह भी तो है कि सरकार अपनी तरफ से तो कोई गलत काम होने नहीं देगी। आखिर, उच्चत्तम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तो केन्द्र ही करता है। यह तो उससे कहीं

कम महत्वपूर्ण है। इसलिये हमने यही ठीक समझा है कि उच्चन्यायालय को इसके बीच में न डाला जाये। इसलिये इस मामले में माननीय सदस्यों को कोई संदेह नहीं करना चाहिये। यदि कभी किसी ऐसे व्यक्ति को किराया-नियंत्रक नियुक्त किया जायेगा, जिसे कोई भी न्यायिक अनुभव न हो, तो उस दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श भी किया जायेगा।

आशा है मेरे इस उत्तर से सभी माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। मैंने एक मोटे तौर पर सभी बातों का उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि कोई चीज फिर भी रह गई हो, तो मुझे याद दिलादी जाये।

†**श्री राधारमण** (चांदनी चौक): नयी दिल्ली की इमारतों की भूमि के किराये के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया।

†**पंडित गो० ब० पन्त**: सरकारी भूमि, सरकारी मकानों की भांति ही, इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आती।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी**: भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है?

†**पंडित गो० ब० पन्त**: हमें इस प्रश्न पर अलग से विचार करना चाहिये। भूमि का मूल्य सचमुच बहुत चढ़ता जा रहा है, हमें उस सम्बन्ध में कुछ करना ही चाहिये। लेकिन वह और बड़ा प्रश्न है।

मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में विचार करता रहूंगा। मैं अभी नहीं बता सकता कि उसे रोकने के लिये कुछ किया जा सकेगा या नहीं। अभी तक मेरी समझ में उसका कोई हल नहीं आया है।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना): चर्चा के दौरान में, खण्ड ५५ के अन्तर्गत अभिरक्षण देने का प्रश्न उठाया गया था। इस खण्ड के अन्तर्गत, दिल्ली किरायेदार (अस्थायी अभिरक्षण) अधिनियम, १९५६ के क्षेत्राधिकार में आने वाले किरायेदारों को यह अभिरक्षण दिया गया है कि उनको बेदखल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यदि बेदखली का आदेश दिल्ली तथा अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया हो, तो यह अभिरक्षण नहीं रहता। संयुक्त समिति में इस पर चर्चा भी हुई थी। उस समय माननीय मंत्री ने इस से सहानुभूति दिखाई थी।

†**पंडित गो० ब० पन्त**: खाली भू-गृहादि उनको कहा जाता है जो अमलदारों के कब्जे में होते हैं। वे इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। इसीलिये हमने यह व्यवस्था की है कि १९५६ के अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई थी, और जिसके अनुसार उनको बेदखल नहीं किया जा सकता, वही एक वर्ष तक जारी रहेगी।

मेरा ख्याल तो यह है कि इमारत के साथ जुड़ी हुई भूमि भी उसमें आ जाती है। जहां तक अमलदारों का प्रश्न है वह इससे बिलकुल अलग प्रश्न है। अमलदार तो उस को कहा जाता है जो दूसरे की भूमि पर इमारत खड़ी करता है, इसलिये अमलदार खुद किरायेदार होता है, जो उस इमारत में रहता है वह उप-किरायेदार होता है, और भूमि का मालिक एक तीसरा ही व्यक्ति होता है। इसीलिये हमने बेदखली के खिलाफ अभिरक्षण की व्यवस्था तो की है, लेकिन हम इस प्रश्न को हल करने के लिये शायद इसी वर्ष एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

†**श्री पु० र० पटेल**: मैं सिर्फ यही कह रहा था कि यदि एक अधिनियम के अन्तर्गत अभिरक्षण की व्यवस्था है, तो फिर दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत भी होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त :** दो प्रकार के आदेश हैं। एक तो १९५६ के अधिनियम के अन्तर्गत दिये आदेश हैं। इस के सम्बन्ध में तो हम कह चुके हैं कि वे इस वर्तमान विधि के अधीन होंगे और यदि कोई मकान मालिक किराये में वृद्धि करेगा, या ऐसा ही कुछ करेगा, तो उस आदेश को रद्द कर दिया जायेगा। लेकिन, आज से दस या बारह वर्ष पहले दिये गये आदेशों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जा सकता। १९५६ के अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये आदेशों को तो इसके क्षेत्राधिकार में रख दिया गया है, लेकिन दस वर्ष पहले के आदेशों को तो नहीं रखा जा सकता।

†**श्री परूलकर (थाना) :** वे मकानों में रह रहे हैं, उनका किराया अदा कर रहे हैं। उन पर इन आदेशों का प्रभाव नहीं होता।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जिन पर उन आदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे मकानों में बने रहेंगे।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के कुछ भागों में किराये तथा निष्कासन के नियंत्रण तथा सरकार द्वारा खाली मकानों का पट्टा लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**सभापति महोदय :** अब हम खण्डों को लेंगे।

**खंड २—(परिभाषायें)**

†**श्री परूलकर :** मैं अपने संशोधन संख्या २०, २१ और २२ प्रस्तुत करता हूं।

ये संशोधन बहुत साधारण हैं और इन के द्वारा खण्ड में दी गयी परिभाषाओं को सुधारने की बात कही गयी है।

संशोधन संख्या २० द्वारा होटलों, क्लबों तथा ऐसी ही अन्य स्थानों की स्थिति सपष्ट करने की कोशिश की गयी है। यदि ये शब्द उसमें सम्मिलित न किये जायेंगे तो ये स्थान भी अधिनियम की व्याप्ति में आ जायेंगे। आशा है कि सरकार परिभाषा में इन शब्दों को सम्मिलित कर लेगी।

दूसरा संशोधन संख्या २१ इस सम्बन्ध में है कि भूगृहादि की परिभाषा में ऐसी खुली भूमि को भी सम्मिलित कर लिया जाये जो कृषि के काम में इस्तेमाल न होती हो।

तीसरा संशोधन भी भूगृहादि की परिभाषा के सम्बन्ध में है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मकानों से सम्बद्ध अन्य निर्माण को भी इस परिभाषा में सम्मिलित कर लिया जाये। वर्ना मकान मालिक ऐसे निर्माण के लिये अधिक किराया लेंगे।

†**सभापति महोदय :** ये संशोधन सभा के सामने हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। संशोधन संख्या २० द्वारा माननीय सदस्य 'व्यापार' शब्द को भी परिभाषा में सम्मिलित

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहते हैं। पर 'होटल' शब्द की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। अतः 'व्यापार' शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है ।

संशोधन संख्या २१ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बम्बई की प्रणाली का जिक्र किया। पर दिल्ली की प्रणाली की बात कुछ अर्थों में बम्बई से बिल्कुल भिन्न है। अतः अमलदारों के लिये खण्ड ५३ में अलग व्यवस्था है और उनके सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था करने के लिये १ वर्ष का समय लिया गया है।

संशोधन संख्या २२ को मैं बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझता ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके संशोधनों को मतदान के लिये रखा जाये ।

†**श्री परूलकर** : जी हां ।

**सभापति द्वारा संशोधन संख्या २०, २१ और २२ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड ३—(कुछ भूतहादि पर अधिनियम लागू नहीं होगा)**

†**श्री परूलकर** : मैं अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री आसर** (रत्नागिरी) : मैं अपना संशोधन संख्या १२९ प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री आसर** : अब गवर्नमेंट ही एक बड़ी मकान मालिक है और उसने लोगों को रहने के लिये मकान और व्यापार धंधा करने के लिये दुकानें किराये पर दी हुई हैं और जब सरकार भी एक लैंड-लार्ड की हैसियत में है तब सरकारी मकानों और दुकानों को इस कायदे से मुक्त रखना ठीक नहीं। सरकारी दुकानों और मकानों के सम्बन्ध में भी यह नियम अमल में आना चाहिये। मैं चाहता हूं कि चूंकि यह सरकारी मकान और दुकानें हैं सिर्फ़ इस बिना पर मनमाना किराया वसूल न किया जाये ।

इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सब्ज़ीमंडी के इलाक़े में एक दुकान मालिक को एक दुकान का किराया ११ पये मासिक मिलता है लेकिन उसी लोकैलिटी में और उतनी ही दुकान का किराया दिल्ली में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट १२४ रुपये लेता है। इसलिये मेरी गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि सरकारी मकान और दुकानें जिनको कि किराये पर दिया जाता है उनको भी इस क़ायदे के अन्दर लाना चाहिये और उन पर भी यह लागू होना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि मेरे अमेंडमेंट को जिसमें कि मैंने यह सुझाव दिया है, स्वीकार किया जाए ।

†**श्री पलूलकर** : मैंने माननीय मंत्री द्वारा दी गई व्याख्या सुनी है। सरकार चाहती है कि सरकारी भवन इस विधेयक के उपबन्धों से मुक्त रहें। ऐसा क्यों ? जब सरकार मकान मालिकों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री परूलकर]

के लिये यह कानून बना रही है कि वे किरायेदारों से समुचित प्रामाणिक किराया लें तो वह स्वयं इस नियम को क्यों नहीं मानती। क्या सरकार चाहती है कि वह मनमाना किराया वसूल करे और उसपर कोई रुकावट न हो ? अतः मैं चाहता हूं कि सरकारी भवनों पर भी यह विधेयक लागू हो।

**श्री ब्रजराज सिंह** : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और उसका समर्थन करने का एक मुख्य कारण यह है कि सरकार को यदि हम व्यक्तिगत मकान मालिकों से अलग मान लेते हैं तो मकान मालिकों के दिमाग में यह बात आ सकती है कि इस सम्बन्ध में सरकार के साथ जो कि एक लैंडलार्ड है, उसके साथ एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब सारे दिल्ली के मकानों के रेंट कंट्रोल के लिये एक कानून बन रहा है तो सरकार को भी उससे अपने को बंधा हुआ मानना चाहिये और जब सरकार को इसमें कोई एतराज नहीं है कि जो बेसिक रेंट की परिभाषा इस कानून में की गई है, उसके अनुसार ही उतना ही वह अपने किरायेदारों से किराया लेगी तब तो उन्हें इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये और मेरी समझ में तो इस संशोधन को मान लेने से सरकार की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी कम से कम उन लोगों के दिमागों में जो कि व्यक्तिगत रूप से मकान बनाना चाहते हैं वरना प्राइवेट मकान मालिकों के दिमाग में हमेशा यह भावना बनी रहेगी कि सरकार जहां तक उसके मकान और दुकानों का सम्बन्ध है, सरकारी जायदाद का ताल्लुक है, उनके सम्बन्ध में एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है और जितना भी मनमाना किराया वह चाहे अपने किरायेदारों से ले सकती है और हमारे लिये यह कानून बनाना चाहती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस संशोधन को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

**श्री दातार** : यह बात सामान्य वादविवाद के समय उठायी गई थी और उसका उत्तर भी दे दिया गया था। दो बातें उठायी गई थीं कि क्या सभी सरकारी भवनों को मुक्त कर दिया जाये या केवल रहने वाले मकानों को मुक्त किया जाये अन्य मकानों को नहीं। पहली बात के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार तथा गैर-सरकारी मकान मालिक की स्थिति में बहुत अन्तर है। सरकार को तथा गैर-सरकारी मकान मालिकों को समान नहीं बनाया जा सकता। सरकार अपने प्रत्येक कार्य के लिये इस सभा के सामने उत्तरदायी है अतः उसे गैर-सरकारी मकान मालिकों की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है। यह सब बातें सोचना बेकार है कि सरकार लाभ कमा रही है। कुछ मकानों का संधारण व्यय उसके किराये से बहुत ज्यादा है। अतः रहने वाले या गैर रहने वाले सभी प्रकार के मकानों के सम्बन्ध में सरकार को अधिकार होना चाहिये कि वह जो चाहे वह करे क्योंकि हमारे सामने अनेक विनियम हैं और हम कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २३ और १२९ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

---

†मूल अंग्रेजी में

**खण्ड ४—(प्रामाणिक किराये से अधिक किराया वसूल नहीं किया जा सकता)**

†**श्री जाधव** : मैं अपना संशोधन संख्या ६३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन सभा के सामने है ।

†**श्री दातार** : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है ऐसे मामले बहुत कम हैं । सभा को पता है कि १९३९ के पूर्व किराये आज की तुलना में बहुत ही कम थे । असाधारण महंगाई तो १९३९ के बाद आरम्भ हुई अतः इस समय से पूर्व जो करार हो गये थे उन्हें समुचित करार माना जाना ठीक होगा और उस समय दोनों पक्षों को करार करने का अधिकार था । अतः ऐसे करारों को ठीक मानना उचित होगा क्योंकि वे २० वर्ष पूर्व किये गये थे ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६३ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड ४—विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड ५—(अवैध खर्चों को न लिया जायेगा न उसका दावा किया जायेगा)**

†**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या २५ और ६४ एक ही प्रकार के हैं ।

†**श्री पल्लकर** : मैं अपना संशोधन संख्या २५ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**श्री जाधव** : मैं अपना संशोधन संख्या ६४ प्रस्तुत करता हूं ।

पहला संशोधन प्रस्तुत करते समय मैं इसके भी कारणों का उल्लेख कर चुका हूं । अतः मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता ।

†**श्री दातार** : यह संशोधन भी लगभग उन्हीं आधारों पर है ।

†**श्री जाधव** : जी हां ।

†**श्री दातार** : तो संभवतः यह नियम विरुद्ध होगा ।

†**सभापति महोदय** : यह निबटाया जा चुका है । अतः यह नियम विरुद्ध है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड ६—(प्रामाणिक किराया)**

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या ४१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वे० प० नायर** : मैं अपना संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जाधव** : मैं अपना संशोधन संख्या ६५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री परूलकर** : मैं अपने संशोधन संख्या २७, २८ और ११८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या ९१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : ये संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है । विधेयक में कहा गया है कि भूमि के बाजार भाव तथा निर्माण की उपयुक्त लागत को मिला कर उसके ६ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत और ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत के आधार पर प्रामाणिक किराया निर्धारित किया जायेगा । आप जानते हैं कि मकान बनवाने में रुपया लगाना सब से अधिक सुरक्षित विनियोजन है । आज दिल्ली में चारों तरफ नई-नई इमारतें बन गई हैं । सुन्दर नगर तथा चाणक्यपुरी में ६०० रु० से १००० रु० तक किराये के मकान हैं । यदि आप विमति टिप्पण के सुझाव को—४०० प्रतिशत वाले सुझाव को— मान लें तो क्या बुरा है । माननीय मंत्री ने करोल बाग का उल्लेख किया पर वहां भी ६० रु० से कम पर कोई मकान रहने लायक उपलब्ध नहीं है । मुख्य कठिनाई यह है कि ६ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत या ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत वास्तविक मूल्य पर लगाया जायेगा । इससे किरायेदारों को कोई राहत नहीं मिलेगी । अतः मेरा सुझाव है कि सरकार इस संशोधन पर गंभीरता से विचार करे ।

†**श्री जाधव** : अपने संशोधन के समर्थन में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को मनमाना किराया लेने की छूट देने की बात उचित नहीं है । क्या सरकार को विश्वास है कि ये लोग इस प्रकार प्राप्त धन को निवास स्थानों के निर्माण में व्यय करेंगे ? यदि नहीं तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि ये लोग उस धन का उपयोग अधिक धन कमाने के लिये इस्तेमाल में न लायें । आज कम आय वाले वर्ग के लोगों के लिये मकानों की आवश्यकता है अतः मेरा निवेदन है कि सरकार यह संशोधन स्वीकार कर ले ।

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं अपने मित्र के संशोधन का समर्थन करता हूं । एक ओर हम समाजवाद की बातें करते हैं और दूसरी ओर मनमाना किराया लेने की छट दे रहे हैं । यह कैसा समाजवाद है ? नगरों के लिये दूसरा समाजवाद, गांवों के लिये दूसरा समाजवाद, क्यों ? मकान के किरायों की कोई अधिकतम सीमा क्यों नहीं है जब कि किसानों की अधिकतम सीमा निर्धारित है ? मेरा निवेदन है कि या तो आप समाजवाद का नाम लेना बन्द कर दें या फिर इस प्रकार मनमाना किराया लेने की छूट न दें । इस प्रकार का समाजवाद हमारे देश के लिये शोभनीय नहीं है ।

**श्री ब्रजराज सिंह** : सभापति महोदय, मैंने अमेंडमेंट नम्बर ४१ मूव की है और उसी के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । अभी मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ता महोदय ने कहा कि हालिडे की बात जो है इसको छोड़ देना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है कि हम मकानों की कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं और हमें देना भी चाहिये और इसके लिये हमें प्रयत्न भी करना चाहिये । लेकिन मेरा निवेदन है कि इस तरह से रेंट हालिडे देने से मकानों में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है । अच्छा होता अगर माननीय गृह मंत्री महोदय यह बताते कि अब तक जो कंसेशन या जो सुविधायें दी गई हैं मालिक मकानों को उनकी वजह से कितने प्रतिशत मकानों में बढ़ोतरी हुई है, कितने मकान अधिक बने हैं और कितने मकान खास तौर पर उन लोगों के लिये बने हैं जिन लोगों के पास कोई रहने के लिये जगह नहीं है या जो बहुत ज्यादा या जो ज्यादा किराया नहीं दे सकते हैं । मेरा मतलब मध्यम वर्ग के लोगों से है और निचले वर्ग के लोगों से है जिनमें मजदूर तबका भी आ जाता है और कम आय वाले लोग भी आ जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिन लोगों को रेंट हालिडे देने की बात की जाती है उन लोगों ने छोटे लोगों के लिये कोई मकान नहीं बनाये हैं और मेरा विश्वास है आगे भी रेंट हालिडे देने से छोटे किस्म के मकान बनने वाले नहीं हैं। अगर कुछ मकान बनेंगे तो वे ऐसे लोगों के लिये बनेंगे जो बहुत अधिक किराया दे सकते हैं और जो बहुत बड़े बड़े मकान होंगे जिनका कि आम जनता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक रेंट हालिडे देने का सवाल है उसको तो छोड़ ही दिया जाना चाहिये उसे खत्म ही कर दिया जाना चाहिये। अगर इससे समस्या को सुलझाने में कुछ मदद मिलती हो तो इसके बारे में सोचा जा सकता है लेकिन जब मदद नहीं मिलती है तो इसके बारे में सोचा भी नहीं जाना चाहिये। यह रेंट हालिडे दे कर तो हम बड़े बड़े लोगों को मुनाफ़ा कमाने के लिये प्रेरित कर रहे हैं और ये लोग व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े मकान बना कर ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को हालिडे देने की बात पर पुनर्विचार किया जाय। मैं तो चाहूंगा कि इन लोगों द्वारा बनाये गये मकानों पर कुछ चैक होना चाहिये, कुछ कंट्रोल होना चाहिये। हालिडे उन्हीं लोगों को दें जिनको हालिडे दिये जाने से समस्या को सुलझाने में मदद मिलती हो। मैं समझता हूं कि जो अमीर लोग आज मकान बनायेंगे और उसके बनाने पर जितना खर्च करेंगे वह सारे का सारा उनका रुपया अगले पांच सालों में किराये की शक्ल में उनको वसूल हो जायेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं गृह मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

अब मैं स्टैंडर्ड रेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अपने संशोधन में मैंने चाहा है कि जो छोटे बिज़िनेस हाऊसिस हैं जिनमें पचास रुपये से कम किराया देना प ता है उनके बारे में भी वैसी ही व्यवस्था की जाये जैसी कि रेज़िडेंशल परपज़िज़ के लिये मकान लेने के केस में की गई है। इस समय इनके बारे में इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है, और मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री महोदय, इस ओर भी ध्यान दें।

†**सभापति महोदय** : इस विधेयक पर आगे चर्चा कल होगी। अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

---

## फिल्म उद्योग*

†**श्री अ० क० गोपालन्** (कासरगोड़) : मैं निम्न आधार पर यह चर्चा सभा में उठाना चाहता हूं :— कच्ची फिल्मों के आयात में कमी, उद्योग की स्थिति; तैयार फिल्मों के निर्यात तथा इस उद्योग की मंदी। इसके पूर्व मैं इस उद्योग की स्थिति तथा देश की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

कच्ची फिल्मों के आयात में हम लगभग २½ करोड़ पये की विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं जिसमें से वृत-चित्रों द्वारा हमें करीब १½ करोड़ रुपये की आय हो जाती है। इस प्रकार करीब ५० लाख का घाटा रह जाता है। हम जानते हैं कि इस उद्योग में लगभग १५० करोड़ की पूंजी लगी हुई है। ६८ चल चित्र स्टुडियो हैं, ३०० फिल्मों का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, २०० इसकी वितरक संस्थायें हैं और लगभग ४००० थियेटर हैं जिसमें कुल २,५०,००० व्यक्ति काम करते हैं। सरकार को आय कर तथा मनोरंजन कर के रूप में कुल २० करोड़ की वार्षिक आय होती है। यह उद्योग मनोरंजन का साधन है तथा रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। विदेशी मुद्रा का भी अर्जन यह उद्योग करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

यदि रुपये के आधार पर हम कच्ची फिल्म का आयात शुरू कर दें तो उससे फिल्म की कमी की समस्या हल हो जायेगी। मंत्रालय ने निर्यात सम्वर्द्धन योजना जो बनाई है उसे भी जल्दी लागू किया जाना चाहिये। इससे उद्योग को बहुत सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने अभी तक इस उद्योग के संबंध में जो कुछ किया है उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं। पर अब सरकार ने इस उद्योग के सम्बन्ध में जो रवैया अख्तियार किया है उससे सभी लोग बहुत क्षुब्ध हैं।

पाटिल समिति ने इस उद्योग की जांच करके जो सिफारिशें दी थीं उसमें कहा गया था कि कच्ची फिल्मों के आयात पर तिबन्ध न लगाया जाये। पर सरकार न जाने क्यों उस समिति की सिफारिशों के विरूद्ध कार्य कर रही है। यह उद्योग हमारे राष्ट्र के गौरव में वृद्धि कर रहा है। कई अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमें मिल चुके हैं। जहां तक विदेशी मुद्रा का प्रश्न है हमें यह कहना है कि इससे कुछ अधिक विदेशी मुद्रा का घाटा नहीं हो रहा है। पर यदि हम विदेशी फिल्मों को मंगाना बन्द कर दें, जो कि हमारे समाज में बुरा प्रभाव डालती हैं, तो काफी बचत हो सकती है।

अतः मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करके सरकार को चाहिये कि वह इस उद्योग को समुचित प्रोत्साहन दें।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): इस सम्बन्ध में मुझे केवल ३ प्रश्न पूछने हैं। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ते में फिल्मों के जो वितरण केन्द्र बनाये गये हैं, उन के वितरण का अनुपात ५०, ३९ और ११ प्रतिशत रखा गया है। इन केन्द्रों में फिल्मों के निर्माण को देखते हुये क्या सरकार इस अनुपात में कुछ परिवर्तन करना चाहती है? दूसरा प्रश्न यह है कि १९५७–५८ में विदेशी फिल्मों के आयात में सरकार ने कुल १,८५,७४,००० रुपये व्यय किये जब कि निर्यात से १,१३,७३,८२४ की आय हुई। अतः निर्यात को बढ़ाने तथा कच्ची फिल्मों के आयात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कर रही है? हमें कई बार बताया गया है कि कच्ची फिल्मों का एक कारखाना उटकमण्ड में खोला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है और इस कारखाने में उत्पादन कब शुरू होगा?

†**श्री रंगा** (तेनालि): हम सभी चाहते हैं कि कच्ची फिल्मों के अयात के लिये सरकार अधिकाधिक विदेशी मुद्रा देने की व्यवस्था करे। सरकार के सामन विदेशी मुद्रा का जो संकट है उसे हम सब जानते हैं। फिर भी सरकार को अधिकतम यत्न करना चाहिये कि वह इस उद्योग को कच्ची फिल्म आयात करने में सहायता दे।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: श्री गोपालन ने निर्यात सम्वर्द्धन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कह कर मेरा काम आसान बना दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो निर्यात सम्वर्द्धन कार्यक्रम बनाया है यह बहुत ही उदार है। इस योजना में भावी प्रगति का ध्यान रखा गया है। यदि किसी उत्पादक के ऐसे सम्बन्ध हैं कि वह एक निर्धारित समय में एक निश्चित मात्रा में फिल्मों का निर्यात करने में समर्थ हो जायेगा तो इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त कच्ची फिल्म के आयात के लिये उसे अतिरिक्त लाइसेंस दिया जाता है। यह तो एक बहुत ही उदार नीति है और मुझे प्रसन्नता है कि सभा ने इसका अनुमोदन किया है।

कठिनाइयों आदि के सम्बन्ध में जो अन्य बातें कही गयीं हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह उद्योग काफी प्रगति कर गया है। सच तो यह है कि आज सब उद्योगों में इस में उद्योग के

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ काफी ढिलाई बरती गयी है। गत वर्ष में ३,००० लाख फीट कच्ची फिल्म का आयात किया गया था जिसमें से लगभग ४०० लाख फीट फिल्म का उपयोग फिल्म डिवीजन तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने किया, शेष २६०० लाख फीट बची जोकि किसी भी वर्ष में किये गये आयात से कहीं अधिक है।

मैं आयात के आंकड़े बता देना चाहता हूं :—

| | लाख फीट |
|---|---|
| १९५०–५१ | १२५० |
| १९५१–५२ | १३५० |
| १९५२–५३ | १६६० |
| १९५३–५४ | १५४० |
| १९५४–५५ | १५१० |
| १९५५–५६ | २२०० |
| १९५६–५७ | २०६० |

मान लीजिये कि किसी वर्ष का अधिकतम आयात उद्योग के लिये २६०० लाख फीट था तो उसका ६ माही कोटा १३०० लाख फीट आता है।

जब १९५६ में इस मद को खुली अनुज्ञप्ति से निकाला गया था तो इस उद्योग ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई को देखते ए वह ३० प्रतिशत आयात कम कर देगा। मुझे खेद है कि इस उद्योग ने अपनी बात पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि जब कि पिछली तीन छमाहियों में हमें ९० लाख से ९५ लाख फीट तक का आयात करना चाहिये था हमने १३८ लाख से १४० लाख फीट का आयात किया। अतः मेरा निवेदन है कि उद्योग को शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने यह भी छूट दे दी है कि निर्यात के वादे पर अतिरिक्त आयात किया जा सकता है।

वितरण के सम्बन्ध में हम व्यापार की राय के अनुसार काम करते हैं। केन्द्रीय मंत्रणा समिति में भारतीय फिल्म संघ के प्रतिनिधि हैं। उनकी राय के अधीन हमने पत्तन समितियां बना ली हैं। अतः उन्हीं की राय के अनुसार हम लाइसेंस देते रहे हैं। उद्योग के सभी सदस्यों ने अपने वादे पूरे नहीं किये।

उनकी प्रार्थना पर नवम्बर में हमने प्राथमिकताओं की सार्वजनिक सूचना निकाली थी। इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि प्रत्येक परमिट की सूचना सूचना बोर्ड में लगा दी जाती है। यदि कोई गड़बड़ी हो तो तुरन्त उसकी शिकायत की जा सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। गत महीने में बम्बई में एक फिल्म संस्था के लोग मुझसे मिले थे और उन्होंने कुछ शिकायत की थी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि शिकायत की सारी बातें भेजी जाएं तो उनकी जांच हो सकती है और उसका परिणाम उन्हें बताया जा सकता है। आज तीन सप्ताह बीत गये पर कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके पूर्व भी हमें वितरण सम्बन्धी गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली थी। अतः मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को जितनी छूट दी गयी है उतनी अन्य किसी उद्योग को नहीं दी गयी है।

जहां तक भविष्य का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वर्तमान अनुज्ञप्ति काल में अक्तूबर १९५८ से मार्च १९५९ के बीच ६० परसेंट के आधार पर, इस उद्योग को ८२० लाख फीट फिल्म मिलेगी। इसके अतिरिक्त अन्य भण्डार में से भी उसे फिल्म मिलेगी जिसमें उसकी सारी आवश्यकता पूर्ण हो

जायेगी। भूतकाल में कुछ कठिनाइयां रही हैं पर फिल्म न होने के कारण नहीं बल्कि इस कारण कि भण्डार देर से पहुंचा या अन्य इसी प्रकार के कारण थे। आशा है भविष्य में ऐसी कोई कमी नहीं होगी।

साथ ही मैं इस उद्योग से निवेदन करूंगा कि वह ३० परसेंट कमी वाले अपने वादे को पूरा करे। यदि ३० परसेंट की कमी नहीं हो सकती तो कुछ कम ही सही पर इसके लिये कोशिश अवश्य करनी चाहिये।

श्री तंगामणि ने अनुपात के परिवर्तन के बारे में एक प्रश्न पूछा। यह अनुपात फिल्म संघ ने ही तय किया था। मूल अनुपात १३.८ तथा ऐसा ही कुछ था। यह पिछले कामों के आधार पर था। बाद में कुछ आपत्ति उठाई गयी और संघ ने उसे ३९.१८ तथा कुछ ऐसा ही कर दिया। यह परिवर्तन अभी हाल में किया गया है अतः अब फिर संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। फिर भी, यदि उद्योग चाहेगा तो इस बात पर विचार किया जायेगा क्यों कि यह अनुपात का प्रश्न वितरण के मामले में हमें बहुत कुछ उद्योग की बात मान लेते हैं। केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में उद्योग के जो प्रतिनिधि हैं उनका काम पूर्णतः संतोषजनक रहा है और वे धन्यवाद के पात्र हैं।

जहां तक उद्योग के विकास का प्रश्न है अन्य उद्योगों में जब कच्चे माल की कमी थी तब भी इस उद्योग में कच्चे माल की भरमार थी। जहां तक अमरीकी फिल्मों के आयात का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से उनका आयात करना आवश्यक है और उसमें बहुत थोड़ी विदेशी मुद्रा लगी है क्योंकि बाद में भुगतान करने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जहां तक कमी का प्रश्न है क्या कोटा १९५७ के समान ही रखा जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : यदि निर्यात की आय बढ़ जायेगी तो हम उसे बढ़ायेंगे भी।

**[इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

## [मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८]


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | २४६३–८७ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ९९३ | लौह-अयस्क के रखने के लिये रेलवे के प्लाट | २४६३-६४ |
| ९९४ | अखबारों के लि` पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची | २४६४–६६ |
| ९९५ | मजदूरों की शिकायतें दूर करने की प्रक्रिया | २४६६–६८ |
| ९९६ | नागा पहाड़ियां की तुएन सांग यूनिट | २४६८–७१ |
| ९९७ | ऊन तैयार करने के केन्द्र | २४७१ |
| १०३१ | ऊन तैयार करने का उद्योग | २४७२–७५ |
| ९९८ | उत्तर कुजामा कोयला खान में दुर्घटना | २४७५–७७ |
| ९९९ | भारत में औषधि बनाने का संयंत्र | २४७७–७९ |
| १००० | रेयन कारखानों के मजदूर | २४७९-८० |
| १००१ | रेशम के कीड़े पालने का उद्योग | २४८०-८१ |
| १००२ | जूतों का निर्यात | २४८१–८४ |
| १००४ | प्रैस परिषद् की स्थापना | २४८४-८५ |
| १००५ | स्वर्गीय रास बिहारी बोस की भस्म | २४८६ |
| १००६ | मूंगफली की खली की कीमत | २४८६-८७ |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | २४८७–२५४७ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १००३ | तेल उद्योग | २४८७ |
| १००७ | रूरकेला में औद्योगिक बस्ती | २४८७ |
| १००८ | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से नई दिल्ली नगर पालिका के कार्यों का हस्तांतरण | २४८८ |
| १००९ | तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्यो ों का विकास | २४८८ |
| १०१० | आसाम राइफल्स को राशन की सप्लाई का ठेका | २४८८-८९ |
| १०११ | कांच का रेशा और तन्तु बनाने के कारखाने | २४८९ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)** | | |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १०१२ | दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात | २४८६ |
| १०१३ | खनिज तेल उद्योग के लिये मशीनें | २४६० |
| १०१४ | नमक विशेषज्ञ समिति | २४६० |
| १०१५ | कपड़े की मिलें | २४६० |
| १०१६ | अखबारी कागज़ (न्यूज प्रिंट) का आयात | २४६०-६१ |
| १०१७ | इल्मेनाइट | २४६१ |
| १०१८ | कपड़े की बिक्री | २४६१-६२ |
| १०१६ | भारत-पाकिस्तान व्यापार करार | २४६२ |
| १०२० | जापान से प्रतिनिधिमण्डल | २४६२ |
| १०२१ | कर्मचारी राज्य बीमा योजना | २४६२-६३ |
| १०२२ | त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली | २४६३ |
| १०२३ | साफ्ट कोक का वितरण | २४६३ |
| १०२४ | जापान को भारतीय शिष्टमण्डल | २४६३ |
| १०२५ | संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिये प्रतिनिधि | २४६४ |
| १०२६ | अम्बर चरखा | २४६४ |
| १०२७ | श्री सयाजी जुबिली काटन एण्ड जूट मिल्स, सिद्धपुर (बम्बई राज्य) | २४६५ |
| १०२८ | नीबू घास का तेल | २४६५ |
| १०२६ | जंगपुरा पुल | २४६५ |
| १०३० | चाय उद्योग के लिये वित्त निगम | २४६६ |
| १०३२ | बाइसिकल उद्योग | २४६६ |
| १०३३ | छोटे पैमाने के उद्योग | २४६६-६७ |
| १०३४ | उड़ीसा में नमक का कारखाना | २४६७ |
| १०३५ | उर्वरकों की खरीद | २४६७-२४६८ |
| १०३६ | तांबे का व्यापार | २४६८ |
| १०३७ | समुद्री-विधियां सम्बन्धी सम्मेलन | २४६६ |
| १०३८ | भूमि-सुधार | २४६६-२५०० |
| १०३६ | ब्रिटिश खाद्य मेला | २५०० |
| १०४० | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषण | २५०० |
| १०४१ | भारतीय जूट उत्पाद | २५०० |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या


१०४२ बम्बई राज्य की शक्ति-चालित करघा-मिलों का बन्द किया जाना . . . . . २५०१

१०४३ उर्वरक . . . २५०१–०२

१०४४ इल्मेनाइट . . . . . २५०२

१०४५ सरकार के भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य २५०२

१०४६ श्री दुर्गा काटन मिल्स, कादी (बम्बई) . . . २५०२–०३

१०४७ अध्यापक प्रशासकों का प्रशिक्षण . . २५०३

१०४८ श्रमिकों की शिक्षा के किये केन्द्रीय ोर्ड . . २५०३–०४

१०४९ ि पुरा में औद्योगिक बस्ती . . . २५०४

१०५० भेषज उद्योग . . . . . . २५०४–०५

१०५१ ट्रैक्टर और दण्डकारण्य योजना . . २५०५

१०५२ भारत-नेपाल व्यापार करार . . . . २५०५

१०५३ संसत्सदस्यों के फ्लैट . . . . २५०५–०६

१०५४ अल्युमिनियम के बने मकान . . . . २५०६

१०५५ कृषि (श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन) अधिनियम २५०६–०७

१०५६ भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड . २५०७

१०५७ कच्चा मैंगनीज . . . . २५०७

१०५८ बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ का कारखाना २५०७–०८

१०५९ खरगोदा में नमक का निर्माण . २५०८

१५५० राष्ट्रीय उत्पादिता परिष . . २५०८–०९


अतारांकित

प्रश्न संख्या


१५८६ कपड़े की मिलों के कर्मचारी . २५०९

१५८७ सीमेंट का निर्यात २५०९

१५८८ विदेशों से पत्र व्यवहार २५०९–१०

१५८९ लुधियाना में औद्योगिक बस्ती २५१०

१५९० राजसहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना २५१०

१५९१ छोटे पैमाने के उद्योग . २५१०–११

१५९२ "भारत १९५८" प्रदर्शनी . . . २५११

१५९३ पंचाटों आदि की क्रियान्विति का मूल्यांकन करने के लि त्रिदलीय निकाय . . २५११

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)** | | |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १५९४ | पाकिस्तान को अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां | २५११–१२ |
| १५९५ | उड़ीसा राज्य को लोहे की चादरों तथा सीमेण्ट का कोटा | २५१२ |
| १५९६ | भारत-तिब्बत व्यापार | २५१२ |
| १५९७ | बम्बई राज्य में दस्तकारी योजना | २५१२–१३ |
| १५९८ | बम्बई में खादी का उत्पादन | २५१३ |
| १५९९ | वैदेशिक-कार्य मं ालय का पुनर्गठन | २५१३ |
| १६०० | रिक्शाओं की समाप्ति | २५१३–१४ |
| १६०१ | आन्ध्र प्रदेश में योजना का प्रचार | २५१४–१५ |
| १६०२ | हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स (प्राइ ट) लिमिटेड | २५१५ |
| १६०३ | हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड | २५१५ |
| १६०४ | हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड | २५१५–१६ |
| १६०५ | रूरकेला का अमोनियम नाइट्रेट प्लांट | २५१६ |
| १६०६ | विटामिन "ए" का उत्पादन | २५१६–१७ |
| १६०७ | भोपाल राजधानी परियोजना | २५१७ |
| १६०८ | भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों द्वारा अधिछात्रवृत्तियां | २५१७–१८ |
| १६०९ | केन्द्रीय सूचना सेवा | २५१८ |
| १६१० | अणु शक्ति केन्द्र | २५१८–१९ |
| १६११ | विस्थापित व्यक्तियों का भारी संख्या में आना जाना | २५१९ |
| १६१२ | अणु शक्ति सम्मेलन | २५१९–२० |
| १६१३ | औद्योगिक सर्वेक्षण | २५२० |
| १६१४ | हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग | २५२० |
| १६१५ | कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन | २५२०–२१ |
| १६१६ | भारत तिब्बत व्यापार | २५२१ |
| १६१७ | उपमंत्रि ों को आवंटित बगले | २५२१ |
| १६१८ | काम दिलाऊ दफ्तर, दिल्ली | २५२१–२२ |
| १६१९ | हाइड्रोजन आसवन संयंत्र | २५२२–२३ |
| १६२० | श्रम विवाद के मामले | २५२३ |
| १६२१ | पुराने फर्नीचर की बिक्री | २५२४ |
| १६२२ | कानपुर के औद्योगिक मजदूरों के लिये मकान | २५२४–२५ |
| १६२३ | चण्डीगढ़ में रेडियो स्टेशन | २५२५ |
| १६२४ | लाहौर के लिये सिक्ख यात्री | २५२५ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः) | | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
| १६२५ | अमेरीका के साथ वस्तु विनिमय | २५२६ |
| १६२६ | कानपुर में प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा संस्था | २५२६ |
| १६२७ | औद्योगिक बस्तियां | २५२६ |
| १६२८ | कागज़ का उत्पादन | २५२६–२७ |
| १६२९ | मोटर गाड़ी | २५२७ |
| १६३० | बर्मा के साथ व्यापार अन्तर | २५२७ |
| १६३१ | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैडिकल आफिसरों के लिये एम्बूलैंस तथा स्टाफ कार | २५२७–२८ |
| १६३२ | खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, त्रिपुरा | २५२८ |
| १६३३ | विदेशी सार्थों को रायल्टी | २५२९ |
| १६३४ | राज्यों को आवंटित सीमेण्ट | २५२९ |
| १६३५ | योजना आयोग के अधीन समितियां | २५२९ |
| १६३६ | पटियाला में निवास स्थान | २५२९–३० |
| १६३७ | सरकारी भवनों के किरायों की बकाया राशि | २५३०–३१ |
| १६३८ | गांधीग्राम त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास | २५३१ |
| १६३९ | कच्ची फिल्मों पर आयात प्रतिबन्ध | २५३१ |
| १६४० | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड | २५३२ |
| १६४१ | मोटरकार और साइकिलें | २५३२–३३ |
| १६४२ | संयुक्त राष्ट्र संघ की समितियां | २५३३ |
| १६४३ | आकाशवाणी का दिल्ली केन्द्र | २५३३ |
| १६४४ | विस्थापित व्यक्तियों को निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन | २५३४ |
| १६४५ | वैकल्पिक स्थान | २५३४ |
| १६४६ | आयात के लाइसेंस | २५३५ |
| १६४७ | लाइसेंसों का दिया जाना | २५३५ |
| १६४८ | राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम | २५३६ |
| १६४९ | इम्फाल का काम दिलाऊ दफ्तर | २५३६ |
| १६५० | भारत समाचार | २५३६–३७ |
| १६५१ | घड़ियों का आयात | २५३७ |
| १६५२ | स्थानीय विकास निर्माण कार्य-क्रम | २५३८ |
| १६५३ | पंडारा रोड वाले फ्लैट | २५३८ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) | | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
| १६५४ | सरकारी पदाधिकारियों को रैफ्रिजरेटर देना | २५३८–३९ |
| १६५५ | इन्डामेर कम्पनी . . | २५३९–४० |
| १६५६ | फरीदाबाद की बाटा शू कम्पनी के श्रमिक . | २५४० |
| १६५७ | पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई . | २५४० |
| १६५८ | उड़ीसा की औद्योगिक बस्तियां . . | २५४०–४१ |
| १६५९ | पंजाब के हस्तशिल्प . . | २५४१ |
| १६६० | पंजाब की औद्योगिक बस्तियां . . | २५४१–४२ |
| १६६१ | अखिल भारतीय पैट्रोलियम कर्मचारी संघ . | २५४२ |
| १६६२ | अगरताला स्थित फलों को डिब्बों में बन्द करने का केन्द्र | २५४२ |
| १६६६ | कारों की बिक्री . . | २५४२–४३ |
| १६६७ | रामपुर जिले में बसे विस्थापित . . | २५४३ |
| १६६८ | नारियल के तेल का आयात . . | २५४३ |
| १६६९ | यूरेनियम का उत्पादन . . . | २५४४ |
| १६७१ | तिनसुकिया (आसाम) की औद्योगिक बस्ती . | २५४४ |
| १६७२ | काफी और चाय बोर्ड . . . | २५४४–४५ |
| १६७३ | रेशम उद्योग . . . . | २५४५ |
| १६७४ | पंजाब की द्वितीय पंच वर्षीय योजना . . | २५४५–४६ |
| १६७५ | बनस्पतियों का निर्यात . . . | २५४६ |
| १६७६ | हथकरघा उद्योग . . . | २५४६ |
| १६७७ | खादी का उत्पादन . . | २५४७ |
| १६७९ | अम्बर खादी उद्योग . . . . | २५४७ |
| १६८० | पंजाब में अम्बर चरखा कार्यक्रम . . . . | २५४९–५० |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . | | |


निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९४९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०७ की एक प्रति।

(२) सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक

विषय पृष्ठ

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र**—(क्रमशः)

८ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५९ में प्रकाशित सरकारी भू-गृहादि (अनिधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम, १९५८ की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४६० की एक प्रति।

(४) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के लेखा परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(५) बम्बई में २८ और २९ अक्तूबर, १९५८ को हुए स्थायी श्रम समिति के सत्रहवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति।

**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** . . २५५०

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

**याचिका की सूचना** . . . . . २५५०

सचिव ने दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, के सम्बन्ध में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्राप्त होने की सूचना दी।

**अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . . . २५५१—५२

श्री केशव ने फोलीडोल के लाने व ले जाने के बारे में नियम न होने की ओर, जिस के फलस्वरूप अत्यावश्यक प्रयोजनों के लिये उस का मिलना बन्द हो गया है, परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने उस सम्बंध में एक वक्तव्य दिया।

**मंत्री द्वारा वक्तव्य** . . . . . २५५२—५४

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने बड़ौदा और खम्भात में तेल की खोज में आज तक हुई प्रगति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

**विधेयक पुरःस्थापित** . . . . २५५४

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५८।

**कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत** . २५५४

तैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **विधेयक पारित** . . . . . | २५५५–५६ |
| (१) रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ। | |
| (२) रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ। | |
| **विधेयक विचाराधीन** . . . . . | २५५६—९९ |
| दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर खण्डवार विचार समाप्त नहीं हुआ। | |
| **आधे घण्टे की चर्चा** . . . . . | २५९९—२६०२ |
| श्री अ० क० गोपालन ने, ३ दिसम्बर, को दिये गये चलचित्र उद्योग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५२० के उत्तर से उत्पन्न बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई। | |
| वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। | |
| **बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८ के लिए कार्यावलि**— | |
| दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खण्डवार विचार तथा उसे पारित किया जाना तथा निम्नलिखित विधेयकों पर भी विचार व उन्हें पारित किया जाना। | |
| (१) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५८, और | |
| (२) भारतीय प्रशल्क (संशोधन) विधेयक। | |